Friday, 26 November1954

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ६, १९५४

(१६ नवम्बर से १३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

555L.S.D.

अंक १—मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ४९ से ५२, ५६, ५८ से ६२, ६४, ६५, ६८ से ७०, ७२, ७३, ७५, ७८, ७९, ८१ से ८६, ५५ और ६३ १–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से ४१, ४३ से ४६, ५३, ५४, ५७, ६६, ६७, ७१, ७४, ७६, ८० और ८७ . . . ४१–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १, २, ४ से १०, १२ से ७७, ७९ से ८८, ९० से ९६ . . . . . ७५–१३८

अंक २—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८, ८९, ९१, ९५, ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०८, ११२ से ११४, ११६, ११८, १२०, १२३, १२५, १२७, १२८, १३१, १३३, १३४ . . . . . १३९—८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०, ९२, ९४, १०७, १०९, ११०, ११५, १२१, १२२, १२४, १२६, १३०, १३२ . . . . . १८१—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७ से ११०, ११२ से १४० . . . १८९—२२०

अंक ३—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५, १३८, १३९, १४१, १४२, १४५, १४७ से १४९, १५२ से १५७, १५९, १६०, १६४ से १६६, १६९ से १७१, १७४, १७५, १३६ और १४४ . . . . . २२१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १४०, १४३, १४६, १५०, १५१, १६१ से १६३, १६७, १६८, १७३ और १७६ . . . . . २५४—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १७४ . . . . २६१—७२

अंक ४—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७, १८० से १८२, १८४, १८७ से १८९, १९१ से १९४, १९६, १९७, २०० से २०६, २१०, २१०ए, २१२ से २१४, २१६, २१८, २२२ से २२५, १७८ और १८५ . स्तम्भ २९३—३४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९, १८३, १८६, १९०, १९५, १९८, १९९, २०८, २०९, २११, २१५, २१९ से २२१ . . . ३४१—४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ से २२६ . . . ३४८—९४

अंक ५—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३, ११७, २३१ से २३३, २३६, २३९, २४१, २४२, २४४, २४५, २४९ से २५१, २५३, २५५, २५८ से २६२, २६५, २६८ और २६९ . . . . . ३९५—४३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ४३२—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९, २२६, २२८ से २३०, २३४, २३५, २३७, २३८, २४०, २४३, २४७, २४८, २५२, २५४, २५६, २५७, २६४, २६६, २६७, २७० और २७१ . . . . . ४३८—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७ से २५१ . . . . ४५०—६६

अंक ६—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७९ **से** २८२, २८५, २८६, २९० से २९२, ३००, ३०१, ३०४, ३०५, २७४, २७७, २८३ **और** २९७ . . . . ४६७—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७५, २७६, २७८, २८७ से २८९, २९३ **से** २९६, २९८, २९९, ३०२ **और** ३०३ . ४९१—५०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ **से** २६६, २६८ **से** २७६ . . ५०१—१४

अंक ७—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०८, ३०९, ३१२, ३१५ से ३१८, ३२२ से ३२५, ३२७, ३३०, ३३४ से ३४४, ३४६ से ३५० और ३९४ . . ५१५—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . ५६२—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७, २१७, ३०७, ३१० ३११, ३१३, ३२०, ३२१, ३२६, ३२८, ३२९, ३३१ से ३३३ और ३४५ . . . . ५६६—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८० से ३२४ . . . . ५७६—६१२

अंक ८—गुरुवार, २५ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५२, ३५३, ३९३, ३५५—३५७, ३६०, ३६२ से ३७६ ३८१, ३८२, ३८४, ३८५, ३८७, ३९०, ३९२, ३९४ से ३९७ और ३९८ . ६१३—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५१, ३५४, ३५८, ३५९, ३७७, ३७९, ३८०, ३८३, ३८६, ३८९ और ३९३ . . . . . ६५७—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३२७ से ३५७ . . . ६६४—८८

अंक ९—शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०० से ४०२, ४०४, ४०६ से ४०८, ४१०, ४१४, ४१६ से ४१८, ४२१, ४२४ से ४३२, ४३४, ४३५, ४०९, ४३३ और ४११ . . . . . ६८९—७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९, ४०३, ४०५, ४१३, ४१५, ४२०, ४२२, ४२३, ४३६ और ४३७ . . . . ७२८—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ से ३८७ और ३८९ . . ७३४—६२

अंक १०--सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४१, ४४३, ४४५, ४५१, ४५२, ४५४, ४५५, ४५७, ४५८, ४६२, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७५, ४७७ से ४७९, ४८१ से ४८३, ४८५, ४९९, ४८८, ४९०, ४९३, ४९४, ४९६, ४९७, ५०२ से ५०४, ४४४ और ४४७ . . ७६३—८११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४२, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५६, ४५९ से ४६१, ४६३, ४६६, ४६९, ४७०, ४७२, ४७३, ४७६, ४८०, ४८४, ४८७, ४८९, ४९१, ४९२, ४९५, ४९८, ५००, ५०१ और ५०५ ८११--२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० से ४०९, ४११ से ४२६ . . . ८२८—५६

अंक ११—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ८५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०८ से ५११, ५१३, ५१८, ५२० से ५२३, ५२७, ५२९ से ५३४, ५३७, ५४१ से ५४६, ५५०, ५५२, ५५३ . . ८५७—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०७, ५१२, ५१४ से ५१७, ५१९, ५२४, ५२५, ५२८, ५३५, ५३६, ५३८ से ५४०, ५४७, ५४८, ५५४ से ५६५ . . ८९८—९१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४४८, ४५० से ४५४ . . ९१६—३६

अंक १२—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७४, ५७६, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३ से ५८५, ५८७ से ५८९, ५९६, ५९७, ५९९, ६००, ६०२, ६०३, ६०५ से ६०७, ६११ से ६१६ और ६२० . . ९३७—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ५६८, ५७५, ५७८, ५८१, ५८२, ५८६, ५९० से ५९५, ५९८, ६०१, ६०४, ६०८ से ६१०, ६१७ से ६१९ और ६२१ . . . . . ९८४—१००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ से ४८३ . . . . १००१—२०

अंक १३—गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . १३२०—८४

अंक १७—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७१, ८७४, ८७६, ८७८, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४ से ८८६, ८९०, ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९९, ९००, ९०२ से ९०८, ९१०, ९१४ से ९२० . . . . . १३८५—१४३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०, ८७२, ८७३, ८७५, ८७७, ८८०, ८८३, ८८७, ८८९, ८९२, ८९५, ८९७, ८९८, ९०१, ९०९, ९११ से ९१३, ९२१ से ९२७, ९२९ से ९३१, ९३३ से ९३७, ११९ . . . . १४३३—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६४६ . . . . १४५२—६६

अंक १८—गुरुवार, ९ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३८, ९४० से ९५०, ९५२, ९५३, ९५५, ९५६, ९६० से ९६२, ९७१, ९७२, ९७५ से ९७७, ९८९, ९७८, ९७९, ९८२, ९८३ और ९८५ से ९८७ . . . . . १४६७—१५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३९, ९४६, ९५१, ९५४, ९५७ से ९५९, ९६३ से ९६८, ९७३, ९७४, ९८०, ९८१, ९८४, ९८८ और ९९० से ९९५ . १५१२—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४७ से ६५१ और ६५३ से ६६८ . . १५२५—४२

अंक १९—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ से १००२, १००५ से १००७, १००९, १०१२ से १०१४, १०१७, १०२१, १०२४, १०३१, १०३२, १०३४, १०३६ से १०४२, १०४४, १०४५ और १०४९ से १०५० . . . १५४३—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९६, १००३, १००८, १०१०, १०११, १०१५, १०१६ १०१८ से १०२०, १०२२, १०२३, १०२५ से १०२७, १०२९, १०३३, १०३५, १०४३, १०४६ से १०४८ और १०५१ से १०५८ . १५८८—१६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७०३ . . . . १६०५—३०

अंक २०—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५१, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७, १०७१ से १०७४, १०७८, १०८१, १०८५, १०८६, १०८८, १०११, १०९३, १०९५, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ . . . . . १६३१—७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०६९, १०७०, १०७५ से १०७७, १०८९, १०८०, १०८२ से १०८४, १०८७, १०९२, १०९४, ११०१, ११०५, ११०७, १११०, ११११ . . . १६७४—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ से ७१८ . . . . १६८८—९८

GIPD—NSH—555 LSD—3-10-55—240

लोक-सभा

शक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अभ्रक

*३९८. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को अभ्रक का निर्यात संगठन बनाने के प्रस्ताव की परीक्षा करने के लिये बनाई गई उप-समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है तथा क्या सरकार ने उस पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस की सिफारिशों पर क्या विनिश्चय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). अभ्रक सलाहकार समिति ने २० अगस्त, १९५३ की बैठक में प्रस्तावों की जांच करने के लिये एक उप-समिति बनाई । उप-समिति ने "अभ्रक विक्रय तथा निर्यात निगम, लिमिटेड" नाम के एक संगठन बनाने की सलाह दी । योजना में यह बताया गया कि भारत में उत्पादित समस्त अभ्रक का इसी निगम द्वारा निर्यात किया जाय । अभ्रक सलाहकार समिति, अपनी २१ फरवरी, १९५४ की बैठक में उप-समिति के विचारों से सहमत नहीं हुई, तथा इस कारण सरकार से कोई निश्चित सिफारिश नहीं की गई ।

सरकार अभ्रक के लिये एक निर्यात वृद्धि परिषद् बनाने का विचार कर रही है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : न बिकी अभ्रक की राशि को यहां तथा लन्दन में बेचने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री करमरकर : ऐसे मामलों में मेरे माननीय मित्र अनुभव करेंगे कि केवल सामान्य प्रयत्न किया जा सकता है । निर्यात वृद्धि परिषद् इस दिशा की ओर एक अच्छा कदम प्रमाणित होगी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : पिछले एक वर्ष के दौरान बिहार की कितनी अभ्रक खानों ने उत्पादन बन्द कर दिया है ?

श्री करमरकर : मुझे इस प्रश्न पर सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या मैं प्रस्तावित निर्यात वृद्धि परिषद्, जिस का मेरे माननीय मित्र ने अभी जिक्र किया, के सम्बन्ध में कुछ जान सकता हूं ? यह किस प्रकार की होगी ? यह सरकार द्वारा नियंत्रित होगी अथवा अभ्रक के विशेषज्ञों द्वारा ?

श्री करमरकर : यह पूर्व-निर्धारित प्रकार की होगी जैसी कि वस्त्र-वृद्धि परिषद् है । इस में तत्सम्बन्धी मुख्य हित तथा अभ्रक के निर्यातकर्ता शामिल होंगे । और सरकार उन की सहायता करेगी ।

रंगों का निर्माण

*४००. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** पंच वर्षीय योजना के १९५३–५४ के प्रतिवेदन के पृष्ठ १६०, कंडिका ३९, मद २ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगों का निर्माण प्रतिवेदन में निर्देशित फर्में स्वयं करेंगी अथवा विदेशी फर्मों की सहायता से करेंगी ; और

(ख) यदि यह सहयोग से किया जायेगा, तो क्या सरकार विदेशी-भारतीय साझेदारी के समझौते की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) मैसर्स इण्डियन डायस्टफ इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड का अपने रंग स्वयं निर्मित करने का विचार है। मैसर्स अमृत लाल एण्ड को० तथा दि आई० सी० आई०, अतुल कम्बाइन विदेशी फर्मों के सहयोग से निर्मित करना चाहते हैं ।

(ख) यह सम्बन्धित फर्मों के हक में अच्छा नहीं होगा कि वे अपने समझौतों का विवरण प्रगट करें ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं केवल इतना जान सकता हूं कि इस सहयोग के कार्य में विदेशी पूंजी का क्या अनुपात होगा ?

श्री कानूनगो : एक मामले में यह केवल ३० प्रतिशत है ।

श्री वी० पी० नायर : पूंजी का १० प्रतिशत ?

श्री कानूनगो : जी हां ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यहां लगाई जाने वाली विदेशी पूंजी पर कोई लाभ निश्चित किया गया है ?

श्री कानूनगो : जी नहीं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या फर्म को, उत्पादन किये जाने वाले माल के उत्पादन का लक्ष्य तथा ब्यौरा भी दिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी०टी० कृष्णमाचारी) : उत्पादन किये जाने वाले माल का ब्यौरा अनुज्ञप्ति के आवेदन-पत्र में लिखा रहता है । इस के परे हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इन फर्मों ने अभी उत्पादन नहीं किया है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं यही समझूं कि उन सभी वस्तुओं, जिन का फर्में उत्पादन करेंगी, को इसी प्रकार स्वीकार किया जायेगा अथवा सरकार को राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकतानुसार आदेश देने के आवश्यक अधिकार होंगे ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य के अनुमान का पिछला भाग सही है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार आदिवासियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले रंगों को जो बहुत स्थाई होते हैं जानती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे माननीय सदस्य से सूचना मिल रही है ।

बर्मा भूमि राष्ट्रीयकरण (संशोधन) अधिनियम

*४०१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** ८ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६८०के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा भूमि राष्ट्रीयकरण (संशोधन) अधिनियम ने भारतीय भू-स्वामियों पर क्या प्रभाव डाला है;

(ख) क्या भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिये भारतीय सरकार ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया; और

(ग) यदि हां, तो अभ्यावेदन का क्या परिणाम हुआ ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) भारतीय भू-स्वामियों ने अपनी भूमि की कीमत ७० करोड़ रुपये के लगभग आंकी है । बर्मा भूमि राष्ट्रीयकरण (संशोधन) अधिनियम के अधीन उन्हें केवल एक करोड़ रुपया मिलने की आशा है ।

(ख) और (ग). बर्मा भूमि राष्ट्रीय-करण अधिनियम के अधीन प्रतिकर की दर अपर्याप्त समझी गई है । इसलिये दिसम्बर, १९५३ को भारत सरकार ने बर्मी अधिकारियों के साथ इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए अपना एक प्रतिनिधि मंडल बर्मा भेजा किन्तु बर्मा सरकार ने प्रतिकर की दर बढ़ाने का कोई भी कारण नहीं समझा ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं जानना चाहता हूं कि भारतीयों के अधिकार में कुल कितनी भूमि है और अब तक कुल कितने एकड़ भूमि का राष्ट्रीयकरण हुआ है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमें जो जानकारी प्राप्त है उस के अनुसार लगभग २० लाख एकड़ भूमि भारतीयों के अधिकार में है । अभी हाल में बर्मा की सरकार ने अपनी राष्ट्रीयकरण योजना के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया है और ऐसा लग रहा है कि उस देश के ४९ ज़िलों में उक्त अधिनियम लागू किया गया है और १,२५,६०० एकड़ भूमि का राष्ट्रीयकरण हुआ है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : भारतीयों को किस हिसाब से प्रतिकर दिया जाने वाला है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह घटने-बढ़ने वाला हिसाब है जो प्रथम १०० एकड़ों पर १२ गुना भूराजस्व से प्रारम्भ हो कर ११ सौवें एकड़-क्षेत्र पर राजस्व का दो गुना लगता है, और उस के बाद प्रत्येक अतिरिक्त एकड़-क्षेत्र पर वार्षिक भू-राजस्व के बराबर होता है ।

श्री अच्युतन : इस राष्ट्रीयकरण से भारतीयों के अतिरिक्त और किन विदेशी भू-स्वामियों पर प्रभाव पड़ा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह उन की एक सामान्य विधि है, और इस में भारतीय भू-स्वामियों के साथ ही भेद-नीति नहीं बरती गई है ।

भारत में पुर्तगाली बस्तियां

*४०२. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाली प्राधिकारियों के समक्ष इस बात का विरोध किया गया है कि भारत स्थित पुर्तगाली प्रदेशों में ठहरे हुए भारतीय यात्री-दर्शकों पर आक्रमण किया गया;

(ख) यदि हां, तो अब तक उन की ओर से क्या उत्तर मिला है; और

(ग) सरकार इस मामले में और क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) पुर्तगालियों ने तो इन आरोपों को अस्वीकार किया है ।

(ग) चूंकि यह घटना एक विशाल समस्या से ही सम्बद्ध है, अतः सरकार ने इस विशेष मामले में कोई भी विशेष कार्यवाही नहीं की है, किन्तु वह उसी कार्यवाही को पूरा करने के प्रयत्न कर रही है जो गोआ की समस्या को सुलझाने के लिये की गई है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को कुछ मालूम है कि वहां सैर के लिये गये कितने व्यक्तियों से मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया ?

श्री अनिल के० चन्दा : गोआ में बहुत से भारतीयों को जेल में डाल दिया गया है परन्तु मुझे ठीक मालूम नहीं कि उन में से कितने वहां बाहर से सैर के लिये गये हुए थे ।

पंडित डी० एन० तिवारी : उन में से कितनों को मारा पीटा गया ?

श्री अनिल के० चन्दा : बहुत से मामले हमारी जानकारी में लाये गये हैं परन्तु मेरे पास उन की ठीक ठीक संख्या नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को मालूम है कि पुर्तगाल सरकार गोआ वालों का भारतीय क्षेत्रों में आना बन्द कर रही है?

श्री अनिल के० चन्दा : सच तो यह है कि हम अपने गोआ स्थित वाणिज्यदूतावास द्वारा दिये गये परमिट के बिना उन्हें अपने क्षेत्र में आने नहीं देते ।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि इस सम्बन्ध में भारतीय सरकार ने पोर्चुगीज सरकार को इसलिए नहीं लिखा है कि वे इस प्रश्न को व्यापक दृष्टि से देखना चाहते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां तक गोआ और पुर्तगाल के दूसरे स्थानों का सम्बन्ध है वहां तक अब स्थिति क्या है ? क्या कोई समझौते की आशा है कि वे स्थान भारत को समझौते से दे दिये जायेंगे जिस तरह से पांडिचरी और दूसरे फ्रांसीसी स्थानों का हुआ ?

श्री अनिल के० चन्दा : माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में सरकार के विचार मालूम हैं । प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में इस सभा में कई बार बोल चुके हैं । परन्तु जहां तक पुर्तगाल के रवैये का सम्बन्ध है अब तक उस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

कोयला

***४०४. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या उत्पादन मंत्री १३ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) हाल ही में सरकार ने कोयला का निर्यात घट जाने के कारणों की जांच करने के लिए जो समिति नियुक्त की थी क्या उस ने अपना काम पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री अमजद अली : डिब्बों की कमी कोयले के निर्यात के घट जाने के लिये कहां तक जिम्मेदार थी ?

श्री आर० जी० दुबे : मेरे विचार में इस से कोयले के निर्यात पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है ।

संसद् सदस्यों के लिये फ्लैट

***४०६. श्री डाभी :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्यों को देने के लिये फ्लैट और बंगले काफी संख्या में हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार है कि निकट भविष्य में उन के लिये और फ्लैट बनाये जायेंगे; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हां' में हो तो कहां पर और कितने फ्लैट बनाने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

श्री डाभी : क्या संसद् सदस्यों के कुछ बंगले और फ्लैट ऐसे भी हैं जो संसद् सदस्यों के अतिरिक्त किन्हीं लोगों को दिये गये हैं और यदि हां तो इस के क्या कारण हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जहां तक बंगलों का सम्बन्ध है, संसद् सदस्यों के लिए जो बंगले रखे हुए हैं उन में से कोई भी बंगला किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया गया । स्थिति इस के उलट है । सामान्य बंगलों में से कुछ बंगले संसद् सदस्यों को दे दिये गये हैं । जहां तक फ्लैटों का सम्बन्ध है, जब उन के लिये काफ़ी मांग न हो तो उन में से कुछ अस्थायी रूप से अन्य लोगों को दे दिये जाते हैं ।

श्री डाभी : क्या मैं उन व्यक्तियों के नाम पूछ सकता हूं जो संसद सदस्य नहीं हैं और जिन्हें ये फ्लैट दिये गये हैं और क्यों दिये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप नाम जानना चाहते हैं ?

श्री डाभी : जी हां; उन व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिन्हें ये फ्लैट दिये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शायद यह लम्बी सूची होगी । और कोई प्रश्न ?

सेठ गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री ने कहा कि अब यथेष्ट फ्लैट्स बन गये हैं तो फिर ऐसी हालत में एक एक बंगले में एक से अधिक सदस्यों को क्यों रखा जा रहा है यदि काफ़ी फ्लैट्स तैयार हो गये हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : उन एम० पी० साहबान में बहुत से ऐसे हैं जिन की ऐसी मरज़ी है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या कुछ ऐसे फ्लैट भी हैं जो सदस्यों को दिये गये हैं परन्तु वे स्वयं उन में नहीं रह रहे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस का फैसला मैं तो नहीं कर सकता । यदि किसी सदस्य के पास ऐसी जानकारी हो तो उसे जान कर मुझे प्रसन्नता होगी ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

***४०७. चौ० रघुवीर सिंह :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटिड, जलहाल्ली में औज़ारों का उत्पादन प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने में किस प्रकार के औज़ारों का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ग) इस कारखाने की स्थापना पर कितना खर्च आया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और (ख). ८ १/२ इंच मध्य वाली तेज़ चलने वाली ख़राद के पुर्जों का सांकेतिक उत्पादन और विदेशों से मंगाये पुर्ज़ों को जोड़ कर ऐसे ख़राद बनाने का काम अक्तूबर, १९५४ से प्रारम्भ हो गया है ।

(ग) अब तक २ करोड़ ४७ लाख रुपये खर्च हुए हैं और इस परियोजना के पहले भाग पर, अर्थात्, १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष के अन्त तक ४ करोड़ रुपया खर्च होने की आशा है जिस में चालू पूंजी भी शामिल है ।

चौ० रघुवीर सिंह : इस कारखाने के कुल कितने कर्मचारी हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं उन की कुल संख्या ठीक ठीक तो नहीं बता सकता परन्तु मेरा विचार है कि इस में आजकल दो या तीन सौ आदमी काम कर रहे हैं । इस समय उन की ठीक ठीक संख्या मेरे पास नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर प्रति वर्ष कितना व्यय

होता है और उन का कितने प्रतिशत वहां पर रखे गये विदेशी कारीगरों को दिया जाता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे सूचना की अपेक्षा है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : विदेशी औज़ारों की तुलना में, जो कि सस्ते हैं, इस कारखाने में बने औज़ारों का मूल्य क्या है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है । किसी विशेष समय जब हम ये औज़ार अपने कारख़ाने में बनाते हैं तो यह कहना बड़ा कठिन है कि उस समय विदेशी औज़ारों का मूल्य कितना होगा । इतने व्यापक प्रश्न का स्पष्ट और ठीक उत्तर देना सम्भव नहीं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : खरीदार को यह कितने का पड़ता है ? क्या इस की लागत अधिक पड़ती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : लागत का प्रश्न ही नहीं क्योंकि उत्पादन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

श्री बी० दास : क्या यह सच है कि आजकल इस कारखाने में एक प्रकार की ख़राद के बनाने पर ही ज़ोर दिया जा रहा है और कोई और चीज़ नहीं बनाई जा रही है ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह तो ठीक है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या विदेशी विशेषज्ञों को ठेके के हिसाब से रखा गया है और यह ठेका कितने दिनों तक चलेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : उन्हें विभिन्न कालावधियों के लिए रखा जाता है । प्रत्येक व्यक्ति के लिये भिन्न कालावधि है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मेरे विचार में माननीय मंत्री ने कहा था कि मशीनी औज़ारों के कुछ पुर्ज़े उस कारखाने में बनाये जाते हैं । विदेशों से आने वाले पुर्ज़ों की तुलना में वे कैसे हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : गुणों में या मूल्य में ?

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: मूल्य में ।

श्री के० सी० रेड्डी : सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि उस कारखाने में बनाये जाने वाले पुर्ज़ों का मूल्य विदेशों से आने वाले पुर्ज़ों की लागत के बराबर ही था उस से कुछ कम होगा ।

बर्मा में भारत के राष्ट्रजन

*४०८. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस बात का प्रबन्ध करने के लिए कोई कार्यवाही की है कि बर्मा में विनिमय नियंत्रण विनियमों के अधीन लगाये गये प्रतिबन्धों के फलस्वरूप वहां के भारतीय राष्ट्रजन अपने बचाये हुए धन से हाथ न धो बैठें ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : अन्य देशों की तरह बर्मा में भी विनिमय नियंत्रण विनियम लागू हैं जिन का उद्देश उस देश के वित्तीय और आर्थिक हितों की रक्षा करना है । ये सामान्यतया लागू किय जाते हैं और भारत के प्रति विभेदात्मक नहीं हैं । भारत सरकार को किसी नये या अनुचित रूप से अधिक प्रतिबन्ध लगाने वाले विनियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी हैं कि बर्मा में भारतीय राष्ट्रजनों ने कितना धन बचा रखा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारे पास इस सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार का यह राशि जानने का लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह मालूम करता बड़ा कठिन है कि बर्मा में भारतीयों की कितनी धन राशि है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार का विचार है कि वहां के बचत बैंकों में भारतीय राष्ट्रजनों के रुपये की रक्षा की जाय ?

श्री अनिल के० चन्दा : बचत बैंकों में जो धन पड़ा है उसे कोई खतरा नहीं । जब बर्मा में रहने वाला कोई भारतीय राष्ट्रजन वहां से आता है तो उसे अपना कमाया हुआ धन या पूंजी, जो उस ने वहां बचाई हो, साथ लाने की अनुमति होती है ।

श्री संगण्णा : उन्हों ने मुझे प्रश्न ४०९ पूछने का प्राधिकार दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह बाद में—अपने समय पर—देखा जायगा ।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा

*४१०. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश को १९५३–५४ में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिए कुल कितनी राशि दी गयी;

(ख) राज्य ने उस समय में कितनी राशि खर्च की;

(ग) क्या प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी की भी कोई शिकायत की गयी; और

(घ) यदि हां, तो वे किस किस वर्ग के थे ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) इस कार्यक्रम के लिये तीन वर्ष की कालावधि के लिये धन दिया गया है । प्रत्येक वर्ष में कितना खर्च होगा इस का निश्चय राज्य सरकारें करती हैं । यह पता नहीं कि राज्य के १९५३–५४ के आय-व्ययक में कितने धन की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) ५·०७ लाख ।

(ग) और (घ). राज्य सरकार ने कहा था कि निम्न वर्गों के योग्यताप्राप्त कर्मचारियों की कमी है :

(१) महिला समाज शिक्षा संगठनकर्त्री

(२) महिला हेल्थ विज़िटर

(३) दाई

(४) ग्राम-सेवक ।

श्री के० सी० सोधिया : अब तक कितनी योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : विभिन्न वर्गों में स्थिति भिन्न होगी । इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि ब्यौरा देखे बिना इस का उत्तर कैसे दूं ।

श्री के० सी० सोधिया : यह प्रारम्भ होने के बाद से सरकार को कितनी हानि हुई है ?

श्री एस० एन० मिश्र : हानि होने का प्रश्न ही नहीं है परन्तु सम्भव है कि कुछ ऐसा काम हो जो पहले होना चाहिए परन्तु जो किसी हद तक बाद में हुआ ।

श्रीमती सुषमा सेन : क्या राष्ट्रीय विस्तार योजना के अधीन बिहार में दक्षिण भागलपुर के लिए भी कुछ राशियां दी गयी हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह मध्य प्रदेश के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न मध्य प्रदेश के बारे में-है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या योजना आयोग के पास इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े हैं कि स्वेच्छा से किये गये काम (श्रम दान) का रुपयों में क्या मूल्य है और क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये ये आंकड़े योजना आयोग रखता है ?

श्री एस० एन० मिश्र : जी हां, हिसाब तो सदा रखा जाता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस प्रकार श्रमदान से कितने धन की बचत होती है, क्या इस सम्बन्ध में कुछ बताया जा सकता है ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह तो बड़ा व्यापक प्रश्न है । इस में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड और सामुदायिक परियोजना क्षेत्र आते हैं परन्तु जन साधारण ने काफ़ी योगदान किया है ।

विश्व बैंक ऋण

***४१४. श्री बहादुर सिंह** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने रूरकेला इस्पात कारखाने के लिए ऋण के सम्बन्ध में विश्व बैंक से प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) कोई आवेदन पत्र नहीं भेजा गया है, किन्तु विश्व बैंक के पदाधिकारियों तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच अनौपचारिक वार्ताएं हुई थीं ।

(ख) वार्ताओं से यह प्रतीत हुआ कि ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है और इसलिए उस विषय को और आगे नहीं बढ़ाया गया ।

श्री बहादुर सिंह : जब सरकार इस कारखाने के लिए ऋण प्राप्त करना चाहे, तो क्या केवल सरकारी स्रोतों से उसे प्राप्त किया जायगा अथवा अपेक्षित निधि के कुछ भाग के लिये जनता को भी अंशदान देने के लिये आमंत्रित किया जायगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : जब भी आवश्यक होगा धन सरकारी जरियों से प्राप्त किया जायगा । अभी ऐसा कोई विचार नहीं है कि इस कम्पनी की पूंजी में अंशदान देने के लिए जनता को आमंत्रित किया जाय ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार समाचारपत्रों में प्रकाशित इन समाचारों से अवगत है कि विश्व बैंक ऋण देने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि इस्पात का यह कारखाना राज्य उद्यम होने जा रहा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : हां, मैं ने वह समाचार देखा है । साधारणतया, राज्य के स्वामित्व के तथा राज्य द्वारा प्रबन्धित औद्योगिक उद्यमों के सम्बन्ध में ऋण आवेदनपत्रों को स्वीकार न करना विश्व बैंक की नीति मालूम होती है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि इंगलैंड अथवा रूस की अन्य कोई कम्पनी इस्पात कारखाना स्थापित करने में सरकार को सहायता देना चाहती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मेरा निवेदन है कि यह बिलकुल भिन्न प्रश्न है ।

अमरीकी ओटन विशेषज्ञ की यात्रा

***४१६. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी ओटन विशेषज्ञ, श्री आर० डी० कैम्पबेल, ने अभी हाल में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उन की क्या मुख्य सिफारिशें हैं; और

(ग) सरकार उन में से कौन सी सिफारिशें कार्यान्वित करने की प्रस्थापना करती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सरकार को ऐसी ही सूचना प्राप्त है ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार को यह ज्ञात है कि अनेक समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि उस ने सरकार के पास कई सिफारिशें भेजी हैं और सरकार केन्द्रीय कपास मंत्रणा समिति की सलाह पर उन को कार्यान्वित करने की प्रस्थापना कर रही है ?

श्री कानूनगो : कोई सिफारिश सरकार के पास नहीं भेजी गयी है । श्री कैम्पबेल ने समाचारपत्रों को कई सुझाव दिये हैं । अमरीकी दूतावास ने भारत सरकार को यह सूचित किया था कि श्री कैम्पबेल यात्रा करेंगे और उन्हें उचित सुविधायें दी जायें । इस कार्य के लिये जो पदाधिकारी नियुक्त किया गया था उस से उन्होंने सम्पर्क नहीं स्थापित किया ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, ऐसा मालूम होता है कि अब तक कुछ नहीं किया गया है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं एक और प्रश्न पूछना चाहती हूं । क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार इस शिकायत के कारण कि कपास ठीक से साफ नहीं की जाती है, कोई पहले सफाई करने की मशीन की स्थापना की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

श्री कानूनगो : सूचना ।

रेडियो मास

*४१७. **श्री संगण्णा** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे भारत में मनाये गये रेडियो मास की विशेष बातें क्या हैं;

(ख) इन उत्सवों पर कितना धन खर्च किया गया है; और

(ग) इस महीने में कितने नये लाइसेंस जारी किये गये ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) (क) रेडियो मास की विशेष बातें इस प्रकार थीं :—

(१) प्रसारण के घंटों में विस्तार ।

(२) अखिल भारतीय रेडियो के सभी स्टेशनों से विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण, जिस में संगीत सम्मेलन भी सम्मिलित है ।

(३) नये कलाकारों की खोज के लिए संगीत, वाद विवाद, रेडियो नाटक आदि सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं ।

(४) अधिकाधिक रेडियो-जागृति उत्पन्न करने के मुख्य उद्देश्य से समाचार-पत्रों, फिल्म तथा रेडियो से विस्तृत प्रचार ।

५) विभिन्न प्रमुख केन्द्रों में रेडियो-प्रदर्शनियां ।

(६) सामूहिक क्षेत्रों तथा बस्तियों में उपयोग के लिए रेडियो सेटों का दान ।

(७) इस महीने में नये रेडियो खरीदने वालों को विशेष रियायतें ।

(ख) तथा (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों को कितने पारितोषिक दिये गये और किन किन विषयों में यह पारितोषिक दिये गये ?

डा० केसकर : बहुत अधिक पारितोषिक दिये गये थे और अनेक प्रतियोगितायें हुई थीं ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि किन विषयों में पारितोषिक दिये गये थे ?

डा० केसकर : यह बताना बहुत कठिन है । उदाहरण के लिए अनेक विषयों पर वादविवाद हुए थे और प्रत्येक स्टेशन पर विषय बिल्कुल भिन्न भिन्न थे ।

मंडी की नमक की खानें

*४१८. **श्री हेम राज :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडी की नमक की खानों में मुख्य भंडार के लिए खोदने का कार्य किस दशा में है;

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा;

(ग) क्या मैगल, द्रांग और गुमा के नमकीन पानी से नमक बनाने और उसे शुद्ध करने के लिए कोई कारखाना स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है;

(घ) यदि हां, तो कब तक वह कार्यान्वित होगी ; और

(ङ) सारी योजना की अनुमानित लागत कितनी होगी ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) मुख्य भंडार के लिए खोदने का कार्य प्रायः पूरा हो गया है । केवल एक या दो स्थानों पर खोदना बाक़ी है ।

(ख) कार्य के मार्च १९५५ तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

(ग) प्राकृतिक नमकीन पानी केवल मैगल में ही उपलब्ध है । इस पानी को सूर्य की गर्मी से भाप बना कर नमक तैयार किया जा रहा है । मंडी की खानों की विकास योजना में ट्रांग खान का गीला खनन प्रक्रिया से चलाया जाना सम्मिलित है । ट्रांग खानों का कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् मैगल और गुमा खानों का विकास कार्य प्रारम्भ किया जायगा ।

(घ) विकास की मुख्य योजना इस शीतकाल में दो स्थानों पर मुख्य भंडार के लिए खोदे जाने वाले कार्यों का परिणाम प्राप्त होने पर प्रारम्भ की जायगी । आशा की जाती है कि तीन या चार वर्षों में यह योजना पूरी हो जायगी । अभी भी कतिपय विभागीय कार्यों को पूरा करने के लिए व्यवस्था की जा रही है जिस से कि मुख्य गीले खनन योजना में सुविधा हो ।

(ङ) ट्रांग और मैगल खानों की विकास योजना पर एक करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान किया जाता है । गुमा खानों की विकास योजना की लागत अभी नहीं निकाली गयी है ।

श्री हेम राज : मंडी के सेंधा नमक की मांग को दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार इस कार्य में शीघ्रता करेगी ?

श्री आर० जी० दुबे : अवश्य । इसी कारण इस वर्ष के मई महीने में हम ने उस जगह को देखने के लिए आस्ट्रेलिया के एक विशेषज्ञ को निमन्त्रित किया था और दिसम्बर, १९५३ में बरमाये गये कुओं से प्राप्त परिणामों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं कि नमक के निक्षेप १० वर्ष तक चलेंगे । सरकार को यह भी सलाह दी गयी है कि उस स्थान के उत्तर और दक्षिण में दो कुएं बरमाये जायें । ऐसा किया जा रहा है ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि यह तथ्य है कि मंडी में नमकीन पानी का एक सोत है और लोहे के नल न

होने के कारण उस पानी का उपयोग नहीं किया जा रहा है और वह व्यर्थ नष्ट हो रहा है ? इस सोते के पानी से कितना नमक बनाये जाने की संभावना है ?

श्री आर० जी० दुबे : उस के परिमाण का हिसाब लगाना बहुत कठिन है । मैं यह बता सकता हूं कि सोते के नमकीन पानी का उपयोग करने के लिए लोहे के नल दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री कमल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि वहां नमक की कोई खोज की जा रही है ?

श्री आर० जी० दुबे : इस के दो पहलू हैं । एक तो गीले खनन की प्रक्रिया है जिसे हम उस समय प्रारम्भ कर सकते हैं जब यह शीत ऋतु समाप्त हो जाये और कुओं के बरमाने का कार्य पूरा हो जाय । दूसरा विकास कार्य अगले वर्ष प्रारम्भ किया जायगा ।

महात्मा गांधी की समाधि

***४२१. श्री नवल प्रभाकर :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी की समाधि पर निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा; और

(ख) इस के निर्माण के लिये कितने इंजीनियरों तथा वास्तु शास्त्रियों (आर-किटेक्टों) की आवश्यकता होगी ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तब तक नहीं जब तक कि समाधि का रूपांकन सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय ।

(ख) इस दशा में यह बताना सम्भव नहीं है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो माडेल ऐप्रूव हो गया है उसी के अनुसार बनाया जाय तो इस पर कितना खर्च होगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अभी माडेल ऐप्रूव नहीं हुआ है ।

सेठ गोविन्द दास : समाधि का जो माडेल अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है उस में किन किन लोगों से राय ली जा रही है और इस के कब तक निश्चित होने की संभावना है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस के विषय में एक नई कमेटी बनाई गई है जिस में श्री डी० पी० रायचौधरी, श्री ज़ैन यार जंग, श्री रवि शंकर एन० राय, श्री सुरेन्द्र नाथ कर, श्री जी० एच० कम्बाइगल, ललित कला अकैडेमी के एक प्रतिनिधि और मिनिस्ट्री के दो नुमाइन्दे हैं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस कमेटी में वार्धा की संस्थाओं के किन्हीं प्रतिनिधियों को रखा गया है, और यदि नहीं तो इस का क्या कारण है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अगर कोई खास नाम माननीय मेम्बर को सूझे तो वह बता दें, उस से भी राय ले ली जायेगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या मैं जान सकता हूं कि गवर्नमेन्ट की राय में कब तक यह माडेल पास हो जायेगा क्योंकि चार वर्ष तो हो गये ?

सरदार स्वर्ण सिंह : माडेल ही पास होना ज्यादा मुश्किल है, पास हो जाने के बाद बनने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसमें क्या दिक्कतें हैं ?

भारत में पुर्तगाली बस्तियां

***४२४. श्री गिडवानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस स्थिति का परीक्षण और उस पर विचार किया है जो

पुर्तगाली संकेन्द्रीकरण तथा जहाजों की सैनिक ढंग की गतिविधियों से उत्पन्न हुई है और जिस के परिणामस्वरूप हमारे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारों का उल्लंघन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ; और

(ग) ऐसे उल्लंघनों के विरुद्ध क्या उपाय किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). सरकार को ज्ञात है कि पुर्तगाली अधिकारियों ने भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों में अपनी रक्षा सेनाओं में पर्याप्त वृद्धि की है। सेना की इस वृद्धि तथा उन के जहाज़ों की गतिविधि ने हमारे किन्हीं अधिकारों का उल्लंघन किया है अथवा नहीं यह प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) भारत के हितों की रक्षा में भारत सरकार उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

श्री गिडवानी: क्या सरकार को ज्ञात है कि "तिमूर" तथा "सेरपापिन्टो" समुद्री जहाज बहुत अधिक शस्त्रास्त्र, बहुत से शिल्प-शास्त्री और अन्य साधन सामग्री लाये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि हम को ज्ञात है कि भारत की पुर्तगाली बस्तियों के शस्त्रादि तथा उपकरण तथा सेनाओं में हाल में बहुत वृद्धि हुई है।

श्री जेठालाल जोशी: क्या भारत सरकार के पुर्तगाली सरकार के साथ कोई व्यापारिक सम्बन्ध हैं, तथा गोआ, ड्यू तथा डामन के सम्बन्ध में रेलवे, बन्दरगाह, डाक, तार तथा टेलीफून के बारे में किसी प्रकार के समझौते हैं तथा क्या सरकार जहां तक इन समझौतों का सम्बन्ध है असहयोग जैसे प्रतिबन्धों का उपयोग करेगी ?

श्री अनिल के० चन्दा : स्पष्ट ही भारत की पुर्तगाली बस्तियों के साथ हमारे व्यापारिक तथा अन्य प्रकार के सम्बन्ध हैं, परन्तु क्या हम असहयोग की नीति का पालन करेंगे यह दूसरी बात है।

भाखड़ा नंगल परियोजना

*४२५. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५२ में भाखड़ा नंगल परियोजना के आयोजन तथा भावी प्रशासन के लिये एक संविहित प्राधिकार स्थापित करने की कोई प्रस्थापना रखी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या अब इस परियोजना के लिये ऐसा कोई प्राधिकार बनाने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां।

(ख) यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या वर्तमान भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड भाखड़ा नंगल बांध के प्रशासन सम्बन्धी सारे प्रश्नों को प्रभावपूर्ण ढंग से तथा कुशलतापूर्वक हल कर सका है ?

श्री हाथी : भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड को सभी अपेक्षित शक्तियां प्राप्त हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उन सब शक्तियों के होते हुए भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड उन सब प्रश्नों को जो कि उत्पन्न हुए प्रभावपूर्ण ढंग से तथा कुशलतापूर्वक हल कर सका है ?

श्री हाथी : भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड उन सब प्रश्नों को संतोषपूर्ण ढंग से हल कर सका है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार को ज्ञात है कि जहां तक इस बांध का सम्बन्ध है बहुत बड़ी बड़ी धन राशियों का दुरुपयोग किया गया तथा उन को नष्ट किया गया है ?

श्री हाथी : मेरा विचार है कि सरकार के पास यह तथ्य तो नहीं है परन्तु इस में कोई सन्देह नहीं कि दुर्विनियोग के कुछ मामले अवश्य हुए थे ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार ने इस का अनुमान करने का कोई प्रयत्न किया है कि नदी घाटी योजनाओं को कार्यान्वित करने में संविहित निगम अधिक अच्छा काम कर सका है या नियंत्रण बोर्ड ?

श्री हाथी : वास्तव में यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री बी० के० दास : क्या हीराकुड बांध के सम्बन्ध में भी इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है क्योंकि वहां भी नियंत्रण बोर्ड है ?

श्री हाथी : हीराकुड का प्रश्न भाखड़ा नंगल से भिन्न है । हीराकुड का सम्बन्ध केवल एक राज्य से है जब कि भाखड़ा का सम्बन्ध एक से अधिक राज्यों से है ।

विस्तार कार्यक्रम

*४२६. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री पंच वर्षीय योजना के १९५३–५४ के प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ १५६ की कंडिका २८ का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि फ़र्टीलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स (त्रावनकोर) लिमिटेड तथा भारतीय एल्यूमीनियम निगम द्वारा अपने प्रस्तावित उत्पादन को दूना कर देने की परियोजना की विस्तृत प्रस्थापनायें प्रस्तुत किये जाने में असमर्थ होने के कारण क्या हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस के परिणाम क्या निकले ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) फ़र्टीलाइज़ एण्ड केमिकल्स (त्रावनकोर) लिमिटेड तथा भारतीय एल्यूमीनियम निगम दोनों ही ने अपनी क्षमता को दुगना करने से सम्बन्धित अपनी प्रस्थापनायें प्रस्तुत कर दी हैं ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री वी० पी० नायर : मेरी समझ में नहीं आया कि यह किस प्रकार से मेरे प्रश्न का उत्तर हो सकता है, क्यों कि मैं ने विशेष रूप से पंचवर्षीय योजना के प्रगति प्रतिवेदन की एक कंडिका विशेष के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था जिस में कहा गया है कि प्रस्थापनायें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं । यदि प्रस्थापनायें प्राप्त हो चुकी हैं तो क्या वे इस पुस्तक के प्रकाशित होने के पश्चात प्राप्त हुई थीं ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : वास्तव में स्थिति ऐसी ही है जैसी कि मेरे माननीय मित्र ने बतायी है । इन दोनों संयंत्रों से प्रस्थापनायें हमारे पास आई थीं । एक में कुछ विस्तार कार्य हो भी रहा है तथा और अधिक विस्तार करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है तथा उन को बता दिया गया है कि—वे विशेष रूप से एल्यूमिनियम के उत्पादन में विस्तार करना चाहते हैं—उन को शीघ्र ही अनुज्ञा मिल जायेगी परन्तु कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिन का हल करना आवश्यक है और जिन को केवल वही लोग हल कर सकते हैं । फ़र्टीलाइज़र्स के सम्बन्ध में, हम ने इस मामले की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है, और उक्त समिति ने प्रगति कार्यक्रम की सूचना दी है । सरकार उन से उन प्रस्थापनाओं पर कार्य करने को कहने का विचार करती है । हो सकता है कि धन का अभाव भी एक बाधा के रूप में सामने आवे । ऐसी अवस्था में सरकार कहां तक सहायता कर सकती है यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री वी० पी० नायर : बात यह नहीं है। प्रगति प्रतिवेदन में यह स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि १९५३–५४ के अन्त तक प्रायः सभी बड़ बड़े उद्योगों से आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं तथा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत अनुज्ञप्तियां दी जा चुकी हैं। दो महत्वपूर्ण अपवाद बताये गये हैं, एक त्रावनकोर फ़र्टीलाइज़र्स ऐण्ड केमिकल्स है तथा दूसरा भारतीय एल्यूमिनियम निगम लिमिटेड है। यह कहा गया है कि उन्होंने अपनी प्रस्थापनायें नहीं भेजी हैं या उन की प्रस्थापनायें सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रगति प्रतिवेदन में जो बात कही गई है क्या वह ठीक है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य को मैं वही बता सकता हूं जो मैं जानता हूं। किसी अन्य बात से उस का सम्बन्ध क्या है यह मैं नहीं बता सकता हूं। वास्तव में स्थिति यह है कि आज हमारे पास उन की प्रस्थापनायें हैं, और एक सार्थ की प्रस्थापनायें अंशतः स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा उस सार्थ विशेष से अग्रेतर प्रस्थापनायें भेजने को कहा गया है, और उस को बता दिया गया है कि उस को अनुज्ञप्तियां दे दी जायेंगी। फ़र्टीलाइज़र्स के संबंध में मैं बता चुका हूं कि मामला विचाराधीन है।

श्री वी० पी० नायर : मैं किसी और बात का जवाब नहीं चाहता हूं। मैं ने अपना प्रश्न विशिष्ट रूप से प्रगति प्रतिवेदन की एक कंडिका विशेष में दिये गये एक कथन के सम्बन्ध में पूछा है। यदि वह ग़लत है तो कह दिया जाये कि जो बात कही गई है वह ग़लत है।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। दोनों ही बातें कही जा सकती हैं।

श्री वी० पी० नायर : वह तो कुछ और ही कह रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : उन को इस उत्तर से संतुष्ट हो जाना चाहिये।

श्री वी० पी० नायर : ऐसा नहीं हो सकता है जब तक कि.....

अध्यक्ष महोदय : वह एक और प्रश्न की सूचना दे सकते हैं।

सद्भावना मण्डल

*४२७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में सरकार द्वारा विदेशों को भेजे गये सद्भावना मंडलों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन मण्डलों ने किन किन देशों का दौरा किया ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) एक हाकी तथा एक फुटबाल टीम के अतिरिक्त तीन सरकारी तथा दस ग़ैर सरकारी सद्भावना मण्डल।

(ख) अफ़गानिस्तान, अर्जेन्टाइना, बेल्जियम, बोलीविया, ब्राज़ील, बृटिश गियाना, बृटिश पश्चिमी द्वीप समूह, ब्रह्मा, कनाडा, लंका, चिली, कोलम्बिया, ज़ेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, इंगलिस्तान, फ्रांस, हिन्देशिया, इटली, जमैका, मैक्सिको, नीदरलैण्ड्ज़, पाकिस्तान, पोलैण्ड, पेरू, साउदी अरब, स्वीडन, टर्की, अमरीका तथा रूस।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : १९५४ में सरकार ने इन सद्भावना मण्डलों पर कुल कितना रुपया खर्च किया ?

श्री अनिल के० चन्दा : सामान्य रूप से हमें केवल आने जाने का खर्च तथा कुछ प्रासंगिक व्यय ही करना पड़ा है। अन्य सुविधायें तो अधिकतर उन देशों द्वारा ही दी जाती हैं जहां यह सद्भावना मण्डल जाते हैं। स्वास्थ्य उपमंत्री, श्रीमती चन्द्रशेखर के

नेतृत्व में गये सद्भावना मण्डल के लिये सरकार ने १,७५,००० रुपया मंजूर किया था । अन्य सभी सद्भावना मण्डलों से सम्बन्धित आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । फिर भी, यदि अलग से एक प्रश्न की सूचना दी जाये तो हम जानकारी दे देंगे ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : बाहरी देशों को सद्भावना मण्डल भेजने का अभिप्राय क्या है ?

श्री अनिल के० चन्दा : अपने देश तथा उन देशों के मध्य सद्भावना उत्पन्न करना ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या इन सब मण्डलों से सद्भावना सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : हां ।

वस्त्र जांच समिति

*४२८. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र जांच समिति की कौन सी सिफ़ारिशें स्वीकृत की गई हैं;

(ख) उन को कार्यान्वित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) इन सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में सरकार के विचार क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

श्री संगण्णा : प्रतिवेदन पर विचार करने में कितना समय लगेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं बहुत विनम्र निवेदन करना चाहत हूं कि माननीय सदस्य प्रतिवेदन को पढ़ लें । साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस का भी प्रबन्ध किया गया है कि इस सभा के माननीय सदस्यों के पास प्रतिवेदन की प्रतियां भेजी जायें । वे देखेंगे कि इन सिफ़ारिशों में कितनी कठिनाइयां हैं । इस प्रतिवेदन में जितनी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया गया है उसी के अनुसार इस पर विचार करने में समय भी लगेगा ।

बेकारी का पर्यवेक्षण

*४२९. **श्री डाभी** : क्या **योजना** मंत्री ३ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोग के रूप में २३ नगरों का जो बेकारी का न्यादर्श पर्यवेक्षण किया गया था उस का प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन नगरों में बेकारी की क्या स्थिति है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) नहीं । भारतीय सांख्यिकीय संस्था उस की जांच कर रही है, और आशा है कि दिसम्बर, १९५४ के अन्त तक प्रतिवेदन तैयार हो जायगा ।

(ख) परिणाम की प्रतीक्षा है ।

श्री डाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है?

श्री एस० एन० मिश्र : नहीं श्रीमान् । परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है । क्योंकि विषयों का विश्लेषण किया जा रहा है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतिवेदन में बेकारों की कुल संख्या ही होगी या बेकारों की विभिन्न श्रेणियां भी दी जायेंगी ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह तो भविष्य में एक पूर्णरूपेण अनुसंधान करने के लिये तथा उचित विधियों के विकास के लिये एक प्रारम्भिक अध्ययन मात्र था । इस का उद्देश्य

प्राक्कलन प्राप्त करना नहीं था क्योंकि ज्ञात होगा कि जो नमूने लिये गये हैं वे इस उद्देश्य के लिये बहुत छोटे हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं जान सकता हूं कि क्या इस पर्यवेक्षण का सम्बन्ध केवल शिक्षित बेकारों से है या अशिक्षित बेकारों से भी है ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह पर्यवेक्षण ५०,००० की आबादी से अधिक वाले २३ नगरों में किया गया था । यह केवल शिक्षित बेकारों तक ही सीमित नहीं था ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में विदेशी विशेषज्ञ

*४३०. **चौ० रघुवीर सिंह :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जालहाल्ली की हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड कम्पनी में सरकार को कारखाना चलाने तथा भारतीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण देने के लिये काफी अधिक संख्या में विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो कितनों की आवश्यकता है; और

(ग) इन विशेषज्ञों पर प्रति वर्ष कितना व्यय होगा ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) और (ख). जहां तक उन बड़े औज़ारों का सम्बन्ध है जिन की उक्त कारखाने में बनाये जाने की प्रस्थापना है, उन के लिये परियोजना की प्रारम्भिक अवस्था में लगभग ८५ विदेशी प्रविधिविज्ञ नियुक्त करने का निश्चय किया गया है । उत्पादन कार्यों में कार्य करने के साथ साथ वे भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देंगे । प्रशिक्षण योजना की प्रगति के साथ साथ विदेशी विशेषज्ञों का स्थान भारतीय ग्रहण करते जायेंगे और इस प्रकार विदेशियों की संख्या क्रमशः कम होती जायगी ।

(ग) लगभग १८ लाख रुपये ।

चौ० रघुवीर सिंह : मैं जान सकता हूं कि कब तक भारतीय विशेषज्ञ इन विदेशियों का स्थान ग्रहण कर सकेंगे?

श्री आर० जी० दुबे : आशा की जाती है कि दस वर्ष के भीतर ८५ प्रतिशत स्थान भारतीय ग्रहण कर सकेंगे ।

श्री केशवैयंगार : इस समय इस कारखाने में कितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : मैंने कहा है कि उन की संख्या लगभग ८५ है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि जो विशेषज्ञ मशीन टूल फ़ैक्टरी में काम कर रहे थे क्या उन को उस कारखाने के स्थान पर इस नये कारखाने के संस्थापन के बाद सेवा आयुक्त कर लिया गया है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर बंगलौर में १९५० में चर्चा हुई थी और गैर-सरकारी उद्योग तथा सरकारी मशीन टूल फ़ैक्टरी में यह तय हुआ था कि सरकार अपने उत्पादन को इस प्रकार आयोजित करेगी जिस से कि गैर सरकारी उद्योग को कोई हानि न हो अथवा कोई बेकारी न हो ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि कारखाने में काम कर रहे अधिकतर विशेषज्ञ ३० वर्ष से कम आयु के हैं, और क्या यह सच नहीं है कि इन में से अधिकतर विशेषज्ञ कम्पनी द्वारा भेजे गये हैं और उन्हें विशेषज्ञ के रूप में स्वीकार करने से पूर्व सरकार ने उन के सम्बन्ध में और कोई पूछताछ नहीं की है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : मैं ने इन में से कुछ विशेषज्ञों को देखा है, और

वे तरुण प्रतीत होते हैं, किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि उन की आयु तीस वर्ष से अधिक है या कम; मैं उन की आयु के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं। किन्तु जहां तक इन छांटे गये व्यक्तियों का सम्बन्ध है, इस में कोई सन्देह नहीं कि ओयर-लिकन्स फ़ैक्टरी ने उन की सिफ़ारिश की थी। उन की योग्यताओं की भी जांच की गई थी, और हमारे विशेषज्ञों के परामर्शों के बाद, इन व्यक्तियों को छांटा गया है।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि इन वर्षों में इन व्यक्तियों की विशेषज्ञ योग्यताओं और फ़ैक्टरी में कार्य कर रहे सभी व्यक्तियों से सम्बन्धित अन्य बातों के विषय में सरकार का क्या अनुभव रहा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : उन में से कुछ अच्छे रहे हैं, और कुछ संतोषजनक स्तर के नहीं पाये गये हैं। वास्तव में हमें उन में से एक दो को तो विदा करना पड़ा था और शायद हमें कुछ औरों को भी वापस भेजना पड़े। किन्तु हम यह कह सकते हैं कि साधारणतया हम उन के काम से सन्तुष्ट हैं।

श्री वी० पी० नायर : कितनों को वापस भेज दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : एक या दो को।

ऋण की वसूली

*४३१. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री ८ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६३८ के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण की कण्डिका १० का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दामोदर घाटी निगम ने मेसर्स हिन्द कन्सट्रक्शन लिमिटेड और मेसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दिये गये अधिक भुगतान की रक़म की वसूली के लिये कोई कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : दामोदर घाटी निगम उन ठेकेदारों से लिखा पढ़ी कर रहा है और अभी परिणाम की प्रतीक्षा है।

श्री विश्वनाथ राय : मैं जान सकता हूं कि क्या इन समवायों को सरकार द्वारा यह जान लिये जाने के बाद भी कि उन को अधिक भुगतान कर दिया है कोई ठेका दिया गया है ?

श्री हाथी : मेरे विचार से कोई नया ठेका नहीं दिया गया है।

नगरपालिका कर

*४३२. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **प्रधान मंत्री** २४ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३१८ के उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क में स्थित भारत सरकार की इमारतों पर नगरपालिका कर के सम्बन्ध में क्या भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच कोई समझौता हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह समझौता किस प्रकार का है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). नहीं। यह विषय अभी तक चर्चाधीन है।

श्री तुषार चटर्जी : मैं जान सकता हूं कि हमारे देश में स्थित अमरीकी सम्पत्ति पर कितना नगरपालिका-कर निर्धारित किया गया है, और अमरीका में स्थित हमारी सम्पत्ति पर कितना कर निर्धारित किया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे सम्बन्धित सम्पत्तियों का मूल्य ज्ञात नहीं है।

उर्वरक के कारखाने

*४३४. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या उत्पादन मंत्री ३१ अगस्त, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३२ के उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और उर्वरक कारखानों की स्थापना के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो नवीन कारखाने किन स्थानों पर बनाये जायेंगे ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) नवीन कारखानों का स्थान निर्धारण उर्वरक उत्पादन जांच समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने के पश्चात किया जायेगा । इस समिति को नवीन क्षमता की स्थापना से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने तथा सिफारिशें करने के हेतु बनाया गया है । उत्पादन मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० वाई० १-१७(१)/५४, दिनांक २९ अक्तूबर, १९५४ जो उसी दिन के भारतीय सूचना पत्र असाधारण (गज़ट ऑफ़ इंडिया एक्सट्राआर्डिनरी) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट २, अनबन्ध संख्या ५३]

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि और अधिक अमोनियम सल्फेट बनाने अथवा उर्वरक का कोई अन्य मिश्रण बनाने का विचार है ?

श्री के० सी० रेड्डी : हमारा विचार नाइट्रोजिनस उर्वरकों के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने का है । इस में निस्सन्देह अमोनियम सल्फेट भी आता है परन्तु उस में डबल साल्ट तथा नाइट्रो-चॉक भी आता है ।

श्री कर्णी सिंहजी : जहां तक नवीन कारखाने की स्थिति का सम्बन्ध है, क्या मैं आशा कर सकता हूं कि राजस्थान के पक्ष में विचार किया जायेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : सभी उपयुक्त मामलों पर पूर्णतया विचार किया जायेगा ।

श्री तिम्मय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री से ऐसा कोई प्रतिनिधित्व किया गया है कि प्रस्तावित कारखानों को देश के दक्षिणी भाग में स्थापित किया जाये ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन किये गये हैं कि प्रस्तावित कारखाना देश के केवल दक्षिणी भाग में ही नहीं प्रत्युत उत्तरी, पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में भी स्थापित किया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों में कार्य करने के लिये कोई सुझाव नहीं होने चाहियें और न यह कहा जाना चाहिये कि अमुक स्थान छांटा जाना चाहिये अथवा अमुक स्थान नहीं छांटा जाना चाहिये ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : ऐसे कितने कारखाने स्थापित करने की प्रस्थापना है, तथा कितनी लागत पर ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह मैं अभी नहीं बता सकता हूं । इसी कार्य तथा कुछ अन्य कार्यों के लिये ही इस समिति को नियुक्त किया गया है । यह समिति सभी पहलुओं पर विचार करेगी तथा सुझाव देगी कि कितने कारखाने स्थापित किये जाने को हैं, उन की क्षमता कितनी होनी चाहिये तथा इसी प्रकार की अन्य बातों पर वह समिति विचार करेगी ।

श्री जयपाल सिंह : जहां कच्चा माल प्राप्य है उन स्थानों पर सरकार को इन उर्वरक कारखानों की स्थापना करने से कौन से विशेष कारण रोकते हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह एक बहुत ही व्यापक प्रश्न है जिस का उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता हूं ।

शुद्ध की हुई स्पिरिट

*४३५. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सरकार द्वारा शुद्ध स्पिरिट के निर्माण का एकाधिकार अपने हाथ में ले लिये जाने के कारण बहुत से औषधि निर्माताओं को धक्का पहुंचा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बम्बई के औषधि उद्योग को उस की शुद्ध स्पिरिट सम्बन्धी आवश्यकताओं को और अधिक सस्ती दरों पर प्राप्त करने में सहायता देने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). औषधि जांच समिति को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। बम्बई राज्य सरकार के परामर्श से उन की जांच की जा रही है।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि बम्बई सरकार द्वारा निर्मित शुद्ध स्पिरिट का संभरण अन्य राज्यों के दूसरे निर्माताओं द्वारा बनाई गई स्पिरिट की अपेक्षा बहुत अधिक ऊंची दरों पर किया जाता है ?

श्री करमरकर : इस के लिए मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि बम्बई के अन्य निर्माता, जोकि शुद्ध स्पिरिट बनाते रहे थे, बार बार यह शिकायत करते रहे हैं कि उन को अपने निजी कार्य के लिये भी शुद्ध स्पिरिट उस से भी ऊंचे मूल्य पर क्रय करनी पड़ती है जितने पर कि वह अपने काम के लिये अपने कारखानों में बना कर उसे प्राप्त कर सकते थे ?

श्री करमरकर : मुझे इन शिकायतों की जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री संगण्णा कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे। वे प्रश्न कौन कौन से हैं ?

श्री संगण्णा : प्रश्न संख्या ४०९ तथा ४३३ ।

हीराकुड बांध क्षेत्र में मिट्टी का कटाव

*४०९. **श्री संगण्णा (श्री सारंगधर दास के स्थान पर):** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री ७ अप्रैल, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुड बांध के तास क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या सरकार ने कोई कार्यवाही, यदि कोई, की है ? और

(ख) क्या तास क्षेत्र में जंगल लगाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). वर्तमान स्थिति को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५४] ।

महानदी परियोजना

*४३३. **श्री संगण्णा (श्री सारंगधर दास के स्थान पर) :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी के पुल के निर्माण पर हुए व्यय को विभिन्न विभागों में बांट दिया गया है;

(ख) क्या इस विषय में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सम्मति ली गई थी; और

(ग) क्या लोक लेखा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में की गई इस सिफारिश को "कि इस व्यय का कोई भी भाग, चाहे वह निर्माण व्यय के अंश के रूप में हो अथवा उस पर हुए

पूंजी व्यय के सूद के रूप में हो हीराकुड बांध परियोजना के लेखे में नहीं डाला जाना चाहिये", सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जी नहीं ।

(ख) मंत्रालयों में व्यय के बंटवारे को अन्तिम रूप दिये जाने से पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सम्मति प्राप्त कर ली जायेगी ।

(ग) सरकार अभी विषय की जांच कर रही है ।

श्री संगण्णा : क्या मैं इस विषय के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार के विचार जान सकता हूं ?

श्री हाथी : यह प्रश्न केन्द्र के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा तय किया जाने को है ।

टाइपराइटर

*४११. **श्री तुलसीदास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४० के उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाइपराइटरों के निर्माण के सम्बन्ध में विभिन्न सार्थों द्वारा भेजो गई योजनाओं की जांच की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को कितने सार्थों ने पूरा किया है तथा उन में से किन को टाइपराइटर बनाने की अनुमति दे दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) योजनाओं की अभी जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री तुलसीदास : क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी विदेशी पूंजी के इस देश में विनियोजित करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : योजनाओं की जांच की जा रही है । इस प्रकार के ब्यौरे प्राप्य नहीं हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या इन में से कोई सार्थ हिन्दी टाइपराइटर बनाने का कार्य प्रारम्भ करने को है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उन्हें पहले श्रीगणेश करना होगा । लेटने से पहले आप को बैठना पड़ेगा । यदि वे टाइपराइटर बनायेंगे तो संभव है कि वे हिन्दी के टाइपराइटर भी बनायें क्योंकि इन का बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग को भेजे गये भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिवेदन

*३९९. **श्री एस० एन० दास** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल संसाधन विकास के सम्बन्ध में टोकियो में हुए एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग सम्मेलन में भेजे गये भारतीय शिष्ट मंडल के प्रतिवेदन पर तथा सम्मेलन में किये गये निर्णयों तथा स्वयं सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों समेत विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन से प्रधान निश्चय हैं जिन को लागू करने के लिये सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग के सचिवालय से सम्मेलन के अन्तिम प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है । इस बीच प्रारूप

प्रतिवेदन की जांच की जा रही है अभी तक कोई निश्चय नहीं किये गये हैं ।

लिपिकों के लिये निवास गृह

*४०३. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **निर्माण आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय में कार्य करने वाले लोअर तथा अपर डिवीज़न लिपिकों के लिये १९५४ में अब तक दिल्ली में कितने निवास गृहों का निर्माण किया गया है; और

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) केवल केन्द्रीय सचिवालय में कार्य करने वाले लोअर तथा अपर डिवीज़न लिपिकों के लिये कोई निवास गृह निर्मित नहीं किये गये हैं । परन्तु नई दिल्ली में १५० रुपये से कम पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए १९५४ में १२८ फ्लैटों का निर्माण किया गया है ।

(ख) लगभग ८,३९,००० रुपये ।

चल निष्क्रान्त सम्पत्तियों की खुदाई

*४०५. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान में किसी भी स्थान पर विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी हुई दबी चल निष्क्रान्त सम्पत्ति की खुदाई का कार्य पूरा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम जहां ऐसे खुदाई के कार्य पूरे हो चुके हैं; और

(ग) क्या खोद कर निकाली गई सम्पत्तियां ठीक पाई गई हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (ग). भूमि में दबाई गई निधियों की प्राप्ति का कार्य अभी हाल ही में प्रारम्भ किया गया है और अभी तक छै ऐसे कार्य पूरे किये गये हैं । चार मामलों में, दिल्ली तथा लाहौर में दो दो, सिक्के तथा करेन्सी नोट इत्यादि पाये गये । क्वेटा (ब्लूचिस्तान) तथा शिकारपुर (सिन्ध) में किये गये दो खुदाई कार्यों में कुछ भी नहीं मिला ।

स्पष्ट कारणों से आवेदकों से उन स्थानों के, जहां खुदाई कार्य किये जाने को हैं, उस समय तक नाम बताने को नहीं कहा गया था जब तक कि खुदाई कार्य प्रारम्भ न हो जाये । जब तक कि खुदाई का सारा कार्य खत्म न हो जाये यह बताना सम्भव नहीं है कि किसी स्थान विशेष पर किया जाने वाला खुदाई सम्बन्धी कार्य पूरा हो गया है ।

सोडा एश संयंत्र

*४१३. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २६ अगस्त, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १६९ के सम्बन्ध में पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या और अधिक सोडा एश फैक्टरियां स्थापित करने की प्रस्थापना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां स्थापित की जायेंगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) दो फक्टरियों, एक पोरबन्दर (सौराष्ट्र) और दूसरी तूतीकोरन (दक्षिण भारत) में, स्थापित करने की प्रस्थापना है । संभव है कि एक तीसरी फ़ैक्टरी बिहार में भी स्थापित की जाये ।

मैंगनीज़ अयस्क

*४१५. **श्री टी० के० चौधरी :** (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या

१००० के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष की तत्स्थानी अवधि की तुलना में मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात उस पर लगे निर्यात शुल्क के हटाये जाने के बाद से किस सीमा तक बढ़ गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात उस पर से १८-८-५४ को हटाये गये निर्यात शुल्क के पश्चात् सितम्बर मास में ६८,००० से बढ़ कर ११५,००० टन हो गया है । जुलाई–अगस्त और सितम्बर, १९५४ में तथा पिछले वर्ष की तत्स्थानी अवधि में हुए मैंगनीज़ अस्यक के निर्यात को दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५५**]

पैनिसिलीन का कारखाना

*४२०. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैनिसिलीन के कारखाने के निर्माण कार्य में हुई प्रगति;

(ख) क्या यह सच है कि निर्माण कार्य की प्रगति अनुसूची से बहुत पीछे है ;

(ग) यदि हां, तो इस के कारण; तथा

(घ) अग्रेतर विलम्ब को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने की प्रस्थापना है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) पैनिसिलीन फ़ैक्टरी के निर्माण कार्य की प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५६**] । उत्पादन के लिये अपेक्षित भवनादि बन चुके हैं और संयंत्र तथा मशीनरी की स्थापना के कार्य के अगले मास के अन्त से पहले ही पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

(ख) तथा (ग) . परीक्षात्मक रूप से यह निश्चित किया गया था कि उत्पादन के प्रारम्भ होने की साक्ष्य तिथि गत वर्ष की १ दिसम्बर थी । परन्तु निर्माण कार्य तथा संयंत्र और मशीनरी के प्राप्त होने में हुई देरी के कारण इस तिथि को पुनरीक्षित करना पड़ा था । इस विलम्ब में निर्माण कार्य के लिये अपेक्षित सारभूत वस्तुओं जैसे इस्पात के मिलने में तथा भवनों तथा संयंत्र और मशीनरी के सम्बन्ध में विशिष्टाओं को अन्तिम रूप देने में हुई देरी भी सम्मिलित है ।

(घ) सरकार ने सदैव ही सारभूत वस्तुओं के संभरण को सुविधाजनक तथा अविलम्बनीय बनाने तथा आयोजन और निर्माण कार्य की गति को तेज़ करने के लिये अपेक्षित कार्यवाही की है । जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, भवन के निर्माण का कार्य तथा पैनिसिलीन के उत्पादन के लिये अपेक्षित संयंत्र तथा मशीनरी की स्थापना का कार्य अब प्रायः पूरा हो गया है ।

ट्रैक्टर

*४२२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिये कोई फ़ैक्टरी है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में कोई फ़ैक्टरी स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५७**]

सिन्दरी के कारखाने में उत्पादन

*४२३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री सिन्दरी के कारखाने में

विशेष रूप से प्रारम्भिक अवस्था में जो कम उत्पादन हुआ था, उसे ध्यान में रखते हुए, अब वृद्धि के कारण बताने की कृपा करेंगे ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५८]।

सूती वस्त्रों के कारखाने

*४३६. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती वस्त्रों के कारखानों के मालिकों की ओर से सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह वैसे कारखानों की हालतों की जांच के लिये आयोग नियुक्त करे जो कि पिछले कुछ वर्षों से हानि में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस दिशा में सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारतीय आर्थिक प्रतिनिधि मण्डल

*४३७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आर्थिक प्रतिनिधि मण्डल का कुछ समय पूर्व पोलैण्ड जाने का क्या प्रयोजन था;

(ख) क्या प्रतिनिधिमंडल वापस लौट आया है;

(ग) क्या सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (घ). सम्भवतः माननीय सदस्य उस औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी प्रतिनिधि-मण्डल का निर्देश कर रहे हैं जो अभी हाल ही में रूस और पोलण्ड भेजा गया था । प्रतिनिधि-मण्डल को भारत सरकार ने दोनों देशों की सरकारों के निमंत्रण पर रूस और पोलण्ड के उद्योग तथा कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में विकास का अध्ययन करने के लिये भेजा था ।

इस प्रतिनिधिमण्डल के कुछ सदस्य अभी भारत लौट कर नहीं आये हैं । प्रतिनिधि मण्डल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

मोटर गाड़ियां

३५८. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित मोटर गाड़ियों के नवीनतम विक्रय मूल्य क्या हैं : —(१) हिन्दुस्तान १४, (२) स्टुडीबेकर कार, (३) स्टुडीबेकर ट्रक, (४) फ़ायट ११००, (५) डाज/डी सोटो/प्लाईमाउथ कारें, (६) डाज/डी० सोटो अथवा फारगो ट्रक, (७) स्टण्डर्ड ८', (८) स्टैंडर्ड वैनगार्ड, (९) लीलैण्ड ५ टन डीज़ल ट्रक तथा (१०) विलीज़ जीप; और

(ख) उपरोक्त में से प्रत्येक के मूल्य में कितनी (१) मजदूरी (२) आयात किये गये कच्चे माल का मूल्य, (३) स्थापना पर उपरि व्यय, (४) विनियोजित पूंजी पर ब्याज, (५) लाभ तथा (६) प्रबन्ध अभिकर्ता के कमीशन की राशि लगाई गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५९)।

(ख) सरकार के पास यह जानकारी नहीं है ।

सरकारी कार्यालयों का स्थानान्तरण

३५९. **श्री हेम राज :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री ८ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस के बाद केन्द्रीय सचिवालय के कुछ कार्यालयों का दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन कार्यालयों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन का स्थानान्तरण कहां किया जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं; अभी तक नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अल्मोनियम के कारखाने

३६०. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में अल्मोनियम के कितने कारखाने चल रहे हैं तथा उन की अधिष्ठापित क्षमता क्या है;

(ख) इस समय कौन-कौन सी वस्तुएं बनाते हैं तथा इन की अधिष्ठापित क्षमता कब तक पूरी होगी;

(ग) क्या सरकार का कोई और अल्मोनियम का कारखाना खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो यह कारखाना कहां और कब लगाये जाने की सम्भावना है;

(ङ) देश में अल्मोनियम की वार्षिक खपत कितनी है तथा प्रति वर्ष की वृद्धि का औसत प्रतिशत क्या है; और

(च) क्या यह सच है कि इस उद्योग को जो संरक्षण मिला हुआ है, वही इस की धीमी उन्नति का कुछ अंश तक कारण है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत में अल्मोनियम के दो कारखाने हैं जिन की वार्षिक उत्पादन क्षमता ७,००० टन अल्मोनियम तथा ११,००० टन चादरें, गोले तथा पट्टियां हैं ।

(ख) अव्यवहृत अल्मोनियम के टुकड़े; अल्मोनियम की चादरें; व्यापारिक किस्म के गोले और पट्टियां और अल्मोनियम मिश्रित धातु की चादरें । फ़र्मों ने अपने उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह पहले ही पूरा हो चुका है ।

(ग) नहीं श्रीमान् । अल्मोनियम उद्योग का विकास गैर-सरकारी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) इस समय देश में अल्मोनियम की वार्षिक खपत का अनुमान १६,००० टन तक है । अल्मोनियम के सभी सुवाहकों तथा ए० सी० एस० आर० के तार निर्माताओं द्वारा विस्तार का जो कार्यक्रम बनाया गया है उस से यह आशा की जाती है कि अल्मोनियम की आवश्यकता १९५५–५६ तक दो से तीन हजार टन तक और बढ़ जायेगी । क्योंकि उत्पादन का स्तर समय समय पर उन इंजीनियरिंग उद्योगों की मांगों से निर्धारित किया जाता है जिन में इस की खपत होती है, अतः प्रति वर्ष की वृद्धि का ठीक ठीक औसत प्रतिशत बताना संभव नहीं है ।

(च) नहीं, श्रीमान । इस के विपरीत, स्वदेशी उद्योग केवल संरक्षण के कारण ही जीवित रह सका है और अपने विस्तार कार्य क्रम का पहला क्रम पूरा कर सका है ।

निष्क्रान्त सम्पत्ति का लौटाया जाना

३६१. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : श्री गिडवानी :**

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधि-नियम की धारा १६ के अन्तर्गत अब तक निष्क्रान्त सम्पत्ति लौटाने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इन आवेदन पत्रों पर क्या कार्य-वाही की जा रही है और इन से प्रतिकर कोष संभवत: कितना कम हो जायगा ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जैसा कि २९-९-१९५४ को श्री पी० एल० बारूपाल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४९९ के भाग (क) के उत्तर में बताया गया था अभी जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जब तक सारे आवेदन पत्रों का निबटारा न हो जाये, यह नहीं बताया जा सकता कि निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधि-नियम की धारा १६ के अन्तर्गत सम्पत्तियों को लौटाने से, प्रतिकर कोष पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा ।

क्रोम की कच्ची धातु

३६२. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात की पुनरीक्षित नीति के बाद क्रोम की कच्ची धातु के निर्यात के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस प्रकार के निर्यात के लिये अब तक कितनी अनुज्ञप्तियां दी जा चुकी हैं;

(ग) देश में इस की कच्ची धातु का औसत मूल्य क्या है;

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्या भाव है; और

(ङ) इस समय देश में इस के भण्डार की अवस्था क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). २७ सितम्बर, १९५४ के बाद से, जब से क्रोम की कच्ची धातु की खुली अनुज्ञप्तियां देने की पुनरीक्षित नीति की घोषणा की गई है न तो कोई आवेदनपत्र प्राप्त हुआ है और न ही क्रोम की कच्ची धातु के निर्यात की कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है ।

(ग) और (घ). उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में इस का मूल्य श्रेणी के अनुसार ७५ रुपये से ९० रुपये प्रति टन तक लदान के स्टेशन से रेल भाड़ा सहित है । इन्हीं श्रेणियों की कच्ची धातु का विदेशी मूल्य अमेरिकन पत्तनों तक, नौ भाड़ा सहित लगभग १३० रुपये से १४० रुपये प्रति टन तक है ।

(ङ) सितम्बर, १९५४ के आरम्भ में खान से निकाला हुआ इस का भण्डार लगभग १,०५,००० टन था, और ज्ञात निक्षेप की मात्रा २० लाख टन के लगभग समझी जाती है । कुछ अज्ञात निक्षेप भी हैं जिन का अभी सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

प्रलेख-चित्र और समाचार-चित्र

३६३. **श्री बी० डी० शास्त्री :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में बनाये गये प्रलेख-चित्रों तथा समाचार-चित्रों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है;

(ख) ये किन किन भाषाओं में बनाये गये हैं; और

(ग) इन प्रलेख-चित्रों के निर्माण पर कुल कितनी राशि व्यय हुई ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६०]

(ग) फिल्म्स डिवीज़न द्वारा प्रलेख-चित्रों के निर्माण पर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष व्यय चल-चित्र विभाग द्वारा किया जाता है । नियमित लागत की गणना न होने के कारण यह ठीक ठीक कहना कठिन होगा कि एक प्रलेख-चित्र पर कुल कितना व्यय होता है ।

संगीत सम्मेलन

३६४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५३–५४ में आकाशवाणी ने एक संगीत सम्मेलन का आयोजन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस के मुख्य कृत्य क्या थे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) १९५३–५४ में आकाशवाणी ने किसी संगीत सम्मेलन का आयोजन नहीं किया ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि

३६५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय निधि में से विभिन्न राज्यों को (१) बाढ़ सहायता और (२) सूखे की सहायता के लिए कितनी कितनी राशियां दी गईं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६१]

भारतीय राष्ट्रजनों का बन्दीकरण

३६६. **पंडित डी० एन० तिवारी** :
श्री एस० एन० दास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १९५४ से अब तक पुर्तगाल सरकार ने कितने गैर-गोआ वासी भारतीय राष्ट्रजनों को सत्याग्रह में भाग लेने के कारण अथवा सन्देह के आधार पर बन्दी बनाया है; और

(ख) क्या गैर-गोआ वासी बन्दियों के साथ पुर्तगाली जेलों में भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). लगभग ३९ भारतीय राष्ट्रजन या तो सन्देह में या सत्याग्रह करने पर बन्दी बनाये गये हैं । सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार गैर-गोआ वासी और गोआवासी दोनों प्रकार के बन्दियों के साथ पुर्तगाली जेल प्राधिकारी कठोर व्यवहार करते हैं ।

पुर्तगाली कर्मचारी

३६७. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **प्रधान मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त १९५४ से पुर्तगाली अधिकारियों ने कितनी बार भारतीय विनियमों का उल्लंघन किया; और

(ख) ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एंव रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) भारतीय विनियमों का ठीक ठीक कितनी बार उल्लंघन हुआ यह बताना कठिन है, परन्तु सीमान्त उल्लंघन और पारपत्र के उल्लंघन के चार स्पष्ट मामलों का सरकार को इस कालावधि में पता लगा है ।

(ख) जब कभी उन लोगों को पकड़ा जाता है जिन्होंने भारतीय विनियमों का उल्लंघन किया हो, तो उन पर विधि के अधीन अभियोग चलाया जाता है । अन्य मामलों में पुर्तगाली दूतावास को विरोध-पत्र भेजे गये हैं ।

मोटर विशेषज्ञों का रूस भेजा जाना

३६८. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विशेषज्ञ को उन रूसी कारों के निर्माण का अध्ययन करने के लिये रूस भेजा गया है जो भारत की ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होंगी; और

(ख) क्या भारत में एक मोटर निर्माण समवाय खोलने के लिये भारत और रूस में कोई वार्ता चल रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : (क) और (ख) नहीं श्रीमान् ।

पटसन की मिलों का वैज्ञानिकन

३६९. **श्री बी० के० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पटसन की मिलों के नाम क्या हैं जिन्हों ने वैज्ञानिकन की योजना बनायी है;

(ख) अगले पांच वर्षों में वे इस योजना पर प्रति वर्ष कुल कितनी पूंजी लगायेंगे; और

(ग) उपरोक्त कालावधि में वैज्ञानिकन की योजना को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप प्रति वर्ष कुल कितने श्रमिक विस्थापित होंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). भारती पटसन मिल सन्था ने जो जानकारी दी है उस के अनुसार ३० मिलों ने आधुनिक यंत्र लगा कर वैज्ञानिकन करने का निश्चय किया है । अर्थ-व्यवस्था के अन्य विभागों पर इस के संभाव्य प्रभाव के सम्बन्ध में सारी योजना की जांच की जा रही है ।

पैनिसिलीन बनाने के तरीके का प्रशिक्षण

३७०. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेनिसिलीन बनाने के तरीके का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बारह पदाधिकारी विदेश भेजे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किन देशों में भेजा गया था; और

(ग) उन में से प्रत्येक पर कितना व्यय हुआ ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये गये १२ पदाधिकारियों को संयुक्त राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों पर पेनिसिलीन बनाने के तरीके का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश भेजा गया था । ये उन तीन पदाधिकारियों के अतिरिक्त थे जिन्हें पहले पेनिसिलीन बनाने के तरीके का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा गया था।

(ख) और (ग). विवरण इस प्रकार है :

नाम तथा पदाधिकारी का पद	जिन देशों में वे भेजे गये	भारत सरकार द्वारा किया गया व्यय
		रुपये
१. डा० एच० ई० एदलगी, रासायनिक इंजीनियर	स्वीडन, डेन्मार्क और स्विट्जरलैंड	४३,२२३
२. श्री बी० वी० रमन, सेवा इंजीनियर	स्वीडन, डेन्मार्क और स्विट्ज़रलैंड	३२,८३६
३. डा० के० गणपति, निदेशक (प्रयोगशाला)	स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम	२,६३३
४. डा० जी० शंकरन, बम्बई के पेनिसिलीन को बोतलों में बन्द करने के संयंत्र के प्रभारी पदाधिकारी	स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम	६,९५०
५. डा० एम० जे० तिरुमलाचार, मुख्य काई वैज्ञानिक (माईकालोजिस्ट)	स्विट्ज़रलैंड और इटली	१२,०००
६. डा० डी० घोष, मुख्य जीवरसायनज्ञ	,, ,,	१२,०००
७. डा० के० एस० गोपालकृष्णन, कनिष्ठ काई वैज्ञानिक		७,४४०
८. डा० जी० बाला सुब्रह्मण्यम्, कनिष्ठ रसायनज्ञ	स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम	१,१७०
९. डा० एन० नरसिंहाचारी, कनिष्ठ रसायनज्ञ	स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम	१,०८३
१०. डा० आर० पी० कौशल, मुख्य जीवरसायनज्ञ	इटली	१२,०००
११. डा० पी० डी० कुलकर्णी, कनिष्ठ शालाणुविद	इटली	६,७२०
१२. श्री एस० कुंजीतापदम, कनिष्ठ रसायनज्ञ	बेल्जियम	१,२६०
१३. श्री एस० आर० सेन, कनिष्ठ जीव रासायनिक इंजीनियर	,,	१,१७०
१४. श्री सी० एन० चारी, जीव रसायन इंजीनियर	,,	३,३००
१५. *श्री आर० एस० कछवाहा, उत्पादन अधीक्षक	,,	३,३०० *यह पदाधिकारी अभी बाहर है
	कुल योग	१,४७,०८५

टिप्पण : क्रम संख्या ३ से १५ तक के पदा- धिकारियों को विश्व स्वास्थ्य संघ/यू० एन टी० ए० ए० की छात्रवृत्तियों पर भेजा गया था और प्रत्येक के सामने दिखाया गया व्यय मुख्यतः उन का वेतन और भत्ते हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संगठन

३७१. सेठ गोविन्द दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व जर्मन उपनिवेश जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में थे उन के सुशासन एवं वार्षिक शासन विवरण के सम्बन्ध में भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या संकल्प प्रस्तुत किये गये; और

(ख) उन का क्या परिणाम हुआ ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका भूतपूर्व जर्मन उपनिवेश है जिस का शासन नियोजित क्षेत्र के समान राष्ट्र लीग की नियोजन पद्धति के अनुसार किया जाता है । जब राष्ट्र लीग बन्द हो गयी तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन नियोजन पद्धति के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रन्यास प्रणाली स्थापित कर दी गई है और शासक शक्तियों ने पुराने नियोजनों को प्रन्यास करारों में बदल दिया । प्रन्यास प्रणाली के अधीन शासक शक्तियों को वार्षिक प्रतिवेदन और याचिकाएं संयुक्त राष्ट्र को देनी पड़ती हैं । संयुक्त राष्ट्र को भी प्रन्यास के अधीन देशों का अधीक्षण करना होता है ।

अभी तक दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के प्रदेश को संयुक्त राष्ट्र की प्रन्यास प्रणाली के अधीन देने से इन्कार किया है । वे यह तर्क देते हैं कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका की शास्ति व्यपगत हो चुकी है और वे संयुक्त राष्ट्र के साथ प्रन्यास करार करने के लिए अथवा उसे प्रतिवेदन और याचिकाएं भेजने के लिए बाध्य नहीं हैं । १९४६ से संयुक्त राष्ट्र संघ की महा-सभा के प्रत्येक सत्र में संकल्प पारित किया जाता रहा है, जिस में दक्षिण अफ्रीका से कहा गया है कि वे दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका को प्रन्यास के अधीन लायें और संयक्त राष्ट्र को प्रतिवेदन तथा याचिकाएं भेजें । परन्तु अभी तक दक्षिण अफ्रीका ने इन संकल्पों की उपेक्षा की है । दक्षिण अफ्रीका की संघ सरकार ने १९५० में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई इस राय की भी उपेक्षा की है कि दक्षिण अफ्रीका अकेले ही दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में रूप भेद नहीं कर सकता और अब भी वह संयुक्त राष्ट्र को वार्षिक प्रतिवेदन और याचिकाएं भेजने के लिए उत्तरदायी है । इस के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका सरकार ने कतिपय वैधानिक उपबन्ध अधिनियमित किये हैं जिन का वास्तविक प्रभाव दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका के प्रदेश में मिला लेना है ।

गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की थी, परन्तु दक्षिण अफ्रीका ने समिति के कार्य में सहयोग नहीं दिया । ११ अक्तूबर १९५४ को संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल के सत्र में एक संकल्प पारित किया गया था जिस में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के प्रदेश से सम्बन्धित प्रतिवेदनों और याचिकाओं की जांच की प्रक्रिया दी हुई है । भारत भी उपरोक्त संकल्प के समर्थकों में से था । आशा नहीं है कि दक्षिण अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र संकल्प में उपबन्धित प्रक्रिया का पालन करेगा या दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका सम्बन्धी समिति के कार्य में सहयोग देगा । संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि ने यह घोषणा की है कि उस की सरकार दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका के प्रदेश के प्रशासन के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के प्राधिकार को नहीं मानती ।

२३ नवम्बर, १९५४ को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक और संकल्प पारित किया है जिस में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से इस प्राधिकार की सीमा के बारे में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के प्रतिवेदनों

और याचिकाओं से पैदा होने वाले मामलों में कैसे निर्णय दे सकता है। भारत उन २५ देशों में से था जिन्हों ने इस संकल्प के पक्ष में मत दिया था।

कुटीर उद्योग

३७२. **सेठ गोविन्द दास :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४ में अब तक विभिन्न राज्यों को निम्नलिखित कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये कितनी कितनी वित्तीय सहायता दी गई :—

(१) गुड़, शक्कर, चीनी, खांड; और

(२) तिनकों तथा खजूर के पत्तों से बनी चटाइयां, आसन, सन्दूक, टोपियां और मनीबैग ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६२]

सिंदरी का कारखाना

३७३. **श्री सारंगधर दास :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन के प्रथम वर्ष से ले कर सिंदरी के कारखाने में प्रति वर्ष अमोनियम गंधित और अन्य नत्रजन वाले उर्वरक का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य के लिए कितना अभ्यंश नियत किया गया;

(ग) उसी कालावधि में प्रत्येक राज्य ने उर्वरक की कितनी मात्रा ली;

(घ) क्या राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में नियमित रूप से भुगतान करती रही हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं;

(च) इस समय उर्वरकों के उत्पादन की लागत क्या है; और

(छ) सिंदरी से रेल भाड़ा सहित क्या विक्रय मूल्य निर्धारित किया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सिंदरी के कारखाने में आजकल केवल एक उर्वरक का उत्पादन किया जाता है और वह अमोनियम गंधित है, जिस का आरम्भ से प्रति वर्ष निम्नलिखित उत्पादन हुआ है :

वर्ष	टन
१९५१	७,४४५
१९५२	१,७२,५०२
१९५३	२,६५,६८७
१९५४ (अक्तूबर १९५४ के अन्त तक)	२,२५,५७६

(ख) और (ग). जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६३]

(घ) जी हां। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय सिंदरी के कारखाने को भुगतान कर देता है और वह राज्य सरकारों के साथ किताबों में लेखों के समायोजन द्वारा वसूली कर लेता है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(च) सिंदरी में उत्पादित उर्वरक खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के उर्वरक पुंज को २७५ रुपये प्रति टन पर बेच दिया जाता है। उत्पादन की ठीक लागत को गुप्त विषय समझा जाता है। तो भी विक्रय मूल्य का निर्धारण उत्पादन की लागत पर समय समय पर विचार करने के पश्चात ही किया जाता है।

(छ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६४]

वनस्पति

३७४. श्री झूलन सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ में कितना और कितने मूल्य का वनस्पति निर्यात किया गया और यह किन देशों को निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६५]

रेडियो केन्द्र, मैसूर

३७५. श्री तिम्मय्या : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक रेडियो केन्द्र स्थापित करने के लिए होसकोट (मैसूर) के समीप एक स्थान को चुना है; और

(ख) यदि हां, तो उस विशेष स्थान को चुनने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) इस स्थान को उपयुक्त समझा गया था, क्योंकि यह मद्रास जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है और जिस छोटे बिजली घर से पारेषक के लिए बिजली ली जायेगी वह पास ही है। इस स्थान से असैनिक उड्डयन प्राधिकारियों के प्रतिबन्ध भी पूरे हो जाते हैं जो ४०० फुट के वायवीय मस्तूल लगाने के सम्बन्ध में हैं और इस की मिट्टी भी ऐसी है जिस से उच्च तरंग पारेषक की आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं।

अनुज्ञप्ति देने वाली समिति

३७६. श्री के० सी० सोधिया : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन सिद्धान्तों पर नये उद्योगों के लिये अनुज्ञप्ति देने वाली समिति विदेशी हितों से सहयोग की शर्तों की अनुपयुक्तता के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर देती है;

(ख) १९५३–५४ में इस आधार पर कितने प्रार्थनापत्र अस्वीकृत किये गये और ये प्रार्थनापत्र किन किन उद्योगों के सम्बन्ध में थे; और

(ग) इस मामले से किन किन विदेशी सार्थों का सम्बन्ध है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अनुज्ञप्ति देने वाली समिति ६ अप्रैल, १९४८ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी भारत सरकार के संकल्प की, जिस का स्पष्टीकरण प्रधान मंत्री ने अपने ६ अप्रैल, १९४९, के वक्तव्य में और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने अपने ४ अप्रैल, १९५३ को लोक-सभा में दिये गये भाषण में किया था, कंडिका १० में वर्णित सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर उद्योग में विदेशियों के भाग लेने के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्रों की जांच करती है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६६]

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड

३७७. श्री के० सी० सोधिया : क्या उत्पादन मंत्री टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा संचालित तथा अधिकृत कोयला खानों की कुल संख्या तथा १९५३–५४ के दौरान में उन में से निकाले गये कोयले की कुल मात्रा बताने की कृपा करेंगे ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : इस समय टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा संचालित तथा अधिकृत कोयला खानों की कुल संख्या छः है ; १९५३–५४ में इन कोयला खानों से अनुमानतः ११·१ लाख टन कोयला निकाला गया ।

आयातित सामान

३७८. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक ने १९५३–५४ में कुल कितने मूल्य का आयातित सामान खरीदा;

(ख) यह खरीदारी कितनी स्वयं और कितनी विदेशी निर्माताओं के भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा की गई;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं, जब कि उचित गुण व प्रकार का माल प्राप्त नहीं हुआ;

(घ) ऐसे माल का कुल मूल्य क्या है; और

(ङ) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) २७·७६ करोड़ रुपये ।

(ख) संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक ने यह सारी खरीदारी विदेशी निर्माताओं के भारत स्थित अभिकर्ताओं द्वारा की थी ।

(ग) शून्य ।

(घ) शून्य ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी का गवेषणा विभाग

३७९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय रेडियो के गवेषणा विभाग में इस समय कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं; और

(ख) पिछले तीन सालों में इस विभाग ने किस प्रकार की विकास सम्बन्धी गवेषणायें कीं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) आकाशवाणी गवेषणा विभाग में सब वर्गों के कर्मचारियों की कुल संख्या ८३ है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में इस विभाग ने निम्नलिखित विषयों में गवेषणा की :

(१) आयन क्षेत्रीय अध्ययन ।

(२) आयन क्षेत्रीय दशाओं की भविष्यवाणी ।

(३) भारतीय तथा विदेशी केन्द्रों की क्षेत्र सम्बन्धी क्षमताओं की माप तथा उन का विश्लेषण ।

(४) प्राविधिक मानीटरिंग तथा भारतीय और विदेशी केन्द्रों की निगरानी ।

(५) भूमि की सुवाहकता सम्बन्धी अनुसन्धान ।

(६) आयन क्षेत्रीय अवशोषण रिकार्डर का विकास ।

(७) २५ फरवरी, १९५० और ३० जून, १९५४ के सूर्य ग्रहणों के दौरान में अनुसन्धान ।

(८) सेल्फ-गायरो अन्तर्क्रिया ।

(९) शार्टवेव सिगनल फेडिंग सम्बन्धी अध्ययन ।

(१०) विभिन्न प्रसारण केन्द्रों से अधोमुखी तरंगों के आगमन के कोण सम्बन्धी अध्ययन ।

(११) वायुमंडल में शोर के स्तर को नापना ।

(१२) हाई पावर पल्स्ड ट्रांसमिशन्स पर रेडियो तरंग के फैलने की जांच ।

(१३) आकाशवाणी स्टूडियो की ध्वनियों का नापना ।

(१४) आटोमेटिक रिवर्बेशन टाइम रिकार्डर का विकास ।

(१५) ध्वनि सम्बन्धी सामग्री की विशेषताओं का अध्ययन ।

(१६) इलेक्ट्रानिक इक्विलाइज़र का विकास

(१७) स्टूडियो और श्रवण स्थानों की अस्थायी प्रतिक्रिया जानने के लिये पल्स प्रविधि ।

(१८) स्टूडियो उपकरण का प्रमापीकरण तथा क्षमता ।

(१९) मीडियम फील्ड्स की क्षमता नापने वाले यंत्र का विकास

(२०) थर्मो-इलेक्ट्रिक जैनरेटर का विकास ।

(२१) सार्वजनिक रेडियो का आद्यरूप बनाना ।

(२२) कम कीमत वाले घरेलू रेडियो का आद्यरूप बनाना ।

(२३) आयन क्षेत्रीय रिकार्डर का विकास

(२४) लिमिटिंग एम्पलीफायर का विकास ।

(२५) डयवर्सिटी उपकरण के लिये इक्ट्रानिक स्विच का विकास ।

पिछले तीन वर्षों में जो विभिन्न उपकरण विकसित, रूपांकित तथा बनाये गये उन की सूची नीचे दी जाती है ।

(१) आटोमेटिक आयन क्षेत्रीय रिकार्डर

(२) मैनुअल पल्स ट्रांसमीटर तथा हाइट मार्कर ।

(३) लिमिटर एम्पलीफायर ।

(४) इलेक्ट्रानिक इक्विलाइज़र ।

(५) इलेक्ट्रानिक डाइवर्सिटी स्विच ।

(६) लाइट पैटर्न मीटर ।

(७) आटोमेटिक रिवर्बेशन टाइम रिकार्डर ।

(८) सार्वजनिक रेडियो ।

(९) लो कास्ट रिसीवर ।

(१०) वोडाज़ ।

(११) भूमि सुवाहकता मापक यंत्र ।

(१२) क्षेत्र क्षमता मीटर ।

(१३) टाइम सिगनल पिप्स जैनरेटर ।

(१४) फेडिंग रिकार्डर ।

(१५) डायोड नोयेज़ जैनरेटर ।

(१६) थर्मो-इलेक्टिक जैनरेटर ।

हथकरघा तथा ग्राम उद्योग

३८०. श्री टी० के० चौधरी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई-अक्तूबर, १९५४ में हथकरघा तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिये राज्यवार अनुदानों तथा ऋणों के रूप में कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) क्या ये अनुदान तथा ऋण अखिल भारतीय हथकरघा अथवा अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड की सिफारिशों पर दिये गये या फिर सीधे राज्य सरकारों के द्वारा प्रार्थना करने पर;

(ग) राज्य सरकारों को दिये गये इन ऋणों और अनुदानों के अतिरिक्त भी क्या

केन्द्रीय सरकार ने अलग अलग संस्थाओं को कोई सीधा अनुदान दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उन संस्थाओं के क्या नाम हैं और इन अनुदानों के रूप में कितनी धन राशि दी गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) दो विवरण (१ और २) संलग्न हैं । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६७]

(ख) विवरण १ में उल्लिखित हथकरघा उद्योग के लिये अनुदान तथा ऋण सरकार ने अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की सिफारिश पर मंजूर किये हैं । ग्राम उद्योगों के सम्बन्ध में, अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड ने उस निधि में से, जो कि केन्द्रीय सरकार ने उस की इच्छा पर बांटने के लिये दी थी राज्यों की अनेक संस्थाओं को स्वयं ही रकमें बांटी हैं; केवल एक मामले में ही केन्द्रीय सरकार ने एक गैर सरकारी संस्था के लिये ७,४५४ रुपयों का अनुदान स्वीकृत किया था और सम्बद्ध राज्य सरकार के द्वारा वह रकम दी गई थी ।

(ग) कथित अवधि में कोई अनुदान नहीं दिया गया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

फोटो आफसेट मुद्रण प्रेस

३८१. **श्री राधा रमण** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीका टेक्निकल सहायता करार के अनुसार कुछ फोटो आफसेट मुद्रण प्रैस केवल 'कृषि' साहित्य छापने के लिये ही भारत आ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन में से कितने प्रैस आ गये हैं;

(ग) उन की स्थापना कहां होने की आशा है;

(घ) प्रचलित आफसेट प्रैसों से उन में क्या भिन्नता है;

(ङ) क्या नई मशीनों के चलाने के लिये कुछ भारतीय प्रशिक्षित किये जा रहे ह; और

(च) वे किस लिपि में छापेंगे ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां । टेक्निकल सहायता मिशन (भारत) से एक समझौते के अनुसार फोटो निकालने की प्रक्रिया को दोहराने वाली मशीनों के २० एकक तथा तत्सम्बन्धी उपकरण प्राप्त हो गये हैं ।

(ग) विभिन्न राज्यों को १७ मशीनें दी गई हैं । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६८], एक मशीन नेपाल सरकार को इस आधार पर दी गई है कि उस के बदले में एक मशीन दी जायेगी और दो मशीनें भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के लिये सुरक्षित रखी गई हैं ।

(घ) प्रचलित प्रक्रिया से भिन्न रूप में, ये मशीनें पेपरमास्टरों से छापती हैं जिन पर सीधा टाइप, लेख अथवा चित्र बनाये जा सकते हैं । ये मशीनें प्रीसेन्सीटाइज्ड प्लेटों पर सीधा फोटो भी छापती हैं ।

(ङ) जी हां, नीलोखेड़ी में भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा इसी काम के लिये स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र में विभिन्न राज्यों से चुने गये २४ यंत्र-चालक पूर्व ही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ।

(च) सब लिपयों में । ये मशीनें फोटो कार्टून, नक्शे तथा अन्य चित्र भी छाप सकती हैं ।

मैसर्स भारतीय रेअर अर्थस् लिमिटेड

३८२. **श्री सारंगधर दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रामवे, बम्बई में मैसर्स भारतीय रेअर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा बनाये गये थोरियम तथा यूरेनियम संयंत्र के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस निर्माण में कितने पदाधिकारी तथा श्रमिक लगे हुए हैं;

(ग) यह कारखाना चलाने के लिये कितने पदाधिकारी तथा श्रमिकों की आवश्यकता होगी; और

(घ) पदाधिकारियों तथा श्रमिकों के लिये कितने निवास स्थान बन रहे हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) संयंत्र का निर्माण कार्य पूरे जोर-शोर से चल रहा है । प्रक्रिया सम्बन्धी मुख्य भवनों को छोड़ कर सब भवन तैयार हैं । अधिकांश आवश्यक उपकरण आ गये हैं । कारखाना तैयार है और चालू है । यह ख्याल करते हुए कि वर्तमान गति बनी रहेगी, यह आशा है कि मई, १९५५ में संयंत्र में उत्पादन कार्य शुरू हो जायेगा ।

(ख) (१) पदाधिकारी ४

(२) अन्य अधीक्षण कर्मचारी (फोरमेन, सहायक फोरमेन इत्यादि) ५

(३) श्रमिक ६०

(ग) जैसा कि ऊपर (ख) में दिखाया गया है, एक पदाधिकारी, ४/५ अधीक्षक कर्मचारियों और २५ मज़दूरों के बढ़ाये जाने की सम्भावना है ।

(घ) शून्य । कारखाने के पूरा होने पर यह मामला लिया जायेगा ।

रुई में वायदे के सौदे

३८३. **श्री राधेलाल व्यास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायदा बाजार आयोग को इस वर्ष रुई में वायदे के सौदे की अनुमति मांगने के लिये कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) किन किन राज्यों से ये आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) किन किन राज्यों में रुई में वायदे के सौदे के लिये अनुमति दी जा चुकी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तीस ।

(ख) सौराष्ट्र, राजस्थान, पूर्वी पंजाब, पेप्सू, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, बम्बई, दिल्ली तथा अजमेर ।

(ग) ईस्ट इण्डिया काटन एसोसियेशन बम्बई द्वारा कपास में वायदे के सौदे के लिये अनुमति दे दी गई है ।

ग्यान्त्से की दुर्घटना

३८४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बचाने वाले दल के अध्यक्ष ने जो तिब्बत भेजा गया था, ग्यान्त्से की दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई सविस्तार रिपोर्ट भेजी है;

(ख) यदि हां, तो उस के आवश्यक पहलू क्या-क्या हैं;

(ग) इस दल द्वारा किया गया बचाने का कार्य किस प्रकार का था तथा कहां तक यह कार्य किया गया था; तथा

(घ) क्या इस रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ भी है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (घ). बचाने वाले दल के अध्यक्ष की रिपोर्ट के अनसार वहां २० फीट ऊंची दीवाल की भांति बाढ़ की लहरें आई थीं और वे इतने अचानक आईं कि जिस सन्तरी ने सर्वप्रथम उन्हें देखा तो चिल्लाने से पहले ही वह उन का शिकार बन गया। अंधेरा छा जाने के कारण बचाने वालों द्वारा कुछ भी सहायता नहीं पहुंचाई जा सकी।

(२) इस दल ने कुछ अस्त्र-शस्त्र तथा ग्यान्त्से के उप-कोषागार के १,७४,१८३ रुपया ९ आना ६ पाई की रक्षा की। इस दल ने बाढ़-पीड़ितों में राशन, दवाइयों तथा कुछ नक़द रुपये का भी वितरण किया। ग्यान्त्से ट्रेड एजेंसी में अपने यहां के कर्मचारियों की सहायता के लिये रक्षा दल को कुल मिला कर १३,००० रु० भी दिया गया था। तिब्बत के बाढ़ पीड़ितों में वितरण करने के लिये वहां के स्थानीय पदाधिकारियों को ५०,००० रुपये के मूल्य के खाद्यान्न तथा कपड़ा भी उपहार स्वरूप दिये गये थे।

(३) इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिये निश्चय यह किया गया है कि भविष्य में हमारी इमारतें ऊंची भूमि पर बनाई जायें।

पूर्वी बंगाल से प्रव्रजन

३८५. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की सूचना मिली है कि त्रिपुरा राज्य में पूर्वी बंगाल से बहुत बड़ी संख्या में विस्थापित व्यक्ति आ रहे हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो इन विस्थापितों को पुनः बसाने के लिये कितनी सहायता दी जा रही है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) राज्यपाल के शासन के पश्चात से पूर्वी बंगाल से त्रिपुरा राज्य में आने वाले प्रव्रजकों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) इन लोगों को वे ही पुनर्वास सम्बन्धी सुविधायें दी जा रही हैं जो सामान्यतः पूर्वी बंगाल से त्रिपुरा आने वाले विस्थापितों को दी गई हैं।

विदेशी शराब

३८६. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री दिल्ली राज्य में १९५१-५२ १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में आयात की गई विदेशी शराब का मूल्य बताने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है।

मध्य प्रदेश को अनुदान

३८७. **श्री एन० ए० बोंगकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** केन्द्र द्वारा मध्य प्रदेश को सरकार को १९५०-५१ से ले कर आज तक की वर्षवार कुटीर उद्योगों के विकास के लिये दी गई राशि बताने की कृपा करगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६९]

विदेशी फिल्मनिर्माता

३८९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी निर्माताओं तथा कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें जुलाई, १९५२

से भारत में फिल्म बनाने के लिये सुविधायें प्रदान की गई हैं;

(ख) ऐसे किसी आवेदन की विस्तृत सूचना, यदि वह अब सरकार के विचाराधीन हों ; और

(ग) क्या रूस ने भारतीयों के सहयोग से भारत में फिल्म बनाने के लिये सुविधायें देने की प्रार्थना की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) इस प्रकार के सहयोग से एक ऐसा फिल्म बनाने का अस्थायी विचार किया जा रहा है कि जिस में कुछ उन रूसी तथा चीनी यात्रियों के जीवन के सम्बन्ध में फिल्म बनाये जायें, जो मध्य युग अथवा उस से पूर्व युग में भारत आये थे ।

लोक सभा वाद-विववाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८— १९५४

(१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ८ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

सेवा में

विषय सूची

खण्ड ८, अंक १ से १५--१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४

स्तम्भ

अंक १--सोमवार, १५ नवम्बर, १९५४

श्री रफी अहमद किदवई तथा श्री नाडिमुत्तु पिल्ले का निधन. १-६

अंक २--मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . . ७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ७-९

टिन की चादरों के धारण मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . ९

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या एस० सी० (ए)-२ (१३२) / ५४, दिनांक २३ अक्टूबर, १९५४ . . ९

विहित कालावधि के भीतर कतिपय दस्तावेज पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का विवरण ९

मोटर गाड़ी लीफ-स्प्रिंग उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . १०

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या २१(१)-टी० बी०/५४, दिनांक ९ अक्टूबर, १९५४ . . . . १०

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . ११

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य ११

विस्थापित व्यक्तियों को निष्क्रान्त सम्पत्ति की अनेक बांट के बारे में याचिका ११-१२

स्थगन प्रस्ताव--आन्ध्र सरकार के बारे में . . . १२-१४

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपा गया १४-६८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त . . . ६८-१०६

अंक ३—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग भारत अन्तिम आदेश संख्या १७, १८ १९ . १०७–१०८

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . १०८

दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक के बारे में याचिका . . १०८–१०९

सभा का कार्य—

सत्र में पुरःस्थापन के लिये— प्रस्थापित सरकारी विधेयकों का आशय . १०९–११०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के लिये समय नियतन . ११०–१११

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १११–१८४

अंक ४—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . १८५

सभा का कार्य—

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के खण्डों के लिये समय का बटवारा १८७–१८८

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८९

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त १८९–२७५

सभा का कार्य २७६

अंक ५—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बैंक पंचाट पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूपभेद करने वाला सरकारी आदेश २७७–२७९

सभा का कार्य २७९–२८०

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत २८०–३३४

	स्तम्भ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३३५
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३३५–३६८
विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—असमाप्त . .	३६९–३७०

अंक ६—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर की स्थिति	३७१–३७४
सभा का कार्य—	
समय नियतन	३७४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७५–४२८
चाय पर बढ़ाये गये निर्यात-शुल्क के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	४२९–४४५
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४४५–४५६

अंक ७—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ता में शरणार्थियों पर लाठी-चार्ज	४५७–४५९
दिल्ली परिवहन सेवा	४५९–४६१
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . .	४६१–४६५
संशोधनों की ग्राह्यता	४६५–४७८
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	४७४–५३८

अंक ८—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५३९–५८४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त.	५८४–६०७

स्तम्भ

चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ६०७–६०८

अंक ९—गुरूवार, २५ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली सड़क परिवहन, प्राधिकार (मंत्रणा परिषद्) नियम, १९५१ में संशोधन करने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय अधिसूचना . ६०९

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . . ६०९–६१०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६१०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार—असमाप्त ६१०–६७८
खण्ड २ से १५
खण्ड १६ से १९

अंक १०— शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया . . ६७९

समिति के लिये निर्वाचन—
प्राक्कलन समिति ६७९–६८०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार–असमाप्त ६८१–७१९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ७१९–७२८

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—विचार स्थगित ७२८–७३३

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५३ का रखा जाना)—
पुरःस्थापित ७३४

वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ७३४–७७२

स्तम्भ

११—सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध . . . ७७३–७७४

ब्रिटिश सैनिक विमानों द्वारा डमडम विमान क्षेत्र का उपयोग . ७७४–७७६

हायक प्रादेशिक सेना विधेयक—वापस लिया गया . . . ७७६–७७८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—खंडों पर विचार—असमाप्त ७७८–८५४

खंड २०से २४ . . . . ८१९–८२०

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८२०–८५४

अंक १२—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

टल पर रखे गये पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय पुद्रा निधि तथा पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की नवीं वार्षिक बैठक का प्रतिवेदन . . ८५५

दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक विकास सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की बैठकों का प्रतिवदन ८५५–८५६

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण ८५६–८५७

लवे अभिसमय समिति, १९५४ का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ८५७

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध ८५७–८५८

ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खडों पर विचार—असमाप्त ८५८–९३१, ९३२–९४०

नये खंड २१क, २२क और २४क ८५८–८६५

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८६५–९२१

खण्ड २६ से ३८ . . . . . ९२१–९३०, ९३२–९४०

आन्ध्र राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—पुरःस्थापित ९३१–९३२

१३—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

टल पर रखा गया पत्र—

साहित्य अकादमी और उस की गतिविधि के सम्बन्ध में टिप्पण . ९४१

र-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सकल्पों सम्बन्धी समिति—

सोलहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ९४१

स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान में भारतीय उच्च-आयुक्त के कर्मचारिवृन्द के एक सदस्य के घर की तलाशी ९४२–९४४

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त—

खंड २६ से ३८ . . . . . ९४४–१००९

खंड ३९ से ६० . . . . . १००९–१०१४

अंक १४—गुरुवार, २ दिसम्बर, १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १०१५

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . १०१५–१०१६

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मद्रास में मैदा की कमी १०१६–१०१७

सभा का कार्य—

सरकारी विधान कार्य तथा अन्य कार्य के लिये समय-नियतन . . १०१७–१०२३

दिल्ली जल तथा नाला-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—पुरः-स्थापित १०२३

आन्ध्र राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत

डा० काटजू १०२३–२९, १०६०–६४

श्री पाटस्कर १०२९

श्री रामचन्द्र रेड्डी १०३०–१०३३

श्री ए० के० गोपालन १०३३–१०३९

डा० लंका सुन्दरम् १०३९–४६

श्री रघुरामैया १०४६–५०

डा० जयसूर्य १०५०–५२

श्री एस० एस० मोरे १०५२–५५

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी १०५५–५७

श्री गाडिलिंगन गौड़ १०५८

श्री राघवाचारी १०५८–५९

श्री लक्ष्मय्या १०५९

श्री यू० एम० त्रिवेदी १०५९–६०

	स्तम्भ
खंड १ से ३	१०६४–७०
संशोधित रूप में पारित—	
श्री एच० एन० मुखर्जी	१०७७–८०
डा० लंकासुन्दरम्	१०८०
पं० ठाकुर दास भार्गव	१०८०–८२
श्री जी० एच० देशपांडे	१०८३
डा० काटजू	१०८३–८८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त—	
खंड ६१ से ६५	१०८८–९८
दोनों सभाओं की विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	१०९८–११००
अंक १५—शुक्रवार, ३ दिसम्बर, १९५४	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर में सत्याग्रह आन्दोलन	११०१–११०८
पटल पर रखे गये पत्र—	
जिप फासनर, सिलाई मशीन और पिकर उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन तथा उन पर सरकारी संकल्प . .	११०८–११०९
चलचित्र (विवाचन) नियमों, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना	११०९
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . .	११०९
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें .	१११०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—छठा प्रतिवेदन —उपस्थापित	१११०–११
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	१११९
सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . . .	१११९–१११२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त —	
खंड ६१ से ६५	१११२–५४

स्तम्भ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सोलहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ११५४–५५

विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ११५५–१२०२

सरकारी उद्योगों की देखभाल तथा नियंत्रण करने के लिये समविहित निकाय के बारे में संकल्प—असमाप्त १२०२–१२०४

लोक सभा

शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-४८ म० पू०

हिन्दू-विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं, विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की ओर से हिन्दुओं में विवाह और विवाह-विच्छेद सम्बन्धी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने वाले राज्य सभा में विचाराधीन विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

समिति के लिये निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

श्री पाटस्कर (जलगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के नियम २३९ के उपनियम (४) के अनुसार प्राक्कलन समिति में १९५४-५५ वर्ष के असमाप्त भाग के लिये श्री नित्यानन्द क़ानूनगो के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, अपने में से एक सदस्य का चुनाव करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियमों के नियम २३९ के उपनियम (४) के अनुसार प्राक्कलन समिति में १९५४-५५ के असमाप्त भाग के लिये श्री नित्यानन्द क़ानूनगो के स्थान पर, जिन्हों ने त्यागपत्र दे दिया है, अपने में से एक सदस्य का चुनाव करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्राक्कलन समिति के के लिये नामनिर्देशन प्राप्त करने तथा चुनाव के लिये यह तिथियां निश्चित की गई हैं :—

नामनिर्देशन की तिथि—२९-११-१९५४

नाम वापस लेने की तिथि—३०-११-१९५४।

निर्वाचन तिथि—२-१२-१९५४।

इन से सम्बन्धित पत्रादि उक्त तिथि को संसदीय सूचना कार्यालय में ४ बजे। लिये जायेंगे। निर्वाचन संसद् भवन पहली मंजिल के कमरा संख्या ६२ में ३ तिथि को ११ म० पू० से १-३० म०। के बीच होगा।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक —जारी

खंड २० से २४ तक

अध्यक्ष महोदय : अब इस विधेयक के खंड २० से २४ तक लिये जायेंगे जिन पर चर्चा करने के लिये पांच घंटे का समय निश्चित है ।

श्री अमजद अली (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां) : कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि खंड २ के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि उस पर बाद में चर्चा की जायगी । किन्तु खंड १७ वषय में भी डाक्टर काटजू ने कहा था इस का सम्बन्ध वारन्ट और सम्मन के लों से होने के कारण इस पर बाद में होगी । इतना होते हुए भी खंड १७ मतदान हुआ और वह विधेयक का बना लिया गया । अतः क्या उस खंड पर पुनर्विचार नहीं हो सकेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस के लिये मुझे कार्यवाही को देखना होगा । उस के बाद ही मैं उत्तर दे सकता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं इस सम्बन्ध में यह सूचित करना चाहता हूं कि भूल से खंड १७ पर भी मतदान हो गया है ।

श्री अमजद अली : यदि यह भूल से गया है तो उस भूल को सुधारा जा सकता

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही को देखने बाद में अपना निर्णय दे सकूंगा ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व) : इन खंडों का मुख्य उद्देश्य अभियुक्त की अन्याय से रक्षा करना है । सब से अधिक बहस खंड २२ के विषय में हुई है जो संहिता की धारा १६२ से सम्बन्धित है । अभी तो इस धारा में यह उपबन्ध है कि पुलिस का बयान अदालत में केवल उस स्थान पर साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जहां साक्षियों की साक्ष्य का प्रतिवाद करना हो ।

मेरी राय में तो यह उपबन्ध बड़ा सुन्दर है और इस में परिवर्तन कर के पुलिस के बयान को अन्य स्थानों पर मान्यता नहीं दी जानी चाहिये और पुलिस की बात का कोई विश्वास नहीं करना चाहिये ।

इंगलैण्ड की पुलिस की स्थिति दूसरी है । वहां पुलिस की बात मानी जा सकती है क्योंकि वहां के लोग न्यायप्रिय हैं और वहां सरकार को जनता का यथेष्ट सहयोग भी प्राप्त है, किन्तु हमारे देश में जनता सरकार से बड़ी असन्तुष्ट है । सरकार का भ्रष्टाचार जनता से छुपा हुआ नहीं है और पुलिस ऐसी सरकार की आज्ञा के अनुसार कार्य करती है अतः पुलिस का भी आदर नहीं हो रहा है और वह भी भ्रष्टाचार से बची हुई नहीं है । ऐसी स्थिति में उस की बातों को अदालत में मान्यता देना भयंकर भूल सिद्ध होगी । आज तो अभियुक्त को पुलिस के विरुद्ध बचाव की उस समय से भी अधिक आवश्यकता है जिस समय अंग्रेजों ने यह विधि बनाई थी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कल कहा था कि पुलिस "धारा १०९ सप्ताह" मनाती है जिस में वह धारा १०९ के अन्तर्गत अधिक से अधिक मामलों को लाने का प्रयत्न करती है । इस से पता चलता है कि पुलिस जनता के अधिकारों की ओर कोई ध्यान नहीं देती है । वह केवल अपना उल्लू सीधा करती रहती है । यहां तक कि इसी दिल्ली के एक न्यायाधीश ने बताया है कि पुलिस जिस प्रकार साक्षियों को जुटाती है वह ढंग प्रशंसनीय नहीं है ।

अतएव इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस खंड पर विचार करना है। मूल विधेयक में यह उपबन्ध रखा गया था कि पुलिस के बयानों को सभी अवसरों पर काम में लाया जा सकता था। उसे पक्ष में तथा प्रतिवाद करने दोनों के लिये काम में लाया जा सकता था।

माननीय गृह मंत्री ने बताया था कि यदि प्रतिपरीक्षण के समय पुलिस के बयान का कोई प्रतिवाद न हो तो उसे समर्थित समझा जाना चाहिये और तब साक्ष्य के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। स्पष्ट है कि यह कल्पना कर ली गई है कि प्रत्येक न्यायालय बेईमान है और पुलिस के बयानों को समर्थन के लिये काम में लाये जाने पर प्रतिबन्ध होने का उपबन्ध होने पर भी न्यायालय उसे समर्थन के लिये स्वीकार करेगा क्योंकि उस का प्रतिवाद नहीं किया गया है। इस का आशय यही है कि पुलिस के बयानों को समर्थन के लिये काम में लाया जायेगा। इस प्रकार बयान के समर्थन किये जाने की बात को समाप्त कर दिया गया। परन्तु यह कार्य अभियुक्त की स्वतंत्रता में वृद्धि करने के विचार से नहीं किया गया है प्रत्युत अभियुक्त की रक्षा में जनता की आवाज़ को दबाने के विचार से किया जा रहा है। आगे वे कहते हैं कि जब अभियुक्त को अभियोक्ता पक्ष के साक्ष्यों का प्रतिवाद करने का अधिकार है तब अभियोक्ता पक्ष को भी यह अधिकार मिलना चाहिये। इसलिये यदि अभियोक्ता पक्ष का कोई साक्षी झूठ बोलता है तो अभियोक्ता पक्ष ही अपने बयान का प्रतिवाद क्यों न करे। इसका उत्तर केवल यही है कि वह बयान स्वयं उस का होता ही नहीं है, वह तो पुलिस द्वारा बनाया हुआ झूठा बयान होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर पर्याप्त विवाद किया जा चुका है। प्रत्येक सदस्य ने इस सम्बन्ध में अपने तर्क दिये हैं। अतः मैं माननीय सदस्य से आशा करता हूं कि वह यदि कोई नवीन बात कहना चाहते हों तो कहें।

श्री साधन गुप्त : प्रश्न यह है कि अभियुक्त अभियोक्ता पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य से हाथ धो बैठता है। यदि गवाही में अभियोक्ता पक्ष का कोई साथी अभियुक्त के पक्ष में कुछ कह देता है तो न्यायालय को उस पर विचार करना चाहिये। न्यायालय यह नहीं कह सकता है कि क्योंकि साक्षी का बयान पुलिस के बयान के प्रतिकूल है इसलिये इस को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु प्रस्तुत संशोधन के अनुसार यदि साक्षी को विरोधी क़रार दे दिया जाये तो उस की गवाही मान्य नहीं होगी। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री का कथन है कि एक झूठे साक्षी के साक्ष्य का अभियुक्त को भी लाभ नहीं उठाने देना चाहिये। परन्तु प्रश्न है कि साक्षी झूठा है अथवा पुलिस झूठी है। तत्पश्चात् उन का कहना है कि इन झूठी बातों का लाभ साक्ष्य का प्रतिवाद करने के अभियोक्ता पक्ष को भी मिलना चाहिये। पुलिस झूठे बयान अभियोक्ता पक्ष के लाभ के लिये अभिलिखित करती है और यदि अभियोक्ता पक्ष ही उन का लाभ उठाये तो बहुत अनुचित होगा। मेरे विचार से कोई भी सदस्य इस का समर्थन नहीं करेगा।

खंड २३ के सम्बन्ध में पंडित ठाकुर दास भार्गव के कथन के अनुसार, ऐसा कोई भी उपबन्ध नहीं रखा गया है जिस में मामला प्रारंभ होने से पहले कुछ समय के लिये ये दस्तावेज़ अभियुक्त को मिल सकें। यह तो कहा गया है कि पुलिस प्राधिकारी बयानों को अभियुक्त को देगा परन्तु उस में यह नहीं दिया गया है कि कितने समय पहले

[श्री साधन गुप्त]

देगा । यदि वे मामला प्रारम्भ होने पर ही उसे दिये जायेंगे तो इस से उस को क्या लाभ होगा । इसलिये हम ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि सुनवाई प्रारम्भ होने से कम से कम १५ दिन पहले ये बयान अभियुक्त को दे दिये जाने चाहियें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ये चौदहवें दिन मांगे गये ?

श्री साधन गुप्त : मांगने का प्रश्न ही नहीं है । उन्हें तो पुलिस प्राधिकारी को बिना किसी आवेदन के प्रस्तुत करना चाहिये ।

एक अन्य उपबन्ध के अनुसार यदि कोई बयान लोक-हित अथवा न्यायहित में न हो तो वह प्रकाश में नहीं आने चाहिये । ब्रिटिश काल से इस में केवल अन्तर इतना ही है कि उस समय एक दंडाधीश को उन्हें अपवर्जित करने का अधिकार था परन्तु अब यह अधिकार पुलिस प्राधिकारी को दे दिया गया है । आश्चर्य होता है कि यह जानते हुए भी कि पुलिस बचाव पक्ष के उपायों में सदा रोड़े अटकाती है फिर भी अधिकार उस को ही दे दिया गया । केवल बचत इतनी ही है कि ये बयान सुनवाई प्रारंभ होने से पहले दंडाधीश के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तथा यदि वह इन बयानों के दिखाये जाने में कोई हानि न समझे तो वह आदेश दे सकता है कि यह बयान अभियुक्त को दे दिये जायें । हमारा विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध जो भी बयान हों वे सभी उस को दिखाये जाने चाहियें ।

साक्ष्यों की संगतता तथा असंगतता के सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न न्यायालयों में उत्पन्न होते हैं जिन के कारण एक न्यायालय के फैसले को दूसरा न्यायालय बदल देता है । इसलिये साक्ष्यों की संगतता अथवा असंगतता का निर्णय दंडाधीश द्वारा अभियुक्त के समक्ष ही किया जाना चाहिये । संगतता के प्रश्न का निर्णय यह देख कर कि अभियुक्त किस प्रकार का बचाव करता है किया जाना चाहिये । कभी कभी अभियुक्त के बचाव की प्रणाली को देखे असंगतता का प्रश्न एक नवीन पहलू धारण कर लेता है ।

ऐसा हमारा एक संशोधन है जिस में इस उपबन्ध विशेष को विलोपित किया गया है, परन्तु यदि उस के स्वीकार किये जाने की कोई सम्भावना न हो तो हम ने एक और संशोधन प्रस्तुत किया है कि यदि बयान का कोई भाग अपवर्जित किया जाना अपेक्षित हो तो पुलिस प्राधिकारी यह कार्य स्वयं न करे परन्तु बयान में से उस भाग को अपवर्जित करने के लिये उसे पहले दंडाधीश का आदेश प्राप्त करना आवश्यक हो । यदि माननीय मंत्री में कोई भी न्यायप्रियता हो तो वह कम से कम इस संशोधन को तो स्वीकार करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : "न्यायप्रियता" आदि व्यंग किस लिये किये जा रहे हैं । ऐसी भावनायें किसी भी सिद्धान्त के सम्बन्ध में व्यक्त की जा सकती हैं । माननीय सदस्य चाहते हैं कि अपवर्जन से पहले दंडाधीश से परामर्श किया जाये, परन्तु परन्तुक में उपबन्ध है कि अपवर्जन के बाद दंडाधीश से परामर्श किया जाये । यह एक छोटा सा प्रश्न है । चाहे यह संशोधन स्वीकृत हो अथवा अस्वीकृत परन्तु माननीय सदस्य को, माननीय मंत्री की न्यायबुद्धि पर व्यंग नहीं करना चाहिये ।

श्री साधन गुप्त : पुलिस वाले बयानों को देने का कोई समय निश्चित नहीं किया गया है । यह छोटा सा प्रश्न नहीं है । संभव है कि अभियुक्त को तंग करने के लिये जिस से कि वह अपने बचाव का प्रबन्ध ही न कर सके सभी संगत बयानों को अपवर्जित

कर दे । इस प्रकार वह सभी बयान अभियुक्त को सुनवाई के दिन ही मिल सकेंगे । क्या यह ठीक है ? क्या यह अभियुक्त को सफ़ाई देने का अवसर देना है ? मैं चाहता हूं कि यदि इन बयानों को अपवर्जित किया जाये तो उस के अपवर्जन के लिये दंडाधीश की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त करनी चाहिये । तत्पश्चात् मेरा संशोधन है कि यह बयान पन्द्रह दिन पूर्व अभियुक्त को मिलने चाहियें ।

यदि ये दो संशोधन स्वीकार कर लिये जायें तो अभियुक्त को अपने बचाव के लिये पर्याप्त समय मिल सकेगा । इसलिये मैं एक बार फिर माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इन संशोधनों को स्वीकार कर लें ।

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : अपने संशोधन के द्वारा मैं 'तथा न्यायालय की अनुमति से, अभियोक्ता पक्ष द्वारा' शब्दों का लोप धारा १६२ में चाहता था । इन शब्दों को रखने के समर्थन में जिन सदस्यों ने तर्क उपस्थित किये हैं वह यह हैं कि जब अभियुक्त को अभियोक्ता पक्ष के साक्षी के प्रतिपरीक्षण करने का अधिकार दिया जाये तो अभियोक्ता पक्ष को भी अपने साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करने का अधिकार मिलना चाहिये । साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपरीक्षण की परिभाषा ही यह दी हुई है कि विरोधी पक्ष द्वारा साक्षी का परीक्षण । इसलिये ऐसे तर्क देना ठीक नहीं है ।

हम जानते हैं कि कभी कभी अभियोक्ता पक्ष के साक्षी साक्ष्य देते समय विरोधी हो जाता है । इस के दो कारण हो सकते हैं । प्रथम तो यह है कि पुलिस ने सही तथा ठीक प्रकार से बयानों को न लिखा हो क्योंकि पुलिस कभी कभी झूठे बयान अपनी सुविधा के अनुसार लिख लेती है । इसलिये यदि उसके बयान झूठे लिखे गये हैं तो उसको सही बात बताने की अनुमति होनी चाहिये कि पहला बयान उस से जबरदस्ती लिखवा लिया गया था । उसे सच बयान देने का अवसर मिलना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं बम्बई के मुख्य न्यायाधीश के फैसले की कुछ पंक्तियां उद्धृत करता हूं :—

> "यदि धारा १६४ के अधीन दिया गया बयान झूठा हो, निस्सन्देह ऐसे बयान होने नहीं चाहियें, परन्तु मामले की प्रारम्भिक दशा में यह संभव है कि साक्षी ने किसी प्रभाव के कारण झूठा बयान दे दिया हो और यदि सुनवाई के समय वह अपने झूठे बयान को वापस ले कर सही बयान दे तो उसे साधुवाद मिलना चाहिये ।"

दूसरे, कभी कभी ऐसा होता है कि साक्षी अभियुक्त का मित्र अथवा संबंधी होता है तथा न्यायालय के समक्ष कह देता है कि वह घटना के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता है । ऐसे अवसर पर पुलिस साक्षी को किसी दंडाधीश के समक्ष ले जा कर उस का बयान धारा १६४ के अन्तर्गत लेती है जिस से कि साक्षी अपना बयान न बदल सके । इस धारा का पुलिस उपयोग करती रही है और आगे करने से उसे कोई रोक नहीं सकता है । परन्तु यदि धारा में यह शब्द रहने दिये गये तो इस से न्याय को कोई सहायता नहीं मिलेगी । उदाहरणस्वरूप मान लीजिये कि अभियोक्ता पक्ष का एक साक्षी दंडाधीश के समक्ष एक बयान देता है और कहता है कि उस ने क, ख, ग, तथा घ को हत्या करते देखा और न्यायालय के समक्ष वह केवल क, ख, तथा ग का नाम लेता है । तो क्या होगा ? इस का अर्थ है कि वह दो विभिन्न बयान देता है और अपने ही बयान का प्रतिवाद करता है । परिणामस्वरूप वह विरोधी घोषित कर दिया जाता है और उस का

[श्री डाभी]

साक्ष्य मान्य नहीं होगा । मेरा कहने का यह अभिप्राय नहीं कि चौथे व्यक्ति को जिस का नाम नहीं लिया गया है, दण्ड नहीं मिलना चाहिये बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि जो बयान न्यायालय के समक्ष दिये जायें वही मान्य होने चाहियें । इसलिये उस को विरोधी घोषित करने से उस का अर्थ तीन व्यक्तियों के, जिन्हों ने संभव है हत्या की हो, सम्बन्ध में दिया गया बयान भी बेकार हो जायेगा ।

इस प्रश्न पर बहुत से प्रायः एकमत हैं । बहुत से सब न्यायाधीशों का सुझाव है कि धारा १६२ को ज्यूं का त्यूं ही रखा जाना चाहिये । इसलिये जिन शब्दों को बढ़ाने की प्रस्थापना है उन को उक्त धारा में नहीं रखा जाना चाहिए ।

श्री अमजद अली : धारा १६२ के सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले मैं श्री एन० सी० चटर्जी भूतपूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय तथा अन्य साथियों की समिति को उद्धृत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं तब उन की सम्मति को उद्धृत करने की क्या आवश्यकता है ?

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : वह भूतपूर्व न्यायाधीश के रूप में उन की सम्मति उद्धृत कर रहे हैं ।

श्री अमजद अली : श्री एन० सी० चटर्जी की, जो संसद् सदस्य, बैरिस्टर तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, यह सम्मति है कि धारा १६२ बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है क्योंकि इस के द्वारा पुलिस प्राधिकारियों की चालबाज़ियों से अभियुक्त की बचत होती है । साथ ही धारा १६२ के अनुसार पुलिस प्राधिकारियों द्वारा लिखे गये गलत सलत बयानों पर नियंत्रण भी लग जाता है । जैसा कि न्यायाधीशों आदि का मत है कि जांच करते समय जो कुछ उन की समझ में आता है वह उसे ही लिख लेते हैं और कभी कभी महत्वपूर्ण बातों को छोड़ भी जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर स्वयं विचार करूंगा तथा माननीय अध्यक्ष महोदय की सम्मति भी लूंगा कि संसद् सदस्यों की सम्मति को सभा में उद्धृत किया जा सकता है अथवा नहीं । प्रत्येक सदस्य अपनी लिखित सम्मति दे सकता है तथा यदि उस सदस्य को सभा में बोलने का समय मिले अथवा न मिले फिर भी कोई सदस्य उस सम्मति को सभा में उद्धृत कर सकता है । किसी भी माननीय सदस्य की सम्मति महत्वपूर्ण हो सकती है परन्तु मैं यह समझता हूं कि यदि सभा में किसी विषय पर कोई सदस्य किसी संसद् सदस्य की सम्मति को उद्धृत करेगा तो सभी सदस्य एक दूसरे की सम्मति को उद्धृत करने लगेंगे और यह उपयुक्त नहीं होगा । माननीय सदस्य अपने विचार सभा में प्रस्तुत कर सकते हैं । श्री एन० सी० चटर्जी यदि कुछ कहना चाहते हैं तो वह स्वयं बोल सकते हैं । उन्हें अपने विचार अन्य सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत नहीं कराने चाहियें । इसीलिये मैं एक माननीय सदस्य की सम्मति को दूसरे सदस्य द्वारा उद्धृत किये जाने के पक्ष में नहीं हूं ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) इस प्रश्न पर मैं ने इलाहाबाद उच्चन्यायालय के दो न्यायाधीशों का मत प्रस्तुत किया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को इस प्रश्न पर विचार करने की सम्मति देता हूं तथा वह अपना निश्चय मुझे अथवा

अध्यक्ष महोदय को बताने की कृपा करें। जब कोई विषय इस सभा से दूसरी सभा को भेजा जाये तो क्या इस सभा के सदस्यों की सम्मति उद्धृत की जा सकती है। अथवा यदि दूसरी सभा में किसी विषय पर वाद विवाद हुआ हो तो क्या वहां के सदस्यों की सम्मति यहां उद्धृत की जा सकती है? इसलिये किसी न्यायाधीश अथवा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति का मत यहां उद्धृत किया जा सकता है न कि किसी माननीय सदस्य का। साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कोई भी दल इस स्वीकरण को प्रयोग नहीं कर सकता। मैं इस विषय में विचार करूंगा।

श्री एस० एस० मोरे : आप का आशय यह है कि हमारे बयान केवल प्रतिवाद के लिये काम में लाये जा सकते हैं समर्थन के लिये नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री एन० सी० चटर्जी द्वारा बताये गये न्यायाधीशों की सम्मति उद्धृत कर सकते हैं।

डा० काटजू : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सम्मति भी भिन्न भिन्न होती है।

श्री एन० सी० चटर्जी : इस प्रश्न पर किसी भी उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश श्री ब्रान्ड तथा न्यायाधीश श्री कालिस्टर के निर्णय का विरोध नहीं किया है।

श्री अमजद अली : दूसरे मामले में एक न्यायिक समिति का निर्णय है कि धारा १६२ के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा। तथा यदि यह साक्ष्य अभियुक्त के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति का हो तो भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो क़ानून का निर्वचन है। परन्तु माननीय मंत्री तो स्वयं क़ानून को ही बदल देना चाहते हैं। इन दोनों बातों में बहुत अन्तर है। माननीय सदस्य ने स्पष्टतया प्रिवी काउन्सिल द्वारा बताई गई कठिनाई को दूर करने का प्र किया है और इस के लिये परिनियम उपबन्ध करना चाहते हैं। वह स्वयं नियम को बदलना चाहते हैं।

श्री अमजद अली : उस धारा को का आशय निश्शंक रूप से सूचना देने को प्रोत्साहन देना था।

उपाध्यक्ष महोदय : उस धारा के अनपेक्ष भी वह इसे सामान्य सिद्धान्त के रूप म का : में लाना चाहते थे, कि इस प्रकार के साक्ष्य को अभियोक्ता के पक्ष में काम में लाये जाने की अनुमति दी जाये। प्रिवी काउन्सिल के न्यायाधीशों ने विचार प्रकट किया था कि इसे नहीं रखा जाना चाहिये और यह उपबन्ध ठीक ही है। माननीय मंत्री परिनियमों में उपबन्ध रखना चाहते हैं। परन्तु इसे काम में किस प्रकार लाया जायेगा ? मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को इस के लिये सामान्य सिद्धान्त पर निर्भर रहना होगा।

श्री एन० सी० चटर्जी : माननीय स पुलिस के अभिलेखों की अविश्वसनीयत ओर इशारा कर रहे थे।

श्री अमजद अली : इस धारा का पुलिस अफ़सरों के ग़लत बयानों से व पक्ष के हितों की रक्षा करना था। उनका ख्याल होता है कि जितने मामले होंगे उतनी ही उन की पदोन्नति होगी। पुलिस द्वारा बयान बहुत गड़बड़ तरीक़े से और अपना मतलब निकालने के लिये लिखे जाते हैं। वर्तमान धारा १६२ के अनुसार अभियुक्त को अभियोक्ता पक्ष के गवाहों के बयानों का अपने बयान के द्वारा प्रतिवाद व

[श्री अमजद अली]

अधिकार प्राप्त है । अंग्रेज़ों के ज़माने भी यह प्रणाली सन्तोषजनक रीति से र्य करती रही है । बड़े दुख की बात है डा० काटजू इस स्वतंत्रता को, इस अधिर को समाप्त कर देने का प्रयत्न कर ह हैं । क्या उन्हों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रश्न को एक दम विस्मृत कर दिया है ?

इस संशोधन के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा १४५ को फ़ौजदारी मुक़दमों के लिये संशोधित करने का प्रयत्न किया गया है । यदि अभियोग पक्ष को पुलिस की डायरी के आधार पर अभियोक्ता पक्ष के साक्षियों के बयानों का प्रतिवाद करने का वैसा ही अधिकार दिया गया तो पुलिस की विवेकशून्यता को सदैव ही प्रश्रय मिलेगा । अभी तक बचाव पक्ष को जिस खराबी से बचाया गया था वह अब इस के द्वारा थोपी जा रही है । अब तक बचाव पक्ष को जो सुविधा प्राप्त थी वह उस से ली जा रही है । इस से यह पता चलता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का किस प्रकार हनन किया जा रहा है ।

इस के पश्चात् निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये :

	प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
खंड २०	श्री बोगावत (अहमदनगर–दक्षिण)	४६५
नया खंड २१ क	प० ठाकुर दास भार्गव	३६९
नया खंड २१ क	श्री आर० डी० मिश्र	५३ और २८७
खंड २२	श्री आर० डी० मिश्र	४६६
	श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद–उत्तर)	२६२
	श्री साधन	३७०
	श्री डाभी	५
	पंडित ठाकुर दास भार्गव	१००
	श्री मूलचन्द दुबे	२६३
	श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर–दक्षिण)	३७१
	श्री अमजद अली	४२५
	श्री बोगावत	४६८
नया खंड २२ क	पंडित ठाकुर दास भार्गव	३७२
खंड २३	श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा (हजारीबाग पूर्व)	३१०
	श्री मूलचन्द दुबे	२६४
	श्री साधन गुप्त	३७३, ४२६, ४२८
	पंडित ठाकुर दास भार्गव	३७५, १०१, १०२, १०३
	श्री यू० एस० दुबे (जिला बस्ती उत्तर)	३७६
	श्री सिंहासन सिंह	३७७
	श्री अमजद अली	४२७
	श्री एच० जी० वैष्णव (अम्बड़)	३७९
	श्री आर० डी० मिश्र	५७

नवीन खंड २४ क

श्री बोगावत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ७ में पंक्ति ४ के पश्चात् निम्न-लिखित जोड़ा जाये :

"**२४क. १८९८ के अधिनियम ५ से धारा १९७क का निकाला जाना.**— मूल अधिनियम में से धारा १९७ क निकाल दी जायेगी ।"

श्री फ्रैंक एंथनी : धारा १६२ के प्रस्तावित संशोधन का कांग्रेस समेत सब ओर से विरोध किया गया है । मेरे संशोधन का अभिप्राय मूल संशोधन को जारी रखना है । माननीय गृह-कार्य मंत्री का कहना है कि इस विषय में अभियुक्त और अभियोक्ता पक्ष में समानता रहनी चाहिये । क्योंकि जांच करने वाला पदाधिकारी केस डायरी लिखता है, जो बयान लिया जाता है उस पर साक्षी के हस्ताक्षर नहीं होते । इस परिस्थिति में अभियोक्ता पक्ष को भी प्रतिवाद पक्ष के समान अधिकार देने चाहियें, परन्तु मैं इसे गलत समझता हूं । साधारणतः जांच पदाधिकारी और अभियोक्ता पक्ष के साक्षियों में मतभेद और झगड़े की कोई सम्भावना नहीं होती और इसीलिये धारा १६२ लाई गई थी परन्तु नये संशोधन से धारा १६२ का प्रयोजन नष्ट हो जायेगा और प्रतिवाद पक्ष के लिये बड़ी कठिनाई हो जायेगी । गृह-कार्य मंत्री के तर्क मुझे नहीं जचे । केस डायरी कभी भी अभियोक्ता पक्ष के विरुद्ध नहीं जाती । केस डायरी के बयान और शपथ ले कर दिये गये बयान में यदि कोई अन्तर हो भी तो न्यायालय उस की ओर अधिक ध्यान नहीं देता जब तक कि वह कोई अत्यन्त गम्भीर छूट न हो । इस उपबन्ध का प्रयोजन यह था कि जांच पदाधिकारी को झूठा केस तैयार करने दिया जाये । वह जानता था कि झूठा केस तैयार करने पर धारा १६२ के अनुसार अभियोक्ता पक्ष का सारा केस बिगड़ सकता है ।

परन्तु अब यह होगा कि यदि कोई साक्षी सच्चा बयान देना चाहता है तो गृह-मंत्री के संशोधन के अनुसार जांच पदाधिकारी न केवल झूठी डायरी तैयार कर सकेगा बल्कि अपने साक्षियों का भी खंडन कर सकेगा । इस से सब-इंस्पैक्टर को दो शक्तियां मिलेंगी । पहली यह कि वह जैसे चाहे केस डायरी लिखे । और वह किसी सच्चे साक्षी को झूठा बयान देने के लिये विवश कर सकेगा ।

एक साक्षी यदि न्यायालय में आ कर कहता है कि वह उस स्थान पर था और अभियुक्त ने वह अपराध नहीं किया तो इस साक्ष्य पर अभियुक्त रिहा हो सकता है परन्तु अब अभियुक्त को इस सच्चे साक्षी से होने वाले लाभ से वंचित किया जा रहा है । इस का यह प्रभाव होगा ।

साक्षी चाहे यह न करे कि उस ने अभियुक्त को नहीं देखा परन्तु वह मेरे अपराध की कठोरता को कम करता है तो गृह-कार्य मंत्री के संशोधन द्वारा अभियुक्त को यह लाभ प्राप्त नहीं करने दिया जायेगा बल्कि झूठी केस डायरी द्वारा उस का खंडन किया जायेगा । मेरा अभिप्राय है कि धारा १६२ का कभी भी यह उद्देश्य न था । यह तो अभियुक्त के लाभ के लिये बनाया गया था । इस संशोधन से अभियोक्ता पक्ष को अनुचित लाभ प्राप्त होगा इसलिये इस धारा को निकाल देना ही ठीक होगा क्योंकि यदि अभियुक्त को उचित लाभ नहीं दिया जाना तो अभियोक्ता पक्ष को भी अनुचित लाभ न हो ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं १८९८ की संहिता की धारा १६२ में परिवर्तन करने वाले खंड २२ का कड़ा विरोध करता हूं । नियमानुसार साक्षी का बयान या तो खंडन

[श्री एस० एस० मोरे]

के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है या पुष्टि के लिये। परन्तु इस साधारण प्रक्रिया अथवा साधारण उपबन्ध में परिवर्तन किया जा रहा है कि इसे न तो अभियुक्त के विरुद्ध और न ही साक्षी के बयान की पुष्टि के लिये बल्कि साक्षी यदि कटहरा में अपने बयान से फिर जाये तो उस का प्रतिवाद करने के लिये प्रयुक्त किया जाये।

१८८२ की संहिता में धारा १६२ में लिखा है कि मृत्युकालीन बयान के अतिरिक्त जो जांच के समय कोई व्यक्ति पुलिस पदाधिकारी के सामने लिखवा कर उस पर हस्ताक्षर करे, और कोई बयान अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। १८९८ में इसे बदल कर अभियुक्त को **यह अधिकार दिया गया कि वह बयान को** देखने के लिये दंडाधिकारी को प्रार्थना कर सकता है। **और** यदि दंडाधिकारी उचित समझे तो प्रतिवाद की आज्ञा दे सकता है।

अभियुक्त का पक्ष लेने के लिये हमारी बड़ी निन्दा की जाती है। पुरानी विधान सभा के वाद विवादों में आप को बहुमूल्य सिद्धान्त मिलेंगे जिन का समर्थन उन लोगों ने किया जो सदा कांग्रेस के साथ रहे। उन भाषणों को पढ़ कर बड़ी प्रसन्नता होती है परन्तु माननीय गृह-कार्य मंत्री और उन के सहकारियों के भाषण तो बड़े निरुत्साहित करने वाले हैं। सत्ता प्राप्त होने पर वे सारे सिद्धान्त भूल गये हैं। १९२३ में सर हरि सिंह गौड़ और दूसरे लोग अभियुक्त के लिये एक अधिकार प्राप्त करने के लिये लड़ रहे थे। दण्डाधिकारी को उस समय भी विश्वास पात्र नहीं समझा जाता था। **और** यह डर रहता था कि बयान को देख कर दण्डाधिकारी कहीं अभियोक्ता के पक्ष में न हो जाये।

१९२३ में सर हरि सिंह गौड़ और अन्य लोगों न अभियुक्त को बयानों की प्रतियां दी जाने के लिये यत्न किया। श्री टौकिन्सन ने, जो विधेयक के प्रभारी थे, कहा कि मैं इतना कर सकता हूं कि यदि दंडाधिकारी को विश्वास हो कि पुलिस के बयान में कोई ऐसी बात है जिस से अभियुक्त को लाभ हो सकता है तो वह अभियुक्त को बयान की एक प्रति देने की अनुज्ञा दे सकता है।

१९२३ के संशोधनार्थ विधेयक की प्रवर समिति ने, जिस के अध्यक्ष श्री तेज बहादुर सपरू थे, भी धारा १६२ में इस आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया कि वे नहीं चाहते थे कि पुलिस डायरी द्वारा साक्षी का खंडन किया जाये।

प्रवर समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, बयान **बदलने** वाले साक्षी का प्रतिपरीक्षण दंडाधिकारी की अनुज्ञा से अभियोक्ता पक्ष द्वारा किया जा सकता है। सपरू प्रवर समिति से पूर्व भी उन लोगों द्वारा ऐसी मांग की गई थी जो अभियोक्ता पक्ष से सहानुभूति रखते थे परन्तु सपरू प्रवर समिति ने इसे अस्वीकृत कर दिया था। दुर्भाग्यवश ३० या ३१ वर्ष पश्चात् उस प्रस्ताव को वही सरकार स्वीकार कर रही है जो सपरू समिति द्वारा प्रस्तावित सिद्धान्तों पर चलती रही है।

झूठा बयान देने के पश्चात् कोई साक्षी यदि आत्मग्लानि के कारण सच्ची बात कहता है तो उस के बयान को उस के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं करना चाहिये। यह दलील दी जा सकती है कि हम अभियुक्त के विरुद्ध इस का उपयोग नहीं करेंगे प्रत्युत साक्षी के विरुद्ध इसे प्रयुक्त किया जायेगा। लेकिन यह सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कहते हैं कि यह अप्रत्यक्ष साक्ष्य होगा।

कुछ माननीय सदस्य : यह पुष्टिकरण का काम देगा ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं राव बहादुर राघवाचारी का एक उद्धरण व्यक्त करूंगा । आप सब उन्हें भली प्रकार जानते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी उपाध्यक्ष थे ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं राव बहादुर राघवाचारी और वर्तमान उपाध्यक्ष की तुलना के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा ।

विशेष रूप से इस खंड पर बोलते हुए श्री राघवाचारी ने कहा था :

> "न्यायालयों का अस्तित्व केवल दोषसिद्धियों के लिये ही नहीं है ; उनका उद्देश्य न्याय की सम्बृद्धि है ।"

श्री एन० सी० चटर्जी : डा० काटजू कहां चले गये ?

श्री एस० एस० मोरे : वस्तुतः मुझे खेद है कि वह यहां नहीं हैं । माननीय मंत्री मुक्ति की इस पद्धति के विरोधी हैं, किन्तु इस का वास्तविक कारण दंड प्रक्रिया नहीं है । इस का वास्तविक कारण तो अभियोक्ता पक्ष है जो जांच करता है । मेरा निवेदन है कि उन्हें स्पष्टवादी होना चाहिये और कांग्रेस के सिद्धान्तों का निर्भयतापूर्वक समर्थन करना चाहिये । देश के स्वतंत्र होने से पूर्व नवयुवकों के हृदयों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये कांग्रेस ने देश के सामने अनेक आदर्शवादी सिद्धान्त रखे थे, परन्तु आज वह स्वयं उन से बदल गई है, और उन प्राचीन सिद्धान्तों के नाम से ही कांप उठती है । आज प्रस्तुत किया गया यह नवीन परिवर्तन वास्तव में अन्य सभ्य देशों में प्रचलित दण्ड-विधि और न्याय विधि के मूलसिद्धान्तों का बिलकुल विपरीत रूप है । अतः संयुक्त प्रवर समिति के इस संशोधन को कदापि स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १७२ के अधीन पुलिस एक डायरी रखती है, फिर धारा १६१ के अधीन उन्हें साक्षी के बयान को पृथक रूप से अभिलिखित करने के लिये लगाया जाता है परन्तु यह इसी-लिये तो है ताकि उस मामले को अपनी इच्छानुसार बनाया बिगाड़ा जा सके । अतः होना यह चाहिये कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी को एक एक डायरी दे दी जाये जिस पर सब न्यायाधीश के हस्ताक्षर हों और वह उसी में ही सभी बयान लिखे । इन बयानों के बारे में निर्णय न्यायपालिका ही करेगी, और साक्षियों के बयान इन्हीं डायरियों में लिखे जाय, ताकि यदि कहीं बयानों में अन्तर हो, तो कहा जा सके कि यह अन्तर तो मन परिवर्तन के कारण हो गया है । अतः डायरियों को गुप्त रखने वाली यह प्रणाली त्याग देनी चाहिये ।

न्यायालय तो वास्तव में न्याय के मन्दिर हैं । ये कोई कारागार में भेजने के साधन नहीं हैं । चाहे कोई कितना भारी अपराधी क्यों न हो, न्यायालय को तो उस के साथ निष्पक्ष न्याय करना है ।

मैं खण्ड २० का घोरतम विरोध करता । एक अकेला अभियुक्त जब न्यायालय में आता है तो वह असहाय होता है और अभि-योजन-पक्ष हर प्रकार के साधनों से युक्त होता है । अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता तो अभियुक्त की सहायता के लिये होती है न कि अभियोजन पक्ष की सहायता के लिये । यद्यपि अभियुक्त को दण्ड के उपरान्त छोड़ दिया जाता है, परन्तु शीघ्र ही किसी न किसी बहाने से उसे फिर से पकड़ लिया जाता है ।

[श्री एस० एस० मोरे]

खण्ड २३ तो वास्तव में सराहनीय है और हम सच्चे हृदय से इस का समर्थन करते हैं । इस के अनुसार अभियुक्त को उस के सभी पत्रादि देखने का अधिकार दिया गया है, अतः वह उस के अनुसार ही अपने वकील को उचित अनुदेश दे सकता है । आशा है कि इसी प्रकार से धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जायेगा ।

इस के उपरान्त मैं खण्ड २० के उपबन्ध का विरोध करता हू । इस के अनुसार तो पहले ही ऐसा समझ लिया जाता है कि अभियुक्त अपराधी है । परन्तु आज की बीसवीं शताब्दी में और विशेष कर कांग्रस के राज्य में ऐसी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होनी चाहिये ।

पण्डित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (जिला प्रतापगढ़--पूर्व) : धारा १६० से सम्बन्ध रखने वाले खण्ड २१ के उपबन्ध को देख कर मुझे अपार हर्ष हुआ जिस के अनुसार किसी भी १५ वर्ष से कम आयु वाले पुरुष को या किसी भी स्त्री को अपने निवास के अतिरिक्त और किसी भी अन्य स्थान पर उपस्थित होने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकेगा । इस उपबन्ध का मैं स्वागत करता हूं ।

परन्तु अन्य सभी प्रस्तावित संशोधन ऐसे हैं कि उन का समर्थन नहीं किया जा सकता । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १६२ का प्रस्तुत संशोधन महान आपत्तिजनक है । इस में जान बूझ कर अभियुक्त को अपने बचाव की सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है । इस उपबन्ध के अनुसार पुलिस किसी मामले के बारे में जानने वाले अन्य लोगों के बयानों को उसी समय अभिलिखित नहीं कर लेती, अपितु वापिस आ कर सोच विचार कर अभियोजन पक्ष को पुष्ट बनाने की दृष्टि से अभिलिखित करती है । अतः ये बयान वास्तविक मामले के तथ्यों के बारे में नहीं होते अपितु पुलिस अधिकारी के अपने बनाये हुए होते हैं ।

धारा १६१ के संशोधन के अनुसार यह कहा गया है कि ऐसे बयानों को डायरियों में अभिलिखित करने की आवश्यकता ही नहीं । पुलिस अधिकारी उन बयानों को काग़ज़ के टुकड़ों पर लिख लेता है, वह साक्ष्य देने के लिये आता है, और जब भी देखता है कि किसी साक्षी का बयान उस के विपरीत जा रहा है तो तत्काल पूर्व के बयानों को दिखा कर उस का प्रतिवाद करता है । यह तो वास्तव में अभियुक्त पक्ष के साथ बड़ा अनर्थ करना है । इस उपबन्ध से तो यही स्पष्ट होता है कि जब भी कोई साक्षी अभियोजन पक्ष के लिये उपयोगी सिद्ध होता न दीखे, तो अभियोक्ता एक काग़ज के टुकड़े पर कुछ भी लिख कर ले आये और साक्षी के बयानों का विरोध कर के उसे डराने का प्रयत्न करने लगे । अतः मेरा निवेदन है कि ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य करने की इजाज़त कदापि न दी जाय ।

खण्ड २३ में भी एक दो उपबन्ध रखे गये हैं । इन के अनुसार पुलिस अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह देखता है कि किसी अभिलेख का कोई भाग मामले की वस्तु से असंगत है तो उस भाग को काट भी सकता है । संगत या असंगत के प्रश्न का निर्णय करना तो एक दण्डाधिकारी के लिये भी कठिन है तो एक पुलिस अधिकारी इस के विषय में कैसे ठीक विचार कर सकता है । और फिर उसे यह भी अधिकार दिया गया है कि यह आवश्यक नहीं कि वह सारे पत्र आदि अभियुक्त को दिखाये । इस प्रकार से पुलिस अधिकारी

के हाथ में अत्यधिक शक्ति दे दी गई है। यह सत्य है कि अन्तिम निर्णय तो दण्डाधिकारी ही करता है, परन्तु फिर भी पुलिस अधिकारी के प्रभाव को वह टाल नहीं सकता। इस प्रकार से अभियुक्त को अपनी रक्षा करने योग्य सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है।

खण्ड २३ के अधीन यह कहा गया है कि अभियुक्त को केवल वही पत्र दिये जायेंगे जोकि उस विशेष स्थिति के अनुसार संगत होंगे, और पुलिस अधिकारी ही इस बात को देखेगा कि कौन कौन सा भाग मामले की दृष्टि से संगत है और कौन कौन सा भाग असंगत है। अतः संगतता के निर्णय का अधिकार फिर से पुलिस अधिकारी को दे दिया गया है। यह तो वास्तव में अत्यन्त अन्यायपूर्ण है क्योंकि पुलिस अधिकारी के लिये यह निर्णय करना अत्यन्त कठिन है कि कौन सा भाग संगत है और कौन सा असंगत है। और फिर हो सकता है कि पुलिस अधिकारी जान बूझ कर अभियुक्त को वही भाग दे जो कि उन के लिए उपयुक्त न हों और उपयुक्त भागों को अपने पास छिपा कर रख ले। अतः यह उपबंन्ध अभियुक्त की सुविधाओं पर कुठाराघात हैं। अतएव मेरा निवेदन है कि धारा १६० के संशोधन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रस्तावित संशोधन अभियुक्त के हितों के विरुद्ध हैं, अतः उन्हें निकाल देना चाहिए।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रस्तावित नये संशोधनों के विषय में अनेक भ्रम हैं। उन भ्रमों को दूर करने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी किसी साक्षी से कोई पूर्व बयान लिया गया है तो भारतीय साक्ष्य-अधिनियम के अधीन वह या तो उस साक्षी को बुलाने वाले पक्ष के द्वारा अपने समर्थन के उद्देश्य से, या अन्य पक्ष के द्वारा खण्डन करने के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जा सकता है। अथवा वह उसी पक्ष के द्वारा प्रतिवाद के लिये भी प्रयुक्त किया जा सकता है, परन्तु वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा १५४ के उपबन्धों के अधीन हो। और धारा १५४ का उपबन्ध निम्नलिखित है :—

> "न्यायालय, स्वविवेक से, साक्षी बुलाने वाले को अनुज्ञा दे सकता है कि वह साक्षी से ऐसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है जोकि विरोधी पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षण के समय किये जा सकते हैं।"

इस विषय में, इस प्रकार की अनुज्ञा देने से पूर्व, न्यायालय को इसे अच्छी प्रकार से देख लेना होता है कि दूसरे पक्ष का, यह विरोध कि उस का साक्षी प्रतिकूल था, सिद्ध हो गया है। केवल ऐसी स्थिति में ही जबकि न्यायालय पूर्ण निर्णय कर लेता है कि प्रत्यक्षतः कोई विशेष साक्षी उस पक्ष के प्रतिकूल हो गया है जिस ने उसे बुलाया है, तभी उस पक्ष को उस के प्रति परीक्षण का अधिकार दिया जायेगा।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव : यह कहां लिखा है कि न्यायालय अवश्य ही घोषणा करे कि कोई साक्षी प्रतिकूल हो गया है, पूर्व इस के कि वह इस की अनुज्ञा दे ?

श्री दातार : मैं अपने माननीय मित्र को, जोकि हम में अधिकतर व्यक्तियों से अधिक अनुभवी हैं, बता देना चाहता हूं कि अनेक उच्च न्यायालय इसी पद्धति का अनुसरण करते रहे हैं।

पण्डित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ —दक्षिण) : किसी भी अधिनियमन में 'प्रतिकूल' नामक कोई शब्द नहीं आता।

श्री दातार : परन्तु जहां तक न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले आदेशों का सम्बन्ध है, 'प्रतिकूल' शब्द का अर्थ इस से निकल सकता है । और कोई न्यायालय उस पक्ष की इच्छा पर जिस ने गवाह बुलाया है उसे उस (गवाह) का प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति नहीं देगा । यह मानना बुद्धिमत्ता से परे की बात है कि हमें हमारे ही साक्षी का प्रतिपरीक्षण करने दिया जायेगा, क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं ।

जहां तक साक्षी के पहले बयान का संबन्ध है, यही साधारण पद्धति है । कुछ सदस्यों को भ्रम है कि धारा १६२ के अधीन अभियुक्त को कोई विशेष अधिकार दिया गया है । वास्तव में उसी बात को न्यूनाधिक रूप में पुनः प्रमाणित किया गया है । यह अधिकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा १४५ के अधीन पहले से दिया गया है और यह धारा प्रतिपरीक्षण करने वाले पक्ष को यह अधिकार देती है कि वह साक्षी को उस के पहले बयान के विशेष पद का स्मरण करा कर उस के साक्ष्य का प्रतिवाद कर सकता है, परन्तु उस का उद्देश्य केवल प्रतिवाद करना होना चाहिये । अतः अभियुक्त का यह अधिकार तो पहले से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया हुआ है । जब यह प्रश्न उठा कि क्या अभियोक्ता अथवा अभियुक्त को इस का उपयोग करना चाहिये या नहीं, तो यह निर्णय किया गया था कि अभियोक्ता को धारा १५७ के अधीन साक्षी के पिछले बयान को पुष्ट कराने का अधिकार नहीं मिलना चाहिये । धारा १६२ ने अभियुक्त को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया, बल्कि केवल उस के साधारण अधिकार को, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा १४५ के अधीन उसे पहले से प्राप्त था, पुनः प्रमाणित किया है, जिस के अनुसार अभियोक्ता से पुष्टिकरण का तथा जब कभी साक्षी ने अपने पहले बयान से भिन्न बयान दिया हो उस समय उस का प्रतिपरीक्षण करने का अधिकार छीन लिया गया है । यह यथार्थ स्थिति है, जिसे हमें समझना चाहिये ।

मैं कतिपय माननीय सदस्यों के इस सामान्य वक्तव्य को मानने को तैयार नहीं हूं कि पुलिस द्वारा जितने भी बयान लिये जाते हैं वे सर्वथा गलत होते हैं । वास्तव में, इस मामले में, परिशिष्ट 'डी', पृष्ठ १०९ पर जो कुछ कहा गया है, वह मेरी इस बात की पुष्टि करता है । लार्ड एटकिन कहते हैं :

> "उस धारा, अर्थात् १६२ को बनाते समय विधान सभा का उद्देश्य, स्वतंत्रता-पूर्वक जानकारी देने को प्रोत्साहित करना तथा/अथवा वह बयान देने वाले व्यक्ति को पुलिस बयान के अनुमानित झूठ से बचाना था ।"

सभा प्रीवी कौंसिल के न्यायाधीश लार्ड एटकिन की इन दो उक्तियों पर विचार करेगी । पहला उद्देश्य यह था कि सभी बयान यथासंभव स्वतंत्रतापूर्वक दिये जायें और दूसरा उद्देश्य यह था कि उस व्यक्ति को पुलिस के बयानों के अनमानित झूठ से बचाया जाये । प्रीवी कौंसिल के न्यायाधीश भी यह नहीं कहते कि पुलिस द्वारा लिये गये सभी बयान सर्वथा झूठे होते हैं । श्री ऐंथनी यह समझते हैं कि पुलिस के बयान सर्वदा झूठे होते हैं और न्यायालय अथवा दंडाधिकारी के समक्ष दिये गये सभी बयान सत्य तथा ठीक होते हैं । हमें ऐसा विचार नहीं रखना चाहिये । १६१ और १६२ के अधीन लिये गये कुछ बयान गलत अथवा झूठे भी हो सकते हैं । परन्तु हम ऐसा सामान्य मत नहीं बना सकते । धारा १६२ के अधीन केवल पुष्टिकरण का अधिकार छीन लिया गया है ।

मूल विधेयक के अनुसार, जो सरकार ने सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था, धारा १६२ को इस उद्देश्य से निकाल देने का विचार किया गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साधारण उपबन्धों को कायम रखा जाये अथवा उन को यथाविधि पुनः स्थापित किया जायें। परन्तु इस पर यह आपत्ति की गई थी, कि सरकार या अभियोक्ता को पुष्टिकरण का अधिकार बिल्कुल नहीं मिलना चाहिये। इसी कारण संयुक्त प्रवर समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया है। उस के सामने दो समस्यायें थीं : एक यह कि क्या अभियोक्ता को पुष्टिकरण का अधिकार मिलना चाहिये। अब उस ने अभियोक्ता से वह अधिकार छीन लेने की सिफारिश की है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा १५७ के अधीन पक्षों को दिया गया था।

दूसरी समस्या यह थी कि क्या कतिपय विशेष परिस्थितियों के अधीन, साधारणतया नहीं, प्रतिवाद का अधिकार उन को दिया जाना चाहिये, अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में सभा को जानना चाहिये कि अभियोक्ता अथवा अभियुक्त के बीच कोई समानता नहीं मानी गई है। अभियोक्ता और अभियुक्त के अपने अपने अधिकार हैं, परन्तु वे समानावस्था में नहीं हैं।

श्री एस० एस० मोर : उन में से किस की स्थिति उत्तम है ?

श्री दातार : धारा १४५ के अधीन प्रतिवादी पक्ष के प्रतिपरीक्षण करने वाले वकील को, पहले दिये गये बयान के बारे में कोई भी प्रश्न पूछने की छूट है। उसे प्रतिवाद करने की भी स्वतंत्रता है और इसीलिये पहले से यह उपबन्ध किया गया था। इस रूप में यह अधिकार अभियोक्ता को प्राप्त नहीं है। अभियोक्ता को प्रत्येक अवस्था में प्रतिपरीक्षण का अधिकार प्राप्त करने के पहले धारा १५४ का आश्रय लेना पड़ेगा। इसी अधिकार को संयुक्त प्रवर समिति ने कई कारणों से स्वीकार कर लिया है।

सभा ऐसे कृत्य की उपलक्षणाओं को भी समझने का प्रयत्न करेगी, जिन का किसी अभियोक्ता को एक असाधारण मामले में आश्रय लेना पड़ता है। साधारणतया, जब अभियोक्ता न्यायालय के समक्ष अपने साक्षियों को उपस्थित करता है तो स्वभावतः वे विश्वास करते हैं कि साधारणतया वे साक्षी अपने वही बयान देंगे जो उन्होंने पुलिस के सामने दिये हैं। सभा के सामने केवल एक चित्र प्रस्तुत किया गया है कि वह बयान बिल्कुल ग़लत होता है, और वह ठीक ढंग से नहीं लिया गया होता, अथवा उस बयान में कुछ बनावट होती है। एक पक्ष उस बयान की इतनी निन्दा करता है। मैं नम्रतापूर्वक सभा से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले पर यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ विचार करे। पुलिस द्वारा अभियोक्ता के साक्षी के बयान लिये जाने के पश्चात् क्या—मैं जान बूझ कर यह बात कह रहा हूं—प्रतिवादी उस साक्षी को यह समझाने का प्रयास करता है या नहीं कि वह साक्ष्य बनावटी है ? हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। न्यायालय के समक्ष दिये गये सभी बयान सच्चे नहीं होते और पुलिस के सामने दिये गये सभी बयान बिल्कुल झूठे नहीं होते।

श्री बी० एन० मिश्र (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर) : क्या पुलिस प्रतिवादी के साक्षियों के साथ गड़बड़ नहीं करती ?

श्री दातार : मैं ने इस के पहले पहलू का पहले ही वर्णन कर दिया है। मैं ने कभी नहीं कहा कि पुलिस जो कुछ कहती है वह

[श्री दातार]

सब सच होता है। पहली बात की कई माननीय मित्रों ने पूरी व्याख्या कर दी है। मैं दूसरे पहलू को भी ले रहा हूं। दूसरा पहलू यह है कि कतिपय मामलों में, मैं प्रतिशत बताना नहीं चाहता, अभियुक्त ऐसे साक्षियों के पास जाते हैं और साक्ष्य में गड़बड़ करते हैं। ऐसे मामलों में—सब में नहीं—यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि दण्ड देने के उद्देश्य से नहीं बल्कि न्याय की दृष्टि से, क्या ऐसा होना चाहिये। श्री मोरे ने न्यायालयों को न्याय-मन्दिरों से उपमा दी है। मैं मानता हूं कि न्यायालयों को न्याय-मन्दिर होना चाहिये, और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि ऐसे सब मन्दिरों को बिल्कुल भी अपवित्र नहीं होना चाहिये।

ऐसी अवस्था में, न्यायाधीश का व्यवहार कैसा होना चाहिये? उन्होंने उस उक्ति का उल्लेख किया है जो साक्ष्य प्रस्तुत करते समय सरकारी वकील या सरकारी अभियोक्ता के व्यवहार के बारे में कही गई है। सरकारी अभियोक्ता दण्ड दिलवाने के लिये नहीं होता, बल्कि वह तो न्याय करवाने के लिये होता है। बहुत से मामलों में अभियोक्ता के प्रति न्याय करने में ही, न्याय होता है। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये। ऐसी बात नहीं है कि सभी अभियोक्ता झूठे होते हैं, और सभी आरोप कृत्रिम होते हैं। इसलिये न्याय-मन्दिर में आप को सब सम्बद्ध पक्षों के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष भाव से न्याय करना चाहिये। इसलिये आप को मानना होगा कि अभियोक्ता सरकार का प्रतिनिधान करता है। अभियोक्ता जनता के हितों का प्रतीक होता है। यह आप की सरकार है। इसलिये, ऐसे मामलों में, और यदि उदाहरण के लिये, अभियोक्ता यह अनुभव करता है कि किसी विशिष्ट मामले में किसी साक्षी विशेष में इतना परिवर्तन ला दिया गया है कि वह अपने उस बयान से जो उस ने पुलिस के सामने दिया था, भिन्न बयान दे रहा है, तो क्या सत्यता प्रमाणित करने के लिये अभियोक्ता को न्यायालय में यह कहने का अधिकार मिलना चाहिये या नहीं, कि उस (साक्षी) ने पहले जो बयान दिया था, वह अब न्यायालय में रूपान्तर के रूप में दिये गये बयान से बिल्कुल भिन्न था? न्याय के लिये अभियोक्ता को उस का प्रतिवाद करने का अधिकार मिलना चाहिये। परन्तु जैसा कि मैं ने बताया है, जब ऐसे अधिकार का आश्रय लिया जाता है, जब अभियोक्ता धारा १५४ के अधीन न्यायालय से प्रार्थना करता है, तो आप को यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि अभियोक्ता को भी कुछ भय होता है कि कहीं वह साक्षी बिल्कुल ही झूठा न ठहरा दिया जाये। ऐसे मामलों में जब यह मालूम हो जाय कि कोई साक्षी अपने पहले बयान से भिन्न बयान दे रहा है और यदि अभियोक्ता उस का प्रतिपरीक्षण करना चाहता है, तो अभियोक्ता उसे प्रतिकूल साक्षी घोषित करवाने के लिये न्यायालय में प्रार्थना करने से पूर्व अपनी हानि का अवश्य अनुमान लगा लेता होगा। इसलिये जब छोटे बयान होते हैं, तो अभियोक्ता को ऐसा अधिकार बिल्कुल नहीं मिलेगा, परन्तु जब अभियोक्ता यह अनुभव करता है कि उस के साक्षी का पहला बयान बिल्कुल सच्चा था, और तदुपरान्त उस के पास पहुंच की गई है और वह जान बूझ कर अपने पहले बयानों से भिन्न बयान दे रहा है, तो सच्चाई जानने के लिये अभियोक्ता और सरकारी अभियोक्ता को, दण्ड दिलवाने के लिये नहीं, अपितु न्याय करवाने के लिये, यह अधिकार दिया जा सकता है। इस प्रकार के सब मामलों में न्यायालय की अनुमति

देता है । अभियुक्त को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती । सरकारी अभियोक्ता को अपने साक्षी का सीधे तौर पर प्रतिपरीक्षण करने का तब तक अधिकार नहीं है जब तक कि धारा १५४ के अधीन की गई उस की प्रार्थना मंजूर नहीं हो जाती । मेरे माननीय मित्र ने तर्क वितर्क के समय जो कुछ कहा है, उस से मुझे दुख पहुंचा है । मेरा यह मत है कि दंडाधिकारी न्यायिक पद्धति से इन सब बातों पर ध्यान देते हैं । वह प्रायः अधिक मामलों में ऐसा ही करते हैं । इसलिये मैं सभा से निवेदन करूंगा कि न्यायालय की शक्ति वर्तमान और आवश्यक है । केवल अत्यन्त असाधारण मामलों में ही इस शक्ति का आश्रय लिया जाता है क्योंकि जब कभी अभियोक्ता ऐसी प्रार्थना करता है तो उसे अपने साक्षी के समस्त साक्ष्य के पूर्णतया झूठा घोषित होने का भी भय रहता है ।

श्री० ए० एस० मोर : यह विधि का गलत बयान है ।

श्री दातार : उसे अवसर प्राप्त करना होता है : यही तो मैं ने कहा है । हो सकता है हाल के निर्णयों के अनुसार कोई साक्षी ऐसी बातें कह सकता है जो सच्ची पाई जायें और साक्षी कुछ ऐसी बातें कह सकता है, जो गलत पाई जायें, परन्तु हम इन सब मामलों में साक्ष्य की ग्राह्यता को लेते हैं । प्रश्न यह है कि क्या उसे उचित ढंग से प्रतिपरीक्षण का अधिकार मिलना चाहिये या नहीं । हम साक्ष्य की ग्राह्यता को ले रहे हैं, और फिर साक्षी न्यायालय के समक्ष होता है, न्यायालय प्रश्न पर विचार करता है और तब न्यायालय इस की सत्यता को मालूम करता है कि आया उस का पहला बयान सच्चा है या बाद वाला, और दूसरी बात यह है कि क्या वह कई पहलुओं से सच्चा है और क्या वह कई पहलुओं से झूठा है । मैं सभा से नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि अन्त में--चाहे किसी उच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा होगा--समूचे साक्ष्य के आधार पर उस की सत्यता का विचार किया जाना चाहिये । आप किसी साक्ष्य के किसी भाग को झूठा और दूसरे भाग को सच्चा नहीं कह सकते । इसलिये केवल ऐसे असाधारण मामलों में जहां अभियोक्ता यह अनुभव करता है कि साक्षी का पहला बयान सच्चा है और प्रतिवादी द्वारा प्रतिपरीक्षण में जो कुछ कहलवाया गया है अथवा पहले बयान से भिन्न बयान देते समय उस ने जो कुछ कहा है वह--न्यायालय के सामने वस्तुस्थिति प्रस्तुत करने के उद्देश्य से--सच नहीं है, और अभियोक्ता या सरकारी अभियोक्ता को ऐसे असाधारण उपाय का आश्रय लेना पड़ेगा, जिस के अधीन उसे ऐसी प्रार्थना करने से पूर्व सम्भाव्य हानि का अनुमान लगाना होगा । हम केवल इस प्रकार के मामलों के लिये यह अधिकार लेना चाहते हैं । हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि जो कुछ पहले किया गया है, वह ठीक है, किन्तु ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिन में दूसरा पक्ष विभिन्न कारणों से गवाह से मिलने का प्रयत्न करे । ऐसा न केवल सम्बन्ध या मित्रता के आधार पर बल्कि अन्य आधारों पर भी किया जा सकता है । यह अधिकार केवल इन परिस्थितियों में अपवाद के रूप में दिया जायेगा और यह पुष्टि का अधिकार नहीं होगा । अतः जहां तक धारा १६२ का सम्बन्ध है, संयुक्त प्रवर समिति ने यह उपबन्ध रखा है कि जिरह का अधिकार हमें तब दिया जाये जब न्यायालय गवाह को शत्रु पक्षी समझे । अतः अभियोग पक्ष को उसी स्तर पर नहीं रखा गया । सफाई पक्ष के सब अधिकार बने रहते हैं । इस अधिकार को केवल अपवाद स्वरूप मामलों में प्रयोग किया जा सकेगा ।

[श्री दातार]

जहां तक धारा १७३ का सम्बन्ध है, इस के अनुसार बयानों की तथा अन्य प्रलेखों की प्रतियां जोकि साक्ष्य के दौरान में पुलिस ने इकट्ठी या तैयार की हैं, अभियुक्त को दी जायेंगी। कुछ लोग इसे अत्यधिक उदार समझते हैं। इन बयानों या प्रलेखों में कुछ अंश ऐसे हो सकते हैं जोकि संगत न हों, या जिन में विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को और अन्य लोगों को विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार है। इन परिस्थितियों में जांच अधिकारी क्या करेगा ? क्या सदन यह चाहता है कि सब प्रलेखों और बयानों की प्रतियां खुले तौर पर अभियुक्त को दी जायें ? यदि जांच अधिकारी यह समझता है कि कुछ अंश संगत नहीं हैं या न्याय के हित में उन्हें साक्ष्य से निकाल देना चाहिये, तो उसे अस्थायी स्वविवेक के प्रयोग का अधिकार दिया जायेगा। अभियोग के समय वह न्यायालय को बतलायेगा कि कुछ अंश अभियुक्त को नहीं दिये गये। न्यायालय इस पर विचार कर के अन्तिम आदेश देगा कि जांच अधिकारी ने ठीक किया है या अभियुक्त को अपवर्जित अंश की प्रतियां दी जायें। अतः आप देखेंगे कि जांच अधिकारी को स्वविवेक के प्रयोग का जो अधिकार दिया गया है, वह बिल्कुल अस्थायी है। यदि ऐसा न हो, तो राज्य की बहुत सी गोपनीय बातें असावधानी के कारण बतला दी जायेंगी। इसीलिये यह उपबन्ध किया गया है कि इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय मेजिस्ट्रेट स्वयं न्यायिक दृष्टिकोण से करेगा। इस निर्णय के समय अभियुक्त उपस्थित होगा, उस की सुनवाई होगी और अपवादस्वरूप मामलों में न्यायालय को अपवर्जित अंश दिखाया जायेगा।

श्री एस० एस० मोरे : अभियुक्त को तो बिल्कुल मालूम नहीं होगा कि अपवर्जित अंश में क्या है ? ऐसी हालत में वह मैजिस्ट्रेट से कैसे प्रार्थना कर सकेगा कि वह स्वविवेक को उस के पक्ष में प्रयोग करे ?

श्री दातार : जहां तक संगत होने का सम्बन्ध है, यदि कोई और खतरा या कारण न हुआ, तो स्वाभाविकतया बयान मैजिस्ट्रेट को दिखाया जायेगा और न्यायालय की अनुमति से, उचित मामलों में सफ़ाई पक्ष को भी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि अभियुक्त को अपवर्जित अंश न दिखाये गये, तो वह आपत्ति कैसे करेगा और मामले का निर्णय न्यायिक रूप से कैसे होगा ?

श्री दातार : अभियुक्त को अपवर्जित प्रलेखों को देखने का उस हद तक अधिकार होगा जिस हद तक कि न्यायालय आवश्यक समझे।

जहां तक गुप्त प्रलेखों या उन प्रलेखों का सम्बन्ध है, जिन के विषय को राष्ट्र के हित में गुप्त रखना आवश्यक है वे नहीं दिखाये जा सकते। जहां अन्य मामलों का सम्बन्ध है, अर्थात् जिन में संगति या न्याय के आधार पर कुछ अंश अपवर्जित किये गये हैं, मैं समझता हूं कि मेजिस्ट्रेट इन्हें अभियुक्त को दिखायेगा और उस के तर्क सुनने के बाद अन्तिम आदेश दिये जायेंगे।

श्री राघवाचारी : खंड २१ के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, वह उचित संशोधन है। वाद विवाद केवल धारा १६२ और १७३ के बारे में है। मुझे खेद है कि सरकार विरोधी पक्ष के सब संशोधनों का खंडन कर रही है। हम जो कुछ भी कहते हैं, वह केवल सरकार का विरोध करने के लिये नहीं कहते, बल्कि अपने विचारों और अनुभव के आधार पर

कहते हैं। मुझे पुलिस और धारा १६२ की कार्यवाही का ३४ वर्ष का अनुभव है। आप जानते हैं कि धारा १६२ का सम्बन्ध जांच अधिकारी से है। यह जांच अधिकारी कौन होता है ? '९० प्रतिशत मामलों में' यह पुलिस स्टेशन का हैड कांस्टेबल होता है, क्योंकि सब-इन्स्पैक्टर और इन्स्पैक्टर या तो अनुपस्थित होते हैं या वे हैड कांस्टेबल को भेज देते हैं। उस का लिखा हुआ वक्तव्य या रिपोर्ट ही मामले का आधार होता है। अब यह देखना है कि क्या अभियोग पक्ष को इस के किसी भाग को जिरह के लिये प्रयोग करने देना चाहिये। आप जानते हैं कि पुलिस के जांच अधिकारी को, जिस ने यह वक्तव्य लिखा था न्यायालय में बुलाया जाता है और उसे शपथ ले कर कहना पड़ता है कि अमुक बयान उस के सामने दिया गया था। चूंकि यह पहले ही लिखा हुआ होता है, इसलिये यह लम्बी प्रक्रिया अनावश्यक होगी। वास्तव में विधि के अनुसार धारा १६२ के वक्तव्य के आधार पर जिरह हो सकती है क्योंकि उस में "यदि समुचित रूप से सिद्ध कर दिया गया हो," ये शब्द हैं। इस का अर्थ यह है कि लिखी हुई चीज़ आधार नहीं है। इसे फिर सिद्ध करना पड़ेगा और इस के बाद इसे खंडन करने के लिये प्रयोग किया जा सकता है। पहले यह सिद्ध करना पड़ेगा कि यह बयान वास्तव में दिया गया था। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल धारा १६२ के बयान के विषयों के आधार पर जिरह नहीं हो सकती। यह वह मौखिक बयान है जो साक्षी जांच करने वाले पदाधिकारी के सम्मुख देता है, जिसे वह धारा १६२ के अन्तर्गत लिखता है और जिस का प्रयोग वह अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिये करता है। यदि वह यह सिद्ध कर दे कि उस के सम्मुख मौखिक बयान दिया गया था तो उस बयान का प्रयोग प्रतिवाद के हेतु किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु यह बात बयान में आनी चाहिये।

श्री राघवाचारी : इस का बयान में आना कुछ आवश्यक नहीं है। मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि प्रतिवाद का आधार वह मौखिक बयान है जो साक्षी द्वारा दिया जा चुका है। उस का लिखा जाना ज़रूरी नहीं।

किन्तु जिस प्रक्रिया की अब व्यवस्था की जा रही है उस के अन्तर्गत तो अभियोक्ता पक्ष को यह अवसर दिया जा रहा है कि वे इस बयान के किसी भाग का प्रयोग अपने ही साक्षियों के प्रतिपरीक्षण के लिये कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो खंड २२ में तो केवल ऐसे बयानों का निर्देश है जो लिखे जा चुके हैं।

श्री राघवाचारी : यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रतिपरीक्षण का आधार वह मौखिक बयान होता है जो जांच पदाधिकारी के सम्मुख दिया गया हो। इस का सिद्ध किया जाना आवश्यक है और यद्यपि वह पुलिस की डायरी में लिखा होता है वह अपनी याद को ताज़ा करने के पश्चात् यह कहता है कि साक्षी ने यह बयान मेरे सम्मुख दिया था। अन्यथा जांच पदाधिकारी को बुलाना ही व्यर्थ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में कुछ सन्देह नहीं कि लिखे हुए बयान का सिद्ध किया जाना आवश्यक है किन्तु कोई अन्य बयान जो लिखा न गया हो धारा १६२ के प्रयोजन के लिये संगत नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कुछ प्रसंगों में जब किसी लुप्ति की सिद्धि हो जाती है तो वह संगत हो जाता है, क्योंकि सारभूत

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

लुप्तियों को प्रतिवाद के समान समझा गया है ।

श्री राघवाचारी : यह ठीक है ; इन्हीं अवस्थाओं में जांच पदाधिकारी कहता है :

"उस ने मेरे सम्मुख यह बयान दिया था ।"

अब हम देखेंगे कि किन परिस्थितियों में अभियोक्ता पक्ष अपने साक्ष्यों का प्रतिपरीक्षण कर सकता है । धारा १४५ का उस से सम्बन्ध नहीं है । धारा १३७ का यह मतलब नहीं है । धारा १५४ में ऐसी व्यवस्था है । आप धारा १४५ को हटा सकते हैं क्योंकि इस का सम्बन्ध अभियुक्त से है पर अभियोजन के मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा १५४ को अवश्य रखा जाय ।

साक्ष्य अधिनियम की धारा १६२ के अन्तर्गत यह बताया गया है कि पुलिस के सामने लिया गया बयान या उस के कोई लेख्य अन्य किसी परिस्थिति में लिये गये बयान की अपेक्षा कम सही माने जायेंगे । प्रतिपरीक्षण और प्रक्रिया के सम्बन्ध में साक्ष्य अधिनियम का आधार यही है कि पुलिस की जांच को सदा विश्वसनीय नहीं माना जा सकता । पर हम देखते हैं कि हमारे माननीय मंत्री पुलिस अभिलेखों को सदा सत्य मानने के पक्षपाती हैं । पर पुलिस जांच के सम्बन्ध में मेरा निजी अनुभव है कि जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को जांच में सहायता करने वाले लोग बहुधा अभियोक्ता पक्ष के ही होते हैं अतः उन का निर्णय सदैव ठीक नहीं होता । मैं यह कहना चाहता हूं कि अभियोक्ता को अपने साक्ष्यों के खण्डन करने का जो अधिकार मांगा जा रहा है उस से अभियुक्त को गंभीर असुविधा होगी और बड़ा खतरा रहेगा ।

खण्ड २३ के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि पुरानी धारा १६२ के अनुसार केवल न्यायालय को अभियुक्त द्वारा दिये गये बयान को अपवर्जित करने का अधिकार था पर अब पुलिस अधिकारी या जांच करने वाले अधिकारी को भी न्यायालय के समान अधिकार दे दिया गया है । मेरा विचार है कि पुलिस अधिकारियों को यह अधिकार नहीं दिया जाये । स्वविवेक का अधिकार जांच अधिकारी की अपेक्षा न्यायालय को भले ही दिया जा सकता है । धारा १६२ के अन्तर्गत जब न्यायालय किसी बयान को अपवर्जित करता है तो उस का अभिलेख रखता है पर अब यह मामला पूरी तरह से पुलिस अधिकारी के हाथ में होगा । अतः मैं ने एक संशोधन रखा है कि असंगतता और अनावश्यकता का निश्चय करने का अधिकार जांच अधिकारी के हाथ से ले लिया जाय ।

श्री मूलचन्द दुबे : मैं धारा १७३ में किये गये परिवर्तनों का स्वागत करता हूं । अभी तक विधि के अनुसार अभियुक्त को बयान या अभिलेख बहुत कम मामलों में और काफी खर्च करने पर ही उपलब्ध हो सकते थे, इस से बहुत हद तक भ्रष्टाचार कम हो गया था । पर यह अभिलेख और बयान अब अभियोक्ता को दिये जाया करेंगे ।

पुलिस अधिकारियों को दिये गये अधिकारों पर बड़ी आपत्ति की गई है कि वह किसी बयान को या उस के एक भाग को, यदि चाहे तो, छिपा सकता है ; पर इस सम्बन्ध में अन्तिम अधिकार न्यायालय के हाथ में ही रहेगा । न्यायाधीश बयान या अभिलेख के छिपाये या अपवर्जित किये गये भाग को अभियुक्त को दिखा सकेगा । और उस के न्यायसंगत तर्कों को सुनेगा भी । इस प्रकार धारा १७३ में, संशोधित रूप में,

अभियुक्त को बहुत अधिक सुविधायें दी गई हैं ।

अब मैं धारा १६२ पर आता हूं । मैं ने एक संशोधन रखा है कि विधेयक के पृष्ठ ६ पर पंक्ति १० में 'यदि भली प्रकार सिद्ध' शब्द निकाल दिये जायें । क्योंकि अभी तक तो अभियक्त को प्रतिपरीक्षण के लिये अभिलेखों या बयानों की जो प्रतिलिपियां दी जाती थीं वह अप्रमाणित होती थीं पर अब वह प्रमाणित हुआ करेंगी और एक पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया अभिलेख दूसरे पक्ष द्वारा प्रयोग में लाया जा सकेगा । अतः यह शब्द निकाल दिये जावें ।

अगली बात जो मैं सभा के सम्मुख रखना चाहता हूं, वह डायरी अभिलेख का अभियोक्ता द्वारा खण्डन करने के अधिकार के सम्बन्ध में है । क्या जांच अधिकारी द्वारा डायरी में लिखा गया बयान सही माना जाये जबकि वह बयान न तो साक्ष्य के शब्दों में होता है और न उस पर साक्ष्य के हस्ताक्षर ही होते हैं । पुलिस अधिकारी या जांच अधिकारी उस के बयान को मनमाने ढंग पर लिखते हैं । अतः यह अनुचित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य रुक जावें ।

अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेगी ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेंकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा ३० सितम्बर, १९५४ को सभा में प्रस्तुत कये गय गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

यह प्रतिवेदन संविधान में संशोधन करने के एक विधेयक से सम्बन्धित ह । संविधान के अनुच्छेद ४५ में बताया गया है कि संविधान लागू होने के १० वर्ष के भीतर १४ वर्ष तक की आयु तक के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाय ।

मेरे मित्र उस में यह भी जोड़ना चाहते हैं कि संविधान लागू होने के बाद पहले ५ वर्षों तक केन्द्रीय सरकार प्रारम्भिक कार्यवाही करे ।

समिति ने उन के और शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि के विचारों पर विचार किया । शिक्षा राज्य का विशेष उत्तरदायित्व है । अतः यदि केन्द्र राज्य के काम को अपने हाथ में ले यह अनुचित और अवैधानिक होगा । देश में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के हेतु लगभग ४०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । केन्द्रीय सरकार इतना व्यय नहीं दे सकती । फिर भी केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को सहायता दे रही है पर संविधान में यह संशोधन करना निदेशक सिद्धान्तों के विरुद्ध है । मैं चाहूंगा कि सभा समिति के इस सुझाव को कि इस संशोधन के पुरःस्थापित होने की अनुमति न दी जाय स्वीकार करे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : मैं इस रिपोर्ट का प्रतिवाद करता हूं और इस सभा से नम्रतापूर्वक आशा करता हूं कि मेरे बिल को इसी कमेटी के सामने फिर से पेश किय जान की अनुमति दे । उपाध्यक्ष महोदय, आप उस कमेटी के चेयरमैन थे जिस न यह रिपोर्ट दी है । आप इस समय चेयर हैं ।

[श्री के० सी० सोधिया]

सलिये मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि अगर मैं इस रिपोर्ट के खिलाफ कुछ बातें कहूं तो आप को बुरा तो नहीं लगेगा । सब से पहली बात जो आप की कमेटी ने मानी है वह ग़लत है । आप की कमेटी ने इस बात को महसूस किया है कि एजूकेशन स्टेट का कंसर्न है । मेरा कहना यह है कि आप कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल ३६ को देखिये । उस में ऐसा लिखा हुआ है :

'यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" का वही अर्थ है जो इस संविधान के भाग ३ में है ।'

कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल नम्बर १२ में यह दिया हुआ है :

'यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद्, तथा राज्यों में से प्रत्येक की सरकार और विधान-मंडल, तथा भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, भी हैं ।'

अब आप यह कहें कि इस विषय में सिर्फ़ स्टेट गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है तो यह आर्टिकल १२ के मुताबिक़ आप का कहना बिल्कुल ग़लत है। आर्टिकल १२ में सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स और सारी लोकल बाडीज़ जो इस देश की हैं उन के ऊपर यह आयद है कि वह कांस्टीट्यूशन के मंजूर होने के दस साल के भीतर इस क़िस्म की अनिवार्य शिक्षा की योजना देश में ला दें । इस सबब से मेरा यह नम्र निवेदन है कि इस देश में प्रजातंत्रात्मक पद्धति को सफलतापूर्वक ऊपर उठाने में और उस को सफल बनाने में इस एजूकेशन का सब से बड़ा महत्व है । पिछले पांच साल में हमारी एजूकेशन मिनिस्ट्री ने संगीत, आर्ट और कला आदि में अपना समय खो दिया और साढ़े चार वर्ष खत्म भी हो गये और अब तक कुछ भी नहीं किया जा सका, मुझे तो लज्जा आती है कि हमारी ओर से कुछ भी प्रयत्न नहीं किया गया । इस विषय की ओर, जो इतना महत्वपूर्ण और अहम है, इस सरकार ने उचित ध्यान नहीं दिया और मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर सरकार ने इस के प्रति अपने कर्त्तव्य को पूरी तरह नहीं निभाया तो वह ब्रिटिश शासकों से भी ज्यादा खराब अपने को साबित करेंगे । ब्रिटिश लोगों ने अपने डेढ़ सौ वर्ष के शासन में इस देश की जनता को अज्ञान के अन्धकार में अपने सुभीते के वास्ते और अपने स्वार्थ-साधन के वास्ते रक्खा । मैं सरकार से—जो जनता की सरकार है—पूछना चाहता हूं कि आज वह देश की जनता को अन्धकार और अज्ञान में रख कर के कौन-सा अपना स्वार्थ साधना चाहती है । पहली ग़लती तो इस कमेटी ने यह की है कि यह मान लिया है कि इस विषय में राज्य की सरकारों का उत्तरदायित्व है जोकि कांस्टीट्यूशन की धारा नम्बर १२ के बिलकुल खिलाफ़ है और इसलिये इसी बिना पर इस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये ।

दूसरी बात इस कमेटी ने चार सौ करोड़ रुपये की कही है कि सन् ४८ में, आप का कांस्टीट्यूशन सन् ५० में आया, उस के दो साल पेश्तर सालाना खर्चा होगा, ऐसा हमारे गवर्नमेंट के एक्सपर्ट लोग जो हैं उन्हों-ने एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के बल पर उन्हों ने इस मिनिस्ट्री की नाक में नकेल डाल कर इस की सारी कार्यवाही

को रोक दिया। मैं आप से कहता हूं कि आखिर ये एक्सपर्ट्स किस वास्ते हैं। अगर एक्सपर्ट लोग चार सौ करोड़ रुपये सालाना का खर्चा बतलाते हैं और जब हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है तो हम क्यों न उन एक्सपर्ट्स से कहें कि वह ऐसी स्कीम तैयार करें जिस में सौ करोड़ में काम हो जाय। आप देखते हैं कि एक ग़रीब आदमी अपना बजट कम बनाता है बनिस्बत एक अमीर आदमी के लेकिन काम तो वह भी चलाता ही है। ग़रीब आदमी अपनी लिमिट के अन्दर रह कर काम करता है, आप को भी अपने हिसाब से बजट तैयार करना चाहिये, चार सौ करोड़ रुपये का बजट बना कर और उस को पेश कर के इस ज़रूरी काम को वर्षों के लिये टाल दिया जाता है तो यह कहां तक उचित है। इसलिये मैं आप से कहता हूं कि अनिवार्य शिक्षा का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और इस मसले को आप को ध्यान से देखना चाहिये। यह इस सभा का काम है कि वह कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट को मंजूर करे। इस सभा के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार है कि वह चाहे तो उसे सब का सब मंजूर करे या न करे, या उस में संशोधन करे। पन्द्रह आदमियों की यह कमेटी जिस में पांच आदमियों का कोरम हो और पांच आदमियों में से दो आदमी एक तरफ और दो आदमी दूसरी तरफ और कमेटी के चेयरमैन जो हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं वह अपनी रूलिंग से सारी कमेटी के जजमेंट को जिधर चाहें ले जावें और फिर इस हाउस का जजमेंट माना जाय और कह देवें कि यह बिल इस हाउस में नहीं पेश किया जाना चाहिये। यह कार्य स हाउस की ज़िम्मेदारी और इस सभा के गैर सरकारी मेम्बरों के अधिकारों पर कुठाराघात है। इसलिये मैं कहूंगा कि इस विषय के ऊपर आप खूब अच्छी तरह से विचार करें और मेरी रिपोर्ट को फिर से इस कमेटी के सामने ले जाने को मंजर करें।

कोई बात नहीं अगर हम ने साढ़े चार वर्ष खो दिये, साढ़े पांच साल अभी बाक़ी हैं। इस अर्से में बहुत कुछ काम हो सकता है। यह भी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि हम चार सौ करोड़ रुपये के बग़ैर इस काम को नहीं चला सकते, यह हमें अपने दिमाग़ से निकाल देना चाहिये, अगर हम और हमारे एक्सपर्ट्स लोग ज़रा दिमाग़ से काम लें तो उस से कम ख़र्चे में इस देश में अनिवार्य तालीम को क़ायम कर सकते हैं और इस काम को अंजाम दे सकते हैं। इसलिये मेरा कहना है कि अगर यह सभा इस देश में जो जनतंत्री शासन-पद्धति प्रचलित की गई है उस को सफल देखना चाहती है तो उन्हें इस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक कर मेरे बिल को फिर से कमेटी के विचार के लिये ले जाने की इजाज़त देनी चाहिये। मान्यवर मैं जानता हूं कि आप का इस सभा के ऊपर बहुत कुछ असर है, आप हम लोगों में से किसी की भी बोलती फ़ौरन बन्द कर सकते हैं और मुझे डर है कि उस कुर्सी पर बैठ कर मेरी जो राय और सुझाव है वह शायद गिर जाय।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : उन की हमदर्दी आप के साथ है।

श्री के० सी० सोधिया : मैं आप से कहूंगा कि मेरी बात बिलकुल वाजिब है और अगर आज उस को ठुकरा दिया गया तो आगे चल कर आप को इस के वास्ते पछताना पड़ेगा और इस देश की जनता के सामने इस गवर्नमेंट को और आप को जवाबदेह होना पड़ेगा। आप ने उन सिद्धान्तों की दाद दी है जो आप ने पिछली कमेटी की रिपोर्ट में बतलाये थे, उस में आप ने कहा कि सरकार को तो हक़ है कांस्टीट्यूशन में

[श्री के० सी० सोधिया]

अमेंडमेंट करने का लेकिन प्राइवेट मेम्बरों को ऐसा करने का हक़ नहीं है। मैं आप की उस रिपोर्ट को बिलकुल रद्दी समझता हूं। मैं ने आप से इस बारे में कहा और चिट्ठी भी लिखी। मैं ने उस खत में जितने प्रिंसिपल्स आप ने बतलाये थे उन सब की धज्जियां उड़ाई थीं, लेकिन आप ने उन का जवाब नहीं दिया।

मैं चाहता हूं कि सभा इस मामले पर विचार करे और इस विषय को फिर कमेटी को वापस भेजे, इस में पार्टी का सवाल नहीं है, मैं समझता हूं कि पार्टी गवर्नमेंट की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और हम हर मामले में सरकार के पीछे आंख बन्द कर के दौड़ते हैं और हमारी सरकार की हर बात में हां में हां मिलाने की आदत हो गई है। मेरा निवेदन है कि अनिर्वाय शिक्षा का विषय ऐसा है जिस में आप उस आदत को छोड़ कर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे। बस मुझे सिर्फ़ यही कहना है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : माननीय सदस्य द्वारा अपने प्रस्ताव को रखने के लिये जो बातें कही गई हैं उन में से अधिकांश का विरोध किया जा सकता है। आज हमारे देश में प्रजातंत्रात्मक सरकार है और देश की सरकार पर संसद् का नियंत्रण होना चाहिये था पर हम देखते हैं कि हमारा मन्त्रिमंडल संसद् पर नियंत्रण कर रहा है। न जाने कैसी मनोवैज्ञानिक वृत्ति हमारी सरकार में पैदा हो गई है कि वह सभी सामाजिक विधानों का श्रेय स्वयं लेना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय : समिति का प्रतिवेदन हमारे सामने आ चुका है। अब माननीय सदस्यों पर निर्भर है कि वह विधेयक को रखने की स्वीकृति या न दें। सभा चाहे तो समिति के प्रतिवेदन को अस्वीकार कर दे और विधेयक को पेश करने की अनुमति दे या न दे।

श्री आर० डी० मिश्र (ज़िला बुलन्दशहर) : औचित्य हेतु, श्रीमान्। मेरा कहना यह है कि कांस्टिट्यूशन के मुताबिक़ हम को दस वर्ष के अन्दर लाज़िमी तालीम को पूरा करना है। इसी के लिये उन का यह बिल है। लेकिन जब तक हम ने कांस्टिट्यूशन की कसम खा रक्खी है तब तक कमेटी का इस तरह की रिपोर्ट देना कि हम इस दस बरस की हद के बाहर जायें, क्या ठीक है ?

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। नियमों के अनुसार सविधान में परिवर्तन करने के लिये मामले पर सभा की एक समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिये। सभा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करे या न करे।

श्री एस० एस० मोरे : मैं चाहता हूं कि सभा समिति के प्रतिवेदन को अस्वीकार कर दे।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे लिये इस का कोई महत्व नहीं कि सोधिया का विधेयक स्वीकार किया जाय या अस्वीकार किया जाय। मैं आधा घंटा इस काम के लिये दे रहा हूं। समिति का प्रतिवेदन सभा के सम्मुख प्रस्तुत है। सभी सदस्य उस पर विचार कर सकते हैं। माननीय सदस्य यदि चाहें तो समिति के प्रतिवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं। यदि सभा प्रतिवेदन स्वीकार करती है तो इस का अर्थ है कि सभा पुरःस्थापन को अस्वीकार कर रही है।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : यहां यह प्रस्ताव का मामला है। विधेयक के

पुरःस्थापन अथवा पुरःस्थापन पर आपत्ति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो माननीय सदस्य इसे पुरःस्थापित नहीं कर सकेंगे । अतः यह पुरःस्थापन के ही समान है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : सभा समिति के संविधान को स्वीकार कर चुकी है । समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है । सभा कह सकती है कि वह उसे स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल इस की युक्ति को स्वीकार करने का प्रयत्न कर रहा हूं। यह बात नहीं है कि सभा ने नियम स्वीकार नहीं किया है और यह कि यह सारा उचित कार्यवाही के विरुद्ध है । यह तो केवल निर्णय करने में सभा की सहायता करता है । सदस्य का विधेयक पुरःस्थापित करने का अधिकार नहीं छीना जाता है । उन के लिये यह पुरःस्थापित करने का अवसर माना जा सकता है ।

अब तीन बज चुके हैं । मैं प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि :—

"यह सभा ३० सितम्बर, १९५४ को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के १३वें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

कई माननीय सदस्यों ने 'हां' और कई ने 'ना' कही ।

श्री के० सी० सोधिया : मैं सभा का मतविभाजन चाहता हूं ।

श्री एस० एस० मोरे : हम मत-विभाजन चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे ।

श्री एस० एस० मोरे : घंटी बजानी होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं हूं । जो प्रस्ताव के विरोध में हैं वे अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे—दस हैं ।

जो प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे—बहुत से हैं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा २५ नवम्बर, १९५४ को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

इस प्रतिवेदन में आज सायं चर्चा का विषय बनने वाले विधेयकों के लिये समय के नियतन तथा कुछ विधेयकों के वर्गीकरण का उल्लेख है । समय के नियतन के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि भिन्न भिन्न विधेयकों को भिन्न भिन्न समय दिया गया है । इस के अतिरिक्त, समिति ने उन का 'क' तथा 'ख' में वर्गीकरण किया है । यह वर्गीकरण विधेयक के समर्थक माननीय सदस्यों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के तर्कों और विधेयकों के प्रकार, महत्व तथा उपादेयता पर विचार कर के किया गया है ।

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।)

पंडित ठाकुर दास भार्गव : श्रीमान्, मैं सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करता

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हूं कि विभिन्न विधेयकों के लिये जो जो समय निर्धारित किया गया है वह अत्यन्त अपर्याप्त है। इस के विपरीत यदि किसी भी सरकारी विधेयक को देखें तो हमें विदित होता है कि उन्हें कितना समय दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि पर्याप्त समय तक वे विधेयक, जिन की माननीय सदस्यों ने सूचना दी थी, पुरःस्थापित न किये जा सके। दो एक वर्ष पूर्व नियम यह थे कि केवल मतदान में प्रस्तुत हुए विधेयकों पर विचार किया जाय और अन्य विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय। इस पर आपत्ति की गई और अभ्यावेदन भी किया गया कि ऐसे विधेयकों पर विचार विमर्श होने की कोई आशा नहीं है। अतः हम ने पुरः-स्थापन को सर्वाधिक प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में नियम बनाया। दूसरी बात यह है कि अनेकों विधेयकों पर भी हमें विचार करना है।

भारतीय शस्त्रास्त्र विधेयक पर जनमत मांगा गया था। कदाचित् इस विधेयक पर माननीय सदस्यों को मुद्रित मत प्राप्त हो गये होंगे। अब यह प्रवर समिति को सौंपना है। प्रत्येक विधेयक का प्रभाव समस्त भारत पर पड़ता है। समिति विधेयक के समर्थक श्री पटनायक स्वयं उपस्थित थे। एक सुझाव दिया गया था कि आधा घंटा पर्याप्त है। मैं ने एक घटा स्वीकार किया क्योंकि मैं जानता हूं कि सभा में एक बार कोई बात उत्पन्न होने पर माननीय सदस्य उस पर अपना मत प्रकट करना चाहते हैं। अतः एक घंटा निर्धारित किया गया।

लोक वित्त प्राप्त उद्योग नियंत्रण बोड विधेयक के लिये श्री द्विवेदी ढाई घंटे चाहते थे। यह चाहते थे कि इस विधेयक को प्राथ-मिकता दी जाय क्योंकि उन के मतानुसार यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इस विधेयक के लिये सभा का समय बढ़ाया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह निश्चित हो जाना चाहिये—दो घंटे की बजाय इसे पांच घंटे कर दीजिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा निवेदन यह है कि जब तक कि कोई विधेयक पारित नहीं होता तब तक यह सभा में प्रस्तुत रहेगा। और यदि विधेयक को पर्याप्त समय न दिया जायेगा तो वह पारित न हो सकेगा। उदाहरणार्थ, श्री पाटस्कर के नाम में एक बहु-विवाह निवारक विधेयक है। इसे १½ घंटा दिया गया है। मेरा निवेदन यह है कि भारतीय समाज के कुछ अंग इस के पक्ष में हैं और इसलिये यह समय सर्वथा अपर्याप्त है। मैं स्वयं उन लोगों में से हूं जिन्हों ने दो तीन वर्ष पूर्व विधेयक पुरः-स्थापित किये थे परन्तु उन पर आज तक विचार नहीं हुआ है। क्या मैं सम्मानपूर्वक पूछ सकता हूं कि संसद् ने कितने गैर-सरकारी विधेयकों को पारित किया है? मैं आप से सविनय प्रार्थना करता हूं कि आप यह अवश्य देखें कि कम से कम कुछ विधेयक तो पारित हो जायें। विधेयक पर विचार विनिमय के लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये; उदाहरणार्थ : वनस्पति निर्माण तथा विक्रय निषेध विधेयक है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार एक सत्र में एक ही विधेयक पर विचार हो सकेगा। मेरा सुझाव यह है कि ऐसे मामलों के बारे में जो प्रक्रिया है वह ग्रहण करनी चाहिये। विधेयकों पर यहां जो माननीय सदस्य विचार विमर्श करना चाहते हैं, यदि उन्हों ने केवल यह कहा होता कि विधेयक संख्या १ के लिये पांच घंटे, विधेयक संख्या २ के लिये २ घंटे, आदि, आदि, का समय निर्धारित होना

चाहिये—यदि इस प्रकार का कोई सरकारी संशोधन है—तो मैं इस पर सभा का मत लूंगा। हम जिस आधार पर कार्यवाही करते हैं वह यह है कि कुछ सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है और वे विषय पर विचार करते हैं तथा समय निर्धारित करते हैं और अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। सम्भव है कि अन्य सदस्य उन से सहमत न हों। अतः यह प्रक्रिया बनाई जाती है कि जब भी कोई सदस्य यह महसूस करे कि विशिष्ट विधेयक अधिक महत्वपूर्ण है और इसे पर्याप्त समय नहीं दिया गया है, तो उसे यह कहने का अधिकार है कि इसे अधिक समय दिया जाय। सभा के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस कार्य के करने में मुझे बड़ी कठिनाई हो रही है। माननीय सदस्यों के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ मैं निवेदन करता हूं कि मैं नियम का पूर्ण रूप से पालन करूंगा।

सेठ गोविन्द दास : मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि किसी विशेष विधेयक के लिये यह कहना कि इस में डेढ़ घंटे का, तीन घंटे का या पांच घंटे का समय दिया जाय, इस से उस बीमारी का इलाज होने वाला नहीं है। मेरा तो यह निवेदन है कि जितना समय गैर सरकारी सदस्यों को दिया जाता है वह समय ही कम है और इस पर विचार किया जाना चाहिये कि जितना समय हम लोगों को हर शुक्रवार को मिलता है वह बहुत कम है और उस से ज्यादा समय हमें दिया जाय। इस बीमारी का यह इलाज नहीं है कि अमुक विधेयक के लिये इतना समय अधिक है या अमुक के लिये कम है उस को और समय दिया जाय, मैं चाहूंगा कि सब मिला कर हम को अधिक समय दिया जाय और मैं श्री गिडवानी के सुझाव से सहमत हूं कि इस चीज पर विचार किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : एक सुझाव यह है कि गैर-सरकारी समय में वृद्धि की जाय। परन्तु माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि प्रति दिन प्रथम घंटा गैर-सरकारी होता है। इस के अतिरिक्त एक सप्ताह में हम गैर-सरकारी कार्य के लिये ढाई घंटे मिलते हैं। फिर, कोई भी सदस्य प्रस्ताव कर सकता है कि आधा घंटा या एक या डेढ़ घंटा दिन के अन्त में विचार-विमर्श के लिये निर्धारित किया जाय। अतः मैं जो सुझाव दे रहा हूं वह यह है कि अन्त में ऐसा करना मेरे हाथ में नहीं है। अब हम वर्तमान स्थिति पर आते हैं। आजकल नियमानुसार समिति को गैर-सरकारी कार्य के लिये ढाई घंटे मिलते हैं। उस समय में से विधेयकों को समय दिया जाता है। अतः, यदि गैर-सरकारी समय में वृद्धि होनी है, तो आज एक निर्देश दीजिये और उस मामले पर हमें सभा का मत लेने दीजिये।

श्री बोगावत (अहमदनगर—दक्षिण) : यदि बहुत से सदस्यों को, जो अपने विधेयक तथा संकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं, समय नहीं मिलता तो हमारा संसद् में आने का क्या लाभ है ? मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस बात पर ध्यान दें कि प्रत्येक सदस्य को समय मिले। अन्यथा इतने विधेयक तथा संकल्प प्रस्तुत करना समय तथा शक्ति नष्ट करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : समूचे रूप में तथ्य यह है कि बहुत से सदस्य समय के निर्धारण से सन्तुष्ट नहीं हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इसे विचार विमर्श के लिये आगामी सप्ताह प्रस्तुत करें। इस बीच में माननीय सदस्य निर्धारित समय के सम्बन्ध अपने संशोधनों की पूर्वसूचना दे सकते हैं। यह अनिश्चित रहेगा। माननीय सदस्य समय ले सकते हैं और ह

[उपाध्यक्ष महोदय]

सुझाव दे सकते हैं कि कितना समय निर्धारित किया जाय ।

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक

श्रीमती मायदेव (पूना–दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि मुझे महिलाओं तथा बालकों के लिये कार्य करने वाली संस्थाओं को नियमित करने तथा उन्हें अनुज्ञा देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि महिलाओं तथा बालकों के लिये कार्य करने वाली संस्थाओं को नियमित करने तथा उन्हें अनुज्ञप्ति देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती मायदेव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक

श्रीमती मायदेव (पूना–दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन के लिये उपबन्ध करने तथा उस के सम्बन्ध में विधि को संचित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन के लिये उपबन्ध करने तथा विधि को संचित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती मायदेव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं ।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

नई धारा ५३ क का रखा जाना

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, १८६०, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री के० सी० सोधिया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक पर विचार करेगी । इस पर विचार करने का प्रस्ताव १७ सितम्बर, १९५४ को श्री झूलन सिंह ने प्रस्तुत किया था ।

प्रस्तावक तथा कुमारी एनी मैस्करीन बोल चुके हैं । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपना भाषण समाप्त नहीं किया था । अब वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन दक्षिण) : वे ४५ मिनट तक बोले हैं और अब उन्हें फिर समय दिया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई नियम नहीं है । संकल्प प्रस्तुत होने के समय सभा इसे मानने को तैयार नहीं थी । नियमों के अनुसार भगवान भी किसी सदस्य को बोलने से रोक नहीं सकते । हां, जब समाप्ति का प्रस्ताव रखा जाय तो अध्यक्ष ही इस बात पर विचार कर सकते हैं कि उसे स्वीकार किया जाना चाहियें या नहीं । यदि कोई सदस्य बोलता रहे तो मैं समझता हूं कि कोई भी नियम उसे बोलने से नहीं रोक सकता । यह तो उस पर और सभा पर छोड़ा जाता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो अल्फ़ाज़ आप ने अभी फ़रमाये हैं कि कोई शख्स किसी मेम्बर को बोलने से नहीं रोक सकता और शायद गवर्नमेंट रोक सकती है, मुझे अफ़सोस है कि मैं इन अल्फ़ाज़ की ताईद नहीं कर सकता । क्लोज़र जो होता है वह डिबेट का तो होता है लेकिन अगर कोई आनरेबुल मेम्बर बोल रहा हो तो वह भी बीच में नहीं हो सकता है । लेकिन ताहम मैं अपने दोस्त की बड़ी इज्ज़त करता हूं । पर जो मेरे दोस्त और मेहरबान मुझे इस किस्म की हिदायत दे रहे हैं, मैं नहीं जानता कि वह कहां तक मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं । मैं उन का मश्कूर हूं लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं उन साहबान की बड़ी इज्ज़त करता हूं और मैं कभी ऐसा ऐटिट्यूड नहीं लूंगा जिस में कि उन को शिकायत करने का मौका मिले । हमारे बहुत से मेम्बर ताजा ताजा आये हैं और वह दिन वह लोग भूल गये जब यहां पर पुराने मेम्बर बोलते थे और चन्द घंटे तो वह लोग मामूली से मामूली बिल पर बोला करते थे । अगर यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पुराने जमाने में आया होता तो इस पर एक महीने से कम किसी हालत में न लगता । लेकिन मैं यह ऐटिट्यूड खुद पसन्द नहीं करता । हमें यहां आ कर काम करना है । इसलिये मैं उतना ही वक्त लेना चाहता हूं जितना कि ज़रूरी हो । मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मैं ज़रूरत से ज्यादा वक्त हाउस का नहीं लूंगा ।

[**श्रीमती खोंगमेन** पीठासीन हुईं]

आज शायद मैं पहला नानआफिशल मेम्बर हूं जिस की यह खुशकिस्मती है कि वह नये फूड ऐंड ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर को मुबारकबाद पेश करे । आज मैं इस मौके से पहला फायदा यह उठाना चाहता हूं कि उन को तहे दिल से मुबारकबाद दूं । मुझे उम्मीद है कि जैसे उन्हों ने पहले बड़ी हिम्मत के साथ और मेहनत के साथ अपना रिहैबिलिटेशन का काम किया इस हद तक कि जहां असूल का सवाल आया यह भी परवाह नहीं की कि वह मिनिस्टर भी रहेंगे या नहीं, इसी तरह वह अब करेंगे । मैं उन की इस स्पिरिट को बहुत ज्यादा ऐप्रिशिएट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नये आनरेबल मिनिस्टर साहब हमें इस बात को भुलवा देंगे कि श्री किदवई हमारे फूड ऐंड ऐग्रिकल्चर मिनिस्टर थे । मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने झगड़े और जितने मामले हैं उन को वह उसी हमदर्दी के साथ और उसी तरीके के साथ हल करेंगे जोकि उन की आदत में दाखिल है और जैसे उन्हों ने रिहैबिलिटेशन के मामलात और झगड़ों को हल किया । चुनांचे मैं आज उन को मुबारकबाद देता हूं ।

आज मुझे किदवई साहब की वह शक्ल याद आती है जो मैं हमेशा देखा करता था और जोकि मुझे आज इस हाउस में नहीं दिखाई देती । मैं आज जनाब के सामने और हाउस के सामने दो वाकियात किदवई साहब के मुताल्लिक अर्ज़ करना चाहता हूं । इस में मुझे दो तीन मिनट लग , और

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस मुझे माफ करेगा. साथ ही वह यह देखेगा कि किदवई साहब के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने से देश का कितना बड़ा नुक्सान हुआ है ।

जिस वक्त मैं आखिरी दफा इस बिल के ऊपर बहस कर रहा था तो मैं ने उन से बहुत मूविंग अल्फाज में इल्तजा की कि जैसे आप ने फूड के सवाल को हल किया उसी तरह से आप इस सवाल को भी हल कीजिये । सारी तकरीरें सुनने के बाद किदवई साहब खुद मेरे पास तशरीफ लाये और मुझ से कहने लगे कि मैं इस वनस्पति को रंगवा दूंगा । मैं ने उन से अर्ज़ किया कि यह वादा तो हमारे आनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया हुआ है और मैं ने हाउस के जरिये दुनिया भर में ऐनाउन्स किया हुआ है कि श्री मुन्शी का, श्री थिरुमल राव का और सारे मोहकमे का वादा है इस के बारे में, लेकिन वह वादा आज तक पूरा नहीं हो सका । इस पर किदवई साहब दोबारा कहने लगे कि नहीं मैं इसे रंगवा दूंगा । मैं ने कहा कि आज आप इस तरीके से कह रहे हैं, मैं आप पर यकीन रखता हूं । और मुझे सचमुच पूरा यकीन था कि यह वनस्पति अब रंगा जायेगा । लेकिन हमारी बदकिस्मती को देखिये, आज उन के मरने पर हम क्या महसूस करते हैं ? मुझ को डर है कि जिस हिम्मत के साथ और जिस लगन के साथ उन के सारे काम होते थे उसी हिम्मत और लगन के साथ आइन्दा काम होंगे या नहीं और पता नहीं कि इस बिल का क्या हश्र होगा । मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे मिनिस्टर साहब जिन को यह बिल विरसे में मिला है वह किदवई साहब की वसीयत पर पूरा अमल करेंगे और जो यकीन उन्हों ने दिलाया था उसे पूरा करेंगे ।

मैं दूसरा एक और छोटा सा वाकिया बयान करना चाहता हूं । किदवई साहब तो इस दुनिया से तशरीफ ले गये, लेकिन मैं यह वाकिया इसलिये बयान करना चाहता हूं कि मेरे दिल में उन के बरताव का जो असर हुआ है उस को कहे बगैर मैं नहीं रह सकता । पटने में गो सेवक समाज की तरफ से एक कानफ्रेंस हुई थी जिस का मैं प्रेसीडेंट था । उस का इनागुरेशन हम ने किदवई साहब से करवाया था । उस कानफ्रेंस में काऊ स्लाटर की रोक का सवाल आया था । उस कानफ्रेंस में किदवई साहब ने हम से वायदा किया था कि वह इस रोक को पूरा करने के लिये एक मिनिस्टर्स की कानफ्रेंस बुलायेंगे और इस मामले को तै करेंगे । उन्हों ने चुनांचे एक मिनिस्टर्स की कानफ्रेंस बुलाई, पर जिन्हों ने इस कानफ्रेंस के लिये कहा था उन्हीं को उस में नहीं बुलाया गया । इस कानफ्रेंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ ले गये थे और उन्हों ने वहां पर जो ख्यालात ज़ाहिर किये वे मुझ को पसन्द नहीं थे । वे ख्यालात दफा ४८ कांस्टीट्यूशन के किसी कदर खिलाफ थे । मैं किदवई साहब की खिदमत में गया और मैं ने उन से कहा कि आप फूड ऐंड ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, आप बतलाइये कि आप अपनी पटना की स्पीच को जिस में आप ने गोवध रोकने का वायदा किया था अब भी मानते हैं या नहीं । मैं ने उन से कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के रिमार्क्स आप की पालिसी के खिलाफ हैं । क्या आप उन से अपने आप को पाबन्द नहीं समझते । मैं ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं भी अपना उतना ही लीडर समझता हूं कि जितना कि और कोई, लेकिन पबलिक पालिसी के मामलों में हमारा इख्तिलाफ़ हो सकता है ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : यही तो हिन्दुस्तान की मुसीबत है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तो मैं ने किदवई साहब से पूछा कि क्या आप की भी यही पालिसी है । मैं ने उन से कहा कि मैं इस को साफ कर लेना चाहता हूं । उन्हों ने कहा कि मेरी पालिसी वही है और जो मैं ने पटना में कहा था उस से मैं एक हरफ भी पीछे हटने को तैयार नहीं हूं । इस पर मैं ने अर्ज़ किया अगर ऐसी सूरत है तो जो इख्तिलाफ आप की पालिसी में और प्राइम मिनिस्टर साहब की पालिसी में है आप इस का इज़हार करें । इस पर उन्हों ने फरमाया कि तुम सवाल करो और मैं उसके जवाब में वही बयान दूंगा जोकि मेरे दिल में ह और जो मैं ने पटने में इज़हार किया । उन्हों ने कहा कि मैं यह मानता हूं कि जो जिस मुहकमे का मिनिस्टर हो उस में उस की पालिसी चलनी चाहिये । चुनांचे मैं ने फूड मिनिस्टर साहब के लिये सवालात शार्ट नोटिस के भेजे लेकिन सेशन का आखीर था इस वजह से वह सवालात मंजूर न हो सके । थोड़े दिनों बाद सेठ गोविन्द दास का बिल हाउस के सामने आया और उस के सिलसिले में मैं ने उन से हाऊस में पूछा कि आप का क्या रिएक्शन है । तो उन्हों ने कहा कि मैं वही बात कहता हूं जोकि मैं ने पटना में कही थी और उन्हों ने वही अपनी पालिसी बतलायी । मैं अदब से अर्ज करूंग कि ऐसा बाउसूल, हिम्मत वाला और ऐसा काम करने वाला मिनिस्टर बहुत कम किसी भी मल्क की गवर्नमेन्ट में होगा । जिस वक्त मुझे उनकी मौत की खबर मिली तो मैं आप से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मुझे इतना दुःख हुआ जितना कि किसी नज़दीक से नज़दीक के रिश्तेदार के मर जाने से न होता क्योंकि उन से सारे मुल्क को हमदर्दी थी । मैं जितनी मर्तबा उन के दरबार में गया कभी खाली नहीं आया, और न और कोई खाली आता था । कोई ऐसी दरखास्त नहीं थी कि जो उन्हों ने मंजूर न की हो । वह सब के साथ ऐसा ही करते थे । मैं आज यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि उन के बारे में मेरे दिल में जो कुछ है उस को मेरे अल्फाज़ अदा नहीं कर सकते । अब उन की जगह श्री अजित प्रसाद जैन को मिली है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से श्री अजित प्रसाद जी उन की जिन्दगी में किदवई साहब के फोलोअर रहे उसी तरह से उन के बाद भी उन की पालिसी को चलायेंगे और उसी हिम्मत, इस्तकलाल और ज्वां-मर्दी से काम करेंगे जैसाकि वे अभी तक करते रहे हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि वे भी उसी तरह से काम करते रहेंगे जिस तरह से कि किदवई साहब करते थे ।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़–पूर्व व ज़िला बलिया–पश्चिम) : और यह जैन भी हैं

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जो कुछ मैं ने पिछली दफा इसी बिल पर कहा है मैं उस को दुहराना नहीं चाहता । मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा । पिछली दफा मैं ने हाउस में यह बड़े जोर से अर्ज किया था कि वनस्पति एक ऐसी चीज़ है जोकि हमारी अव्वल दर्जे की न्यूट्रीशन की चीज़ में मिलाया जाता है । किदवई साहब भी उसी इलाके से आते थे और वह जानते थे कि ज़मींदार के वास्ते छाछ कितनी ज़रूरी चीज़ है । जो मैं ने पहले कहा था उस को मैं नहीं दुहराना चाहता । मैं यह अर्ज करूंगा कि जो कुछ मैं ने पहले कहा है उस को आनरेबिल मिनिस्टर साहब पढ़ लें । मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब बखूबी जानते हैं कि छाछ और घी क्या चीज़ है और यह मेरी खशकिस्मती है कि यह इस बात को महसूस भी करते हैं । यह सवाल सिर्फ मैन्यूफेक्चरर्स का नहीं

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

है । यह हमारे नेशनल फूड का सवाल है । यह हमारे कांस्टीट्यूशन की दफा ४७ और ४८ में डाइरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पर दिया हुआ है और इन आर्टिकल्ज़ से सब आदमी और मिनिस्टर्स और म्युनिसिपैलिटीज़ हैंड ऐंड फुट बंधे हुए हैं । इसलिये मैं अर्ज़ करता हूं कि इस को छोटे नुक्तेनज़र से न देखा जाय बल्कि उसी नुक्तेनज़र से देखा जाय जिस से कि मैं इस को देखता हूं । यह हमारे मुल्क के लिये एक ज़िन्दगी और मौत का सवाल है । मैं चाहता हूं मिनिस्टर साहब इस मसले को इसी नुक्तेनिगाह से देखें जैसे कि मैं देखता हूं । मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि यह वनस्पति हमारी कैटिल इंडस्ट्री को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है और हमारी घानी इंडस्ट्री को जो कि एक काटेज इंडस्ट्री है उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाता है । जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूं उसको मैं फिर दुहराना नहीं चाहता । मैं चाहता हूं कि हमारी घी इंडस्ट्री को और हमारी घानी इंडस्ट्री को नुकसान न पहुंचे ।

दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि इस को रंग दिया जाय । कमेटी बनाई थी और मुझ से वायदा किया था कि इस को रंगवा देंगे । मैं ने इस वायदे को हाउस में भी दुहराया था और मैं ने सारी पबलिक को और सारे साइंटिस्ट्स को अपील की थी कि वे इस के लिये कोई माकूल रंग निकालें । यह जो ११ नेशनल लेबारेटरीज़ हैं इन पर हमारे मुल्क के हर शख्स को फख्र है । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे साइंटिस्ट हम को ऐसा रंग नहीं बतला सके जिस से हम वनस्पति को रंग सकते । गवर्नमेंट की पालिसी इस मामले में वाज़ेह है । वह इस को रंगना चाहती है । कांग्रेस ने इस को पास किया है । महात्मा जी और विनोबा जी इस के हक में हैं । प्राइम मिनिस्टर इस के हक में हैं । मुझे ताज्जुब होता है कि बावजूद इस के कोई रंग नहीं मिल रहा है । इस के बारे में मैं आप से चन्द बातें अर्ज करना चाहता हूं ।

बहुत बरस हुए पंजाब गवर्नमेंट ने एक रंग तजवीज़ कर के भेजा जिस का नाम था आरेंज एस० एस० । उस के बाद एक और रंग सुडान एम० पी० बम्बई गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने भेजा । साइंटिस्ट्स ने उस के बारे में तहकीकात की । उन्हों ने कहा कि इस में मिनरल रंग नहीं मिलाया जा सकता, कोई कोलतार का रंग हो या वैजीटेबिल रंग हो । सन् १९५० में जैरामदास दौलतराम साहब ने यह फरमाया कि रतन जोत ऐसा रंग है जो हम को पसन्द है । लेकिन उन्हों ने कहा कि वह ६,००० टन चाहिये और यह हिन्दुस्तान में नहीं होता, काश्मीर से मंगाना पड़ेगा । उस वक्त मेरे स्वर्गीय दोस्त चौधरी मुख्तार सिंह साहब यहां पर थे । उन्हों ने कहा कि आप को काश्मीर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरठ जिले में ६ हजार टन रतन जोत मिल जायगी । लेकिन वह रंग साइंटिस्ट्स को पसन्द नहीं आया । वह रंग इसलिये पसन्द नहीं किया गया कि रंगने की एक शर्त यह थी कि रंग देखने में अच्छा हो । हमारे देश के एक बड़े साइंटिस्ट श्री सतीशचन्द्र गुप्ता हैं । उन्हों ने गाय के बारे में दो बहुत बड़ी वाल्यूम लिखी हैं । उन्हों ने वनस्पति को रंगने के लिये कुछ रंग तजवीज़ किये । एक रेड ओकसाइड आफ आयरन था, मैं ने कहा था कि अगर आप इस को खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो किसी दूसरे रंग से भी रंग दीजिये ताकि वह देखने में काला न रहे । मैं यह नहीं चाहता कि यह चीज़ देखने में

खुशनुमा न हो । जो इस को खाना चाहते हैं वे खायें । मैं तो सिर्फ़ यही चाहता हूं कि उस को रंग दिया जाय । मैं चाहता हूं कि उस को खुशनुमा बना दिया जाय लेकिन अगर उस को गर्म किया जाय और एक रंग हट जाय तो दूसरा रंग बना रहेगा । मैं ने कहा था अगर इस को उन के रंग से रंग दिया जायगा और किसी दूसरे रंग से भी रंग दिया जायगा तो नतीजा यह होगा कि अगर दूसरा रंग गर्म करने पर हट भी जायगा तो पहला रंग नहीं हटेगा, क्योंकि वह तो पक्का रंग है ।

जो दूसरा रंग है वह फ़ास्ट कलर नहीं है, और मुमकिन है कि वह हट जाय लेकिन आज तक इस की तरफ़ तवज्जह नहीं हुई । श्री एस० एस० भटनागर ने हमें उस कमेटी में यकीन दिलाया कि साल के भीतर हम वनस्पति में मिलाने के लिये ऐसा रंग निकाल दें जो फ़ास्ट होगा लेकिन वह रंग आज तक न निकला, उस कमेटी को हुए तीन-चार वर्ष हो गये । मैं एक मिनट के वास्ते मानने को तैयार नहीं हूं कि अगर आनरेबल प्राइम मिनिस्टर स की तरफ़ तवज्जह दें और स बात की पूरी कोशिश करें कि कोई रंग ऐसा निकाला जाय जो वनस्पति मे मिलाया जा सके तो वह न निकले । मुझे मालूम है कि यू० पी० गवर्नमेंट न एक बड़ा नाम बोला हुआ है कि कोई ऐसा रंग निकाले, कितने ही रंग उस कमेटी के सामने पेश किये गये लेकिन कोई रंग अभी तक पास नहीं हुआ, ताहम हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और मुझे पक्का यकीन है कि ऐसे रंग मौजूद हैं जिन के अन्दर कोई नुकसान नहीं है और साइंटिस्ट्स ने बेजा हुज्जत की हुई । स प्रकार का रंग अमरीका की नेशनल कौंसिल आफ़ न्यूट्रीशन और ग्रेट ब्रिटेन की न्यूट्रीशन कौंसिल ने पास कर दिया है और वह वहां पर सब खाने-पीने की चीजों में इस्तेमाल होता है, हिन्दुस्तान में भी इस्तेमाल होता है लेकिन उस रंग को वनस्पति में मिलाने के लिये हमारे साइंटिस्ट्स इस बिना पर रज़ामन्द नहीं होते कि उस में कैंसर प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी है और कैंसर हो जाने का खतरा है । अब मैं चूंकि साइंटिस्ट नहीं हूं, इसलिये दावे के साथ तो मैं इस बारे में कोई बात कह नहीं सकता लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि ग्रेट ब्रिटेन और अमरीका ये दो मुल्क हरगिज़ स चीज़ को पास नहीं कर सकते थे अगर उस के खाने से नुकसान होता या कैंसर होने का अन्देशा होता ।

मैं ने बहुत से सुझाव दिये हैं जिन पर सरकार को गौर करना चाहिये । ऐसे कितने ही रंग हैं जो वनस्पति में मिलाये जा सकते हैं । मेरे हाथ में एक किताब है जिस का नाम "कलराइज़ेशन आफ़ वनस्पति" और वह किताब गवर्नमेंट के पास भी ज़रूर होगी । घी एडल्ट्रेशन कमेटी ने एक रंग की सिफ़ारिश की और कहा कि कैरोटिन नामक रंग वनस्पति में मिलाया जा सकता है और ठीक से तो मैं नहीं कह सकता कि कैरोटिन के अन्दर ए० विटैमिन है या डी० विटैमिन है, तो उस के मिलाने से वनस्पति को वह विटैमिन भी मिल जायगा । गवर्नमेंट ने उस विटैमिन को तो वनस्पति में डाल दिया लेकिन यह मंजूर नहीं किया कि कैरोटिन रंग का वनस्पति में इस्तेमाल किया जाय । यह कहा गया कि ज्यादा हीट करने से उस का रंग हट जाता है और अगर वह वनस्पति में इस्तेमाल किया गया तो लोग उस को हटाने में लग जायेंगे । मैं इस को मानने को तैयार नहीं हूं । यह आनरेबल प्राइम मिनिस्टर, श्री मुन्शी और श्री थिरुमल राव के वायदे की इज्ज़त का सवाल है और क़िदवई साहब की वसीयत को आनर करने का सवाल है । श्री किदवई कोई ऐसे छोटे

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मोटे आदमी नहीं थे कि उन की वसीयत को नज़रअंदाज़ किया जाये और मुझे उम्मीद है कि सरकार उस को ज़रूर पूरा करेगी और इस का क्रेडिट हमारे नये आनरेबल मिनिस्टर को मिलेगा । मैं आज दुबारा उन बड़े बड़े अशख़ास और साइंटिस्ट्स की राय हाऊस में नहीं रखना चाहता जिन का ख्याल है कि बनस्पति मुज़िर है, मैं इस से भी इन्कार नहीं करता कि कुछ लोग ऐसे भी हैं और कुछ रायें ऐसी भी हैं कि वनस्पति मुज़िर नहीं है लेकिन जो आम ऐतराज़ात उन के हैं जो वनस्पति के हक में हैं ; वे इस प्रकार मेरे नोट में दर्ज हैं :—

(१) मूंगफली का तेल अधिक टिकाऊ है, और ज़माये जाने पर इस का स्वाद नहीं बिगड़ता ।

(२) देश में पर्याप्त घी नहीं हैं, और इसलिये मूंगफली का तेल इस बढ़ती मांग को पूरा करता है ।

(३) वनस्पति को आसानी से लाया-ले जाया जा सकता है ।

(४) वनस्पति पर इस समय लगभग २५ करोड़ रुपये की पूंजी लगी है, और यदि इस का निर्माण बन्द हो तो ५०,००० व्यक्ति बेकार हो जायेंगे ।

(५) मध्य वर्ग के लोग इस का इस्तैमाल कर रहे हैं, और अब यदि उन्हें मूंगफली का तेल खाना पड़ा तो उन की इज्ज़त चली जायगी ।

(६) इस बात का दावा किया जाता है कि वनस्पति बनाने के समय मूंगफली से कोल्हू-विधि की अपेक्षा अधिक तेल निकाला जाता है ।

(७) वैज्ञानिकों का कहना है कि कच्चे या साफ किये गये मूंगफली के तेल की अपेक्षा इस का उपयोग स्वास्थ्य के लिये अहानिकर है ।

सारा मसाला मेम्बर साहबान के सामने है और वह खुद फैसला कर सकते हैं कि वनस्पति नुकसानदेह है या नहीं है । इस मौक़े पर मुझे कोई लम्बा चौड़ा जिक्र नहीं करना है और न मैं वनस्पति के हक में जो लोग हैं उन की तरदीद करना चाहता हूं, खुद मेम्बर साहबान तरदीद कर लेंगे । मैं इस के लिये हाउस का और ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता । मैं इस बारे में मेम्बर साहबान की खिदमत में एडल्ट्रेशन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जो नोट आफ़ डिरसेंट मैं ने लिखा था और जो आफ़िश्यल डाक्युमेंट का हिस्सा है, उस को पेश करता हूं और मेम्बर साहबान उसका मुलाहिजा फरमायें । मैं ने मेम्बर साहबान की खिदमत में उस नोट को भेज दिया है । मैं बहुत अदब के साथ आनरेबल मिनिस्टर की खिदमत में अपने उस नोट को पेश करता हूं । उस में मैं ने सारे फ़ायदे और नुकायस जो मेरी नाकिस अक्ल में आये, वह मैं ने उस नोट में दर्ज कर दिये हैं और मैं हर एक मेम्बर साहब की खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि मेहरबानी कर के जो कुछ उस में मैं ने अर्ज किया है उस पर ग़ौर फ़रमायें ।

आखिर में मैं ज्यादा न कहते हुए इतना अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक कि देश के बड़े बुजुर्गों की रायों का सवाल है, यह दो किताबें मेरे हाथ में हैं, अगर आनरेबल मेम्बर साहबान चाहेंगे तो मैं उन की कापी हर एक मेम्बर के पास भेज दूंगा । वनस्पति के सम्बन्ध में गांधी जी, विनोबा भावे और डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने अपने ख्यालात

ज़ाहिर किये हुए हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं एक एक कर के उन को यहां पर सुनाऊं। मैं पुराने हाउस में पिछले मौक़े पर सन् १९५१ में उन को पढ़ कर सुना भी चुका हूं और जो मेम्बरान उस मौक़े पर मौजूद नहीं थे उन से मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि उन का यह फ़र्ज़ है कि वह उन स्पीचेज़ को पढ़ें और फिर राय क़ायम कर के उस के अनुसार आचरण करें। इतना मैं कह सकता हूं कि ९९ परसेंट इस देश के, कम-से-कम अपर इंडिया के इस बिल के हक़ में हैं। ६ लाख आदमियों की दस्तखत इस बारे में इस हाउस में मैं पेश कर चुका हूं जो हाउस में मौजूद है जिस में सैकड़ों, डाक्टरों की राय भी मौजूद है और क़रीब सेंट पर सेंट सिवाय वनस्पति के मैनुफ़ैक्चरर्स को छोड़ कर इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि यह चीज़ बन्द हो जानी चाहिये लेकिन अगर यह बन्द न की जा सके तो कम से कम वनस्पति को रंग तो अवश्य ही दिया जाय, इस से कम से कम एडल्ट्रेशन तो बन्द हो जायगा। वनस्पति के कलराइज़ेशन में जो देर और रुकावट हो रही है उस के वास्ते हमारे कुछ एक साइंटिस्ट्स ज़िम्मेदार हैं जो कि कलर नहीं पेश करते और देश को गुमराह करना चाहते हैं यह कह कर कि इस से देशवासियों की सेहत को नुक़सान नहीं पहुंचेगा। कुछ को छोड़ कर सब ने एक ही राय दी है कि यह नुकसानदेह चीज़ है और यह सेहत के वास्ते मुज़िर है। अगर आप के नज़दीक कांस्टीट्यूशन एक सेक्रेड चीज़ है, अगर हाउस उस में यकीन करता है, गवर्नमेंट यकीन करती है तो गवर्नमेंट को ४७ और ४८ दफा की पाबन्दी करनी होगी वरना आप अपना यह दावा छोड़ दें कि हम डेमोक्रटिक गवर्नमेंट हैं। इसके अलावा किदवई साहब की वसीयत को भी आप को पूरा करना है। उन्होंने पटने में यह यक़ीन दिलाया था कि इस सवाल को हल किया जायगा। इसलिये मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि अगर आप के दिल में कांस्टीट्यूशन की कोई वक़अत बाक़ी है, देश की भलाई का कोई ख्याल है और ग़रीब आदमियों की आवाज़ की ब मुक़ाबले अमीर और पूंजीपतियों के आप के नज़दीक कोई क़द्र और वक़अत है, इस देश के करोड़ों किसानों की भलाई आप के दिल में है तो उसका एक ही रास्ता है और वह यह है कि हिम्मत कर के आप वनस्पति का मैनुफ़ैक्चर बन्द करिये लेकिन अगर वह सम्भव न हो तो कम से कम अपने वायदे को पूरा करने के वास्ते वनस्पति को कलर तो ज़रूर ही कर दीजिये।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं एक मिनट के वास्ते क्षमा चाहूंगा कि मैं विषय से हट कर पंडित ठाकुर दास भार्गव की कुछ बातों का जवाब दूं। पंडित जी ने अपना भाषण शुरू करते हुए कहा कि मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं और ज़रूरत से ज्यादा नहीं लूंगा। आप जानते हैं कि जब प्राइवेट मेम्बर्स बिल आता है तो अधिक से अधिक ढाई या तीन घंटे का समय होता है। अब तीन घंटे के समय में से पंडित जी ने एक घंटा ले लिया, मूवर महाशय ने आध घंटा लिया और इस तरह आप देखिये कि बाक़ी हाउस के मेम्बरों के लिये कितना कम समय रह गया, आप समझ सकते हैं कि हमारे जैसे बैक-बेंचर्स की क्या हालत होती होगी। इसलिये मैं सीनियर मेम्बर्स की खिदमत में अदब से अर्ज़ करूंगा कि बैक-बेंचर्स को जो नेगलेक्ट किया जाता है और उन के बोलने के लिये समय ही नहीं बचता उस के लिये आप आगे वाले ज़िम्मेदार हैं और हम बैक-बेंचर्स आप लोगों के इस रवैये के बिल्कुल खिलाफ़ हैं, इस को आप नोट कर लीजिये। आप लोग बिज़नेस ऐडवाइज़री कमेटी में जाते हैं और वहां बिल पर बहस के लिये समय कम निर्धारित करते हैं और

[पंडित डी० एन० तिवारी]

कुल समय आप लोग ही अपने लिये ले लेते हैं और हम लोगों को अपनी बात कहने का मौक़ा नहीं मिल पाता, माफ़ करेंगे मुझे कि मैं ने यह सब कहा, लेकिन यह वाक़िया है ।

अब मैं बिल पर आना चाहता हूं । मैं ने बहुत गौर से मूवर महोदय की स्पीच को पढ़ा और सुना भी था । पंडित ठाकुर दास भार्गव की सपोर्ट को मैं ने बहुत गौर से सुना है । मैं ने मूवर साहब की स्पीच को फिर से पढ़ा है और मैं ने उस में तीन प्वाइंट्स पाये हैं जिन की बिना पर वह चाहते हैं कि वनस्पति का मैनुफ़ैक्चर बन्द होना चाहिये और वह प्वाइंट्स ये हैं । जैसे उन्हों ने कहा कि "यह तेल जितना ही खराब या अच्छा है ।" दूसरी बात उन्होंने यह बतलाई कि "इस में आसानी से अपमिश्रण किया जा सकता है ।" और तीसरा प्वाइंट उन का यह था कि "हमें तेल के उत्पादों पर अधिक व्यय करना पड़ता है ।"

और सारांश स्पीच का इन्हीं तीन बातों में निहित है ।

मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यदि वह साइंटिफिक विश्लेषण करा देते तो बड़ी अच्छी बात होती । पंडित ठाकुर दास भार्गव या मूवर महाशय जो भाषण करते हैं वह सेन्टिमेन्ट्स पर होते हैं कि लोगों की यह राय है, लोग यह कहते हैं, फलाने ने इस में यह कहा, फलाने ने इस में यह कहा । सीधी बात तो यह थी कि लेबोरेटरी में इस की ऐनालिसिस हो जाती । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने १७ सितम्बर को बोलते हुए कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जब मुझे यह विश्वास हो जायेगा कि इस में हार्मफुल प्रापर्टीज़ हैं तो मैं उस को बन्द करवा दूंगा । प्राइम मिनिस्टर का यह वादा स्टैन्ड करता है । इस के लिये इस बिल और इतने भाषणों की ज़रूरत नहीं थी । केवल पंडित ठाकुर दास भार्गव और मूवर महाशय को यह साबित कर देना था कि यह हेल्थ के लिये इन्जूरियस है और यह तुरन्त खत्म हो जाता ।

श्री झूलन सिंह (सारन उत्तर) साबित है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : साबित नहीं है । साबित है यह सिर्फ लोगों की ओपीनियन से । मैं चाहता हूं कि साइंटिफिक बेसिस पर लेबोरेटरी में जांच कर के यह साबित होता ।

सेठ गोविन्द दास (मंडला—जबलपुर—दक्षिण) : मिलावट के लिये कहा जाता है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं बताता हूं, आप घबराये नहीं ।

मैं जानता हूं कि इस देश में जो लोग हैं वह अधिकतर गरीब हैं उन को घी मुअस्सर नहीं है । १ या २ प्रतिशत लोगों से अधिक लोगों को घी मुअस्सर नहीं है । अगर आज वनस्पति न होता तो उन गरीब लोगों की जाति, बिरादरी या बरातों में इज्जत नहीं रह सकती थी । आप कहेंगे कि इज्जत क्या चीज है । आप दुनिया में धन पैदा करते हैं, पैसा पैदा करते हैं, केवल इसलिये नहीं कि अच्छा खायें, बल्कि इसलिये भी कि आप की प्रतिष्ठा हो । आप देखेंगे कि कोई अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता है, वह खराब कपड़े से भी अपना काम चला सकता था । आप देखेंगे कि कोई अपने दरवाजे पर चार चार मोटरें रखता है, घोड़े रखता है, हाथी रखता है । क्यों ? केवल दिखावट के लिए । वैसे ही जो गरीब लोग हैं और जिन को घी नहीं मिलता, उन के लिए दिखावट की

चीज़ होती है कि मैंने घी खा लिया, पूरी और कचौरी खा लिया ।

श्री अलगू राय शास्त्री: स्वास्थ्य को बेच कर ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं स्वास्थ्य की बात बतलाता हूं । अगर आज वनस्पति न होता तो क्या होता ? रुपए का एक छटाक घी मिलता, आज एक रुपये का तीन छटाक घी मिल रहा है ।

श्री अलगू राय शास्त्री : वनस्पति की वजह से क्या हो रहा है ?

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं अदब के साथ कहूंगा कि वनस्पति एक ऐडीशनल चीज है तब तो घी महंगा हो गया और ज़रा इस को हटा दीजिये तो देखिये क्या होता है । यह तो सप्लाई ऐंड डिमान्ड का प्रश्न है, आप खुद ही सोच सकते हैं ।

मैं आप से बताना चाहता हूं कि इस देश में आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं, यह तो नुक्सानदेह है, आप गांजा पीते हैं, आप शराब पीते हैं उस को आप जारी किये हुए हैं । यह भी तो नुक्सानदेह है, आप इस को बन्द नहीं करते । वनस्पति से अधिक नुक्सान-देह चीज़ों को आप ने जारी रक्खा है । वनस्पति के बारे में मैं आप को गवर्नमेंट की रिपोर्ट बतलाता हूं । एक मर्तबा देखिये कि वेजिटेबिल प्रोडक्ट कितने समय में खराब होता है । साथ ही कितने प्वाइंट पर वह नुक्सानदेह नहीं होगा इस की भी रिपोर्ट देख लीजिये । गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज़ में जो विश्लेषण हुआ है अगर उस को भी आप देख लेते तो मालूम हो जाता कि केवल सरसों के तेल को छोड़ कर जितने तेल हैं वह हानि-कारक हैं क्योंकि उन ....

श्री अलगू राय शास्त्री : तिल का तेल तो अच्छा होता है ?

पंडित डी० एन० तिवारी : मेरे पास जो रिपोर्ट है तेल की प्रापर्टी के बारे में और जो दूसरे अनुसन्धान हुए हैं ....

श्री अलगू राय शास्त्री : तिल का तेल नुक्सानदेह है, यह जिस ने कहा है उस लेबो-रेटरी को बन्द करो ।

पंडित डी० एन० तिवारी : सरसों के तेल के बारे में यह लिखा है :

> "सरसों के तेल में साधारणतया अम्लता कम होती है । यह ४ प्रतिशत से अधिक कभी कभार ही होती है और यह देर तक रह सकता है ।"

लेकिन और तेलों के बारे में उन्होंने कहा है कि चूंकि उन में ४ परसेन्ट से ऐसि-डिटी ज्यादा निकलती है इसलिये वह हानि-कारक होते हैं । हमारे यहां सरसों का तेल बहुत इस्तेमाल होता है, यू० पी०, बंगाल और बिहार में । लेकिन उस को वह तरकारी पकाने तक सीमित रखते हैं । उस की पूरी नहीं बनाते और न रोटी में लगाते हैं । अगर उस को रोटी के साथ या पूरियां बना कर रख दिया जाय तो हम समझते हैं कि हमारी बेइज्जती हो गई । अब आप बतलाइये कि उस हालत में कि जिस आदमी को घी मिलता नहीं है, मैं जानता हूं कि गांवों में भी आप चाहे जितना पैसा दे दीजिये, आप को घी नहीं मिलता है, वह बेचारा क्या करे ? इसलिये मैं कहूंगा कि जब तक यह साबित न हो जाय कि वनस्पति नुक्सानदेह है और किस प्वाइंट के बाद नुक्सानदेह है, जब तक उस प्वाइंट तक न पहुंचे तब तक उस को बैन न किया जाय । मैं ने जो आप की स्पीचें सुनी हैं उन में आप उस के बैन करने पर जोर नहीं देते, आप चाहते हैं कि उस में रंग मिला दिया जाय । मैं इस को मानता हूं कि घी में ऐडल्टेशन नहीं होना चाहिये । आप

[पंडित डी० एन० तिवारी]

के पास पैसा है, आप दो छटांक का घी खा सकते हैं, उस में आप को ऐडल्ट्रेशन नहीं मिलना चाहिये । लेकिन हमारी तो मिलावट करने की आदत हो गई है । हम को इस को रोकना चाहिये । इस हाउस में यह बहस की जाती है, और कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यहां चीजें ठीक नहीं मिलती हैं । लेकिन मैं तो कहता हूं कि यहां पर विष में भी मिलावट होती है, केवल घी में मिलावट होना कोई बड़ी बात नहीं है । हां, इस को हमें रोकना ज़रूर है, मिलावट नहीं होने देना है । लेकिन जो चीज है उस को आप देखें । आज हालत क्या है ? आज आप होटलों में जाते हैं, रेलवेज़ की डाइनिंग कार्स में हम खाना खाते हैं, सब जगह लिखा होता है "यूज्ड वनस्पति ओनली' । अन्न-पूर्णा के जितने भंडार हैं उन में भी लिखा होता है "वनस्पति यूज्ड" हम लोग जा कर खाते हैं । हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं वह इस को कराते चले जाते हैं सब होटलों में । डाइनिंग कार्स में भी यही इस्तेमाल होता है, उस के अन्दर नहीं हम देखते कि यह हमारी तन्दुरुस्ती के लिये नुक्सानदेह है ।

श्री अलगू राय शास्त्री : खाली ही तो व्यवहार में लाते हैं, मिलाते तो नहीं ?

पंडित डी० एन० तिवारी : आप सादी रोटी खा सकते थे, लेकिन नहीं यहां सिर्फ दिखलाने का सवाल होता है, इज्जत का सवाल होता है । आप यह चाहते हैं कि लोग न समझें कि आप पूरी कचौरी नहीं खा रहे हैं ।

श्री अलगू राय शास्त्री : ऐसा कभी नहीं होता ।

पंडित डी० एन० तिवारी: तो मैं आप से कह रहा था कि कोई छिपी चीज़ नहीं है आप कहते हैं कि रुकावट हो जाय, मिलावट न हो । हम लोग जानते हैं कि जितनी मिठाई की दुकानें हैं, जितने होटल्स हैं सबमें वनस्पति चलता है, घी नहीं चलता है । आप जा कर देखिये होटलों में । हम लोग जान बूझ कर खा रहे हैं, कोई धोखे में नहीं खा रहे हैं । यह मैं मानता हूं कि घी में मिलावट नहीं होनी चाहिये । उस में रंग मिलना चाहिये और गवर्नमेंट को प्रयत्न करना चाहिये कि जल्दी से जल्दी उस में रंग मिलाया जाय जिसमें कि दूसरी चीजों में उसकी मिलावट न हो सके ।

मूवर महोदय ने कहा कि एक और कारण है वनस्पति को बन्द करने का कि वनस्पति में भी मिलावट होती है । मुझे सुन कर हंसी आई । वनस्पति खुद खराब चीज़ है तो उस में मिलावट क्या होगी ? और क्या आप समझते हैं कि पहले घी में मिलावट नहीं होती थी ? बिल्कुल गलत बात है यह कहना कि नहीं होती थी । हम लोग लड़कपन में सुनते थे कि घी में मिलावट होती है । उस में चरबी मिलाई जाती है । इसलिये आज जो मिलावट होती है, जब तक आप देश में ज्यादा घी पैदा करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक अगर उस में वनस्पति की मिलावट नहीं होगी तो दूसरी चीज़ों की मिलावट होगी । अगर चर्बी मिली हो तो और भी खराब है । पहले सुअर की चर्बी घी में मिलाई जाती थी । उस में कोई बू नहीं रहती और वह आसानी से घी में मिल जाती है । इस वनस्पति से वह और ज्यादा खराब होगी । हमारे यहां एक पेड़ महुये का होता है । उस के फलों का तेल घी में मिला दिया जाता है । तो आप मिलावट को रोकने का प्रयत्न कीजिये । गवर्नमेंट पर जोर डालिये कि ज्यादा स्टाफ रखा जाय और मिलावट करने वालों को सख्त

सजा दी जाय । लेकिन आप इस चीज़ को बन्द न करें जिस को ९० प्रतिशत लोग इस्तेमाल करते हैं और, उन को उस से सैटिस्फैक्शन होता है, इसलिये नहीं कि वे इस को घी से अच्छा समझते हैं, वह जानते हैं कि वनस्पति घी से नीचे दर्जे की चीज़ है । लेकिन लोग इस को इसलिये इस्तेमाल करते हैं कि घी उपलब्ध नहीं है । तो मैं अर्ज करूंगा कि ऐसी चीज़ पर जोर न दीजिये जो हो न सकती हो और अगर आप इस को बन्द कर देंगे तो पीछे इस के लिये हम को और आप को लोग दोष देंगे । मैं देहात में रहता हूं । मैं ने देखा है कि शादी विवाह के अवसर पर लोग जानकर डालडा मंगाते हैं । यह वे इसलिये करते हैं कि वे घी नहीं खरीद सकते । और आप भी बारात में जायें तो आप को भी वही खाना दिया जायगा । यह बात और है कि आप उस को न खायें । तो जब तक हम अपने लोगों की फूड हैबिट्स नहीं बदलते, उन की मेंटेलिटी नहीं बदलते, और जब तक हम उन को शुद्ध घी नहीं दे सकते तब तक इस को बन्द करने से क्या फायदा होगा । सवाल मिलावट को रोकने का है । आजकल सिनेमा में वनस्पति का बड़ा एडवरटाइजमेंट किया जाता है और उस को बहुत फायदेमन्द बतलाया जाता है । ऐसी बात तो नहीं है । वह उतना अच्छा नहीं होता । लेकिन हम को तो इस सवाल को, प्रेक्टिकेबिलिटी के ख्याल से देखना है । मैं चाहता हूं कि इस का साइंटिफिक ऐनेलेसिस किया जाय और इस के बारे में सही बात जनता को बतलाई जाय ।

मुझे दो एक बातें और कहनी हैं । मैं ठाकुर दास जी जितना वक्त नहीं लूंगा । एक बार यहां पर इस को रंगने की बात आई थी । पर कहा गया था कि वह रंग बाहर से मंगाना पड़ेगा । साइंटिस्ट्स ने उस के बारे में यह कहा कि कुछ दिन बाद वह रंग हट जाता है । तो मैं यह कहूंगा कि इस रंग को इस्तेमाल किया जाय और यह आर्डर कर दिया जाय कि जितने दिन में वह रंग हट जाता है उस से पहले ही वह माल बाजारों में बिक जाय । और जो न बिक सके उसे फिर से रंग दिया जाय जिस से जो मेन आब-जैक्ट है कि एडल्ट्रेशन न हो वह पूरा हो जाय । मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान देगी कि एडल्ट्रेशन को रोका जाय और जब तक गवर्नमेंट पूरा घी न दे सके तब तक वनस्पति को बन्द न किया जाय ।

श्री बोगावत (अहमदनगर—दक्षिण) । इस विधेयक में सारे देश का हित है । हम जानते हैं कि असली घी बड़ी मुश्किल से मिलता है । इस का यही कारण है कि उस में वनस्पति घी मिला दिया जाता है । सारे देश में यह मिलावट हो रही है । इसे रोकने के लिये और इस बात का प्रबन्ध करने के लिय कि लोगों को शुद्ध घी मिले कुछ न कुछ कार्यवाही करना जरूरी है । मुझे खुशी है कि पण्डित ठाकुर दास जी अपनी बात पर जोर दे रहे हैं । कई सदस्यों ने ऐसा प्रयत्न किया है परन्तु वनस्पति घी में रंग डालने का प्रबन्ध नहीं हो सका है । उद्योगपति यह नहीं चाहते कि इसे रंगा जाय क्योंकि उस से इस की बिक्री कम हो जायगी । मुझे खेद से कहना पड़ता है कि इसे रंगने का वादा भी कई बार किया गया जो पूरा नहीं हुआ है । यह बड़ा थोथा बहाना है कि इसे रंग नहीं दिया जा सकता । क्या हमारे वैज्ञानिक इतना भी नहीं कर सकते ?

सरकार को चाहिये कि इस बात का प्रबन्ध करे कि लोगों को शुद्ध घी मिले । मूंगफली का व्यापार करने वाले लोगों का आरोप है कि चूंकि मूंगफली से वनस्पति घी बनता है, इसलिये मुंगफली का निर्यात नहीं होता । दूसरी बात यह है कि वनस्पति स्वास्थ्य के लिये हानिकर है । वैज्ञानिकों में

[श्री बोगावत]

भी इस विषय पर मतभेद है । मैं वैज्ञानिक तो नहीं हूं परन्तु यह कह सकता हूं कि यह शुद्ध घी जितना गुणकारी नहीं है ।

मैं खाद्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस समस्या पर ध्यानपूर्वक विचार करें और इसे हल करें ।

सेठ गोविन्द दास : यह कहा जायगा कि यह विषय बार बार हमारे सामने आता है । इस में कोई सन्देह नहीं कि कोई तीस वर्ष से मैं स्वयं देख रहा हूं कि यहां या राज्य सभा में किसी न किसी रूप में यह पेश होता रहा है । जहां तक मुझे याद है सन् १९२६ में पहले पहल कौंसिल आफ़ स्टेट में, उस वक्त वह कौंसिल आफ़ स्टेट कहलाती थी, कौंसिल आफ़ स्टेट्स नहीं, श्री राम सरन दास ने इस विषय को उठाया था । मैं उस समय उस सदन का एक सदस्य था । उस समय वनस्पति के कारखाने भी शायद भारतवर्ष में इने गिने ही थे । उस के बाद न जाने कितनी बार यह विषय उठाया गया । कुछ मांगें जनता की ऐसी होती हैं कि चाहे वे कितनी ही पुरानी क्यों न हो जायें, वे सदा ही नई रहती हैं ।

इस विषय का गोवध से बहुत बड़ा सम्बन्ध है । सब लोग इस बात को जानते हैं कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो यह मानते हैं कि इस देश की आत्मा को तब तक संतोष नहीं हो सकता जब तक कि गाय के खून की एक बूंद भी इस पुण्यभूमी पर गिरती है । इस विषय में पंडित जवाहरलाल जी का चाहे कुछ भी मत हो, चाहे वह कुछ भी कहें, वैसे हम सब उन के सच्चे अनुयायी हैं लेकिन गोवध का विषय ऐसा है कि जिस में पंडित जी कुछ भी कहें या कोई भी कुछ कहे, हम इस मामले में झुकने को तैयार नहीं हैं और गोवध बन्द किया जाय इस मांग पर दृढ़ बने रहेंगे । मैं इस बात को भी जानता हूं कि यदि इस देश का इस सम्बन्ध में जनमत लिया जाय तो देश के ९९ प्रतिशत व्यक्ति इस पक्ष के निकलेंगे कि इस देश में गोवध बन्द हो और वनस्पति को कोई न कोई रंग दिया जाय अन्यथा उस का जमाना बन्द किया जाय । यदि हमें इस देश में प्रजातंत्र को चलाना है तो हमें जनता की उचित भावनाओं का आदर करना चाहिये ।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : इन दोनों सवालों का एक दूसरे से क्या सम्बन्ध है ?

सेठ गोविन्ददास : जी हां, दोनों सवालों का एक दूसरे से बड़ा सम्बन्ध है । स्वयं त्यागी साहब इधर हाउस में बैठ कर इस के हक़ में थे । अपनी बात को सिद्ध करने के लिये मैं बोरे के बोरे ऐसे साहित्य पेश कर सकता हूं जिन से सिद्ध हो जायगा कि गोवध के प्रश्न से वनस्पति का घनिष्ट सम्बन्ध है और इन दोनों को अलग अलग नहीं रक्खा जा सकता ।

तो मैं आप से कह रहा था कि कुछ ऐसे विषय हैं कि जो विषय चाहे कितने ही पुराने क्यों न हो जायें, वे सदा नये रहेंगे और उन में ये विषय भी हैं और इन का एक दूसरे से अन्योन्य सम्बन्ध है, अर्थात् गोवध का बन्द होना और उसी के साथ वनस्पति को रंग दिया जाना और यदि यह सम्भव न हो तो उस का जमाया जाना बन्द होना ।

अभी पंडित ठाकुर दास भार्गव ने नये कृषि मंत्री जी को बधाई दी । मैं भी उस बधाई में उन का साथी होना चाहता हूं । मैं भी उन को हृदय से बधाई देता हूं । वे,

एक ऐसे मंत्री के स्थान पर आये हैं कि जो अपनी कार्य पटुता के लिये सारे देश में प्रसिद्ध थे, भले ही उन का किसी से अन्य विषयों में मतभेद रहा हो। यह लोग जानते हैं कि क़िदवई साहब से जब टंडन जी हमारी कांग्रेस के सभापति थे, उस वक्त हमारा बड़ा मतभेद रहा था, लेकिन तो भी श्री क़िदवई उन लोगों में से एक थे जिन को मैं बहुत ज्यादा इज्जत की निगाह से देखता हूं और मेरा तो यह विश्वास है कि यदि वे और जीवित रहते तो इस देश में कल या परसों गोवध भी बन्द हो जाता और वनस्पति के लिये भी कोई न कोई रास्ता निकल आता। अब नये मंत्री जो उनके स्थान पर आये हैं, श्री जैन को मैं बधाई देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि वे इस विषय में और आगे बढ़ेंगे क्योंकि वह अपना नाम खाली अजीत प्रसाद नहीं लिखते बल्कि अपने नाम के साथ "जैन" भी लिखते हैं। जहां तक जैनियों की अहिंसा का सवाल है वह केवल इस देश में ही नहीं, सारे संसार में विख्यात है।

अब प्रश्न यह है कि इस वनस्पति का हमें क्या करना है। सब से पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि कुछ लोग यह समझते हैं कि वनस्पति हमारी तन्दुरुस्ती को नुक़सान नहीं पहुंचाता तो ऐसे लोग भी हैं, और बहुत अधिक तादाद में हैं, और वैज्ञानिकों में भी हैं, जो यह मानते हैं कि नहीं, इस से हमारी तन्दुरुस्ती को हानि पहुंचती है। कई सज्जन यह कहा करते हैं कि हमारे यहां वनस्पति इतने वर्षों से खाया जाता है, हमारे यहां तो इस से कोई हानि नहीं पहुंची। जिन को वनस्पति से कोई हानि नहीं पहुंची उन में से अधिकांश ऐसे हैं जोकि मांसाहारी हैं, जो लोग मांस खाते हैं और मांस के साथ यदि वनस्पति भी खाते हैं तो उन को उतना नुक़सान नहीं पहुंचता। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन से तत्काल नुक़सान नहीं पहुंचता और धीरे धीरे हानि पहुंचती है। वनस्पति ऐसी चीज़ों में से एक है जिन से चाहे तत्काल हानि न पहुंचे मगर धीरे धीरे हानि पहुंचती है। एक बहुत बड़े नेता ने मुझ से कहा, उन का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, कि कुछ देश ऐसे हैं कि जहां पर दूध का अथवा गाय की छाछ का उपयोग नहीं किया जाता लेकिन वहां के लोग भी तन्दुरुस्त रहते हैं। उन्हों ने मुझ से कहा जापान ऐसा देश है, चीन ऐसा देश है। सत्य बात है, इस में कोई संशय नहीं। जापान और चीन में भी हो आया हूं और मैं ने देखा है कि वहां दूध और छाछ नहीं पी जाती। लेकिन आप जानते हैं कि इसी के साथ वह क्या क्या खाते हैं। कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं है दुनिया में जो वह न खाते हों। मेंढक वह खाते हैं, सांप वह खाते हैं, और चूहा वह खाते हैं। लेकिन हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है कि जो निरामिष भोजन करने वालों का देश है। मैं वैज्ञानिक तो नहीं हूं लेकिन मेरा यह निवेदन है कि चूंकि वह मांसाहारी हैं और उन से कोई चीज बची नहीं है इस-लिये उन को घी और दूध वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। अकेले एक हमारा देश ऐसा है जिस में निरामिष भोजन करने वालों की जितनी बड़ी संख्या है उतनी बड़ी संख्या शायद दुनिया के किसी देश में नहीं है। मैं जब इस देश में ऐसा प्रचार होते देखता हूं कि लोग यहां पर मछलियां खायें, अंडे वगैरह खायें तो मेरे हृदय पर एक बहुत बड़ा आघात लगता है। शताब्दियों के प्रयोग के बाद और नाना प्रकार के दर्शन पर विचार करने के बाद हम ने इस देश में निरामिष भोजन करने का सिद्धान्त अपनाया। निरामिष भोजन को हम ने सब से उत्तम और श्रेष्ठ माना, देश में खाद्य पदार्थों में कमी आने के कारण और घी

[सेठ गोविन्द दास]

दूध की कमी हो जाने के कारण आज इस देश में हम यह प्रचार करें कि यहां पर लोगों को मछलियां खानी चाहियें, लोगों को अंडों का सेवन करना चाहिये, कम से कम मेरे हृदय को ऐसा सुन कर बड़ी भारी ठेस पहुंचती है । इस निरामिष भोजी देश में मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह वनस्पति सब से अधिक हानिकारक चीज़ है । पर यदि हम इस विषय को छोड़ भी दें, थोड़ी देर के लिये हम यह भी मान जायें कि यह वनस्पति हानिकारक नहीं है जैसाकि कुछ वैज्ञानिकों की राय है, यद्यपि जैसा मैं ने अभी आप से निवेदन किया कि वैज्ञानिकों में भी आपस में इस विषय को लेकर बड़ा मतभेद है, तो भी कम से कम कोई यह तो स्वीकार नहीं कर सकता कि दो रुपये की चीज़ चार रुपये सेर के हिसाब से बिके । किसी को यदि वनस्पति खाना है तो वह यह जान कर खाये कि वह वनस्पति खा रहा ह । इसलिये मेरा यह निवेदन है और जो हमारे इस विषय में सब से बड़े विशेषज्ञ हैं पंडित ठाकुर दास भार्गव हैं, वह भी इस बात को कह चुके हैं कि यदि वनस्पति में कोई रंग डाला जा सकता हो तो डाल दिया जाय । पर यदि रंग उसे नहीं दिया जा सकता तो फिर हमारा निवेदन यह हो जाता है कि उस का जमाना ही बन्द कर दिया जाय । यदि आप उस का जमाना बन्द कर दें और उस को यदि आप तैल के रूप में बेचें तो जैसा अभी हमारे एक साथी ने कहा कि लोग अपनी इज्जत के लिये इस तरह की चीज़ों का उपयोग करना चाहते हैं, वह बिना जमाये हुए वनस्पति तेल का उपयोग कर सकते हैं । इस में उन को कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी ।

जिन कारखानों में यह वनस्पति तैयार होता है उन कारखानों की मशीनरी को अगर आप देखें तो आप का मालूम होगा कि कुल मशीनरी का केवल पांच फ़ीसदी हिस्सा ऐसा है जोकि इस तेल के जमाये जाने का काम करता है, ९५ फीसदी मशीनरी में उन के यहां केवल इस का तरल रूप बनता है । इस तरह से उन कारखानों को कोई बड़ी भारी हानि पहुंचे ऐसी बात भी नहीं है । अगर कोई वनस्पति खाना चाहेगा तो वह उस को तरल रूप में प्राप्त रहेगा । साथ ही उन को वह उसी कीमत में मिलेगा जिस कीमत में कि वनस्पति को मिलना चाहिये । हमारी आपत्ति तो यह है कि दो रुपये सेर की चीज़ चार रुपये सेर में बेची जाय यह तो अनुचित है । वनस्पति जितनी आसानी के साथ घी में मिलाया जा सकता है उतनी आसानी के साथ अन्य चीज़ें नहीं मिल सकतीं ।

जो वैज्ञानिक हाइड्रोजन बम और ऐटम बम जैसी चीज़ें बना सकते हैं वे ऐसा रंग नहीं निकाल सकते यह मेरी समझ में नहीं आता । मेरा यह निवेदन है कि यदि आज तक रंग नहीं निकला और नहीं निकाला जा रहा है, तो इस का कारण केवल एक है कि हमारी सरकार इस सम्बन्ध में बहुत दत्त चित्त नहीं है । यदि पंडित जी की, यदि हमारे कृषि मंत्री जी की इच्छा यह होती कि नहीं हमें तो इस प्रकार का रंग वनस्पति में देना ही है तो मेरा यह विश्वास है कि तीन दिन के अन्दर रंग निकल आता । इस के लिये वर्षों की आवश्यकता नहीं थी । आप इस विषय को किसी भी दृष्टि से विचार कर के देखें, आप को यह स्वीकार करना ही होगा कि कम से कम वनस्पति लोग घी के रूप में खरीदें यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है । हम ने तो यह भी कह दिया था कि यदि सरकार इस रंग की खोज नहीं कर सकती है तो जितने वेजिटेबिल के कार-

खाने हैं उन को ही इस बात की नोटिस दी जाय, विनोबा जी ने भी यह कहा था, कि आप लोग तीन महीने के अन्दर या छः महीने के अन्दर ऐसा रंग निकालें जिस को आप वनस्पति में मिला सकें। यदि आप तीन महीने या छः महीने के अन्दर इस प्रकार का रंग नहीं निकाल सकेंगे तो हम आप के द्वारा वनस्पति का जमाया जाना बन्द कर देंगे। मेरा यह विश्वास है कि अगर सरकार इस रंग को नहीं निकाल सकती है, सरकार के वैज्ञानिक नहीं निकाल सकते हैं, यद्यपि यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि क्यों नहीं निकाल सकते, मैं ने तो निवेदन किया कि यदि सरकार चाहती है और इस सम्बन्ध में कुछ दिलचस्पी लेती है तो रंग निकाल सकती है, लेकिन अगर वह नहीं ही निकाल सकती है तो वनस्पति वालों को इस बात का स्पष्ट नोटिस दे दिया जाना चाहिये कि वे तीन महीने के अन्दर या छः महीने के अन्दर इस प्रकार का रंग निकालें जिस से वनस्पति को रंगें और अगर वे इस प्रकार का रंग नहीं निकाल सकते हैं तो इतने समय के अन्दर उस का जमाया जाना बन्द कर दिया जायेगा। यदि इस प्रकार का प्रयत्न हुआ तो मेरा विश्वास है कि कारखाने वाले इस प्रकार का रंग निकाल लेंगे क्योंकि उन का सब से अधिक भय होगा इस का जमाया जाना बन्द करने का। मैं फिर कहना चाहता हूं कि यदि हम को इस देश में प्रजातंत्र चलाना है, तो प्रजातंत्र में हम को प्रजा की जो इच्छा है उस का ध्यान अवश्य रखना होगा। गोवध के सम्बन्ध में मैं जानता हूं कि प्रजा की क्या इच्छा है, वनस्पति के सम्बन्ध में मैं जानता हूं कि प्रजा की क्या इच्छा है, हमारा कांग्रेस का जो संगठन है, जिस के हम सब से बड़े भक्त हैं और आज भी हम यह मानते हैं कि इस से बड़ा कोई संगठन, केवल इस देश में नहीं, लेकिन गैर सरकारी दृष्टि से, शायद दुनिया के किसी देश में नहीं, ऐसे संगठन में भी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अहमदाबाद अधिवेशन में, इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका था कि वनस्पति का जमाया जाना बन्द किया जाय। यदि हम इस को प्रजातंत्र की दृष्टि से देखें, प्रजा की राय की दृष्टि से देखें, कांग्रेस संस्था की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस की ही जो सरकार है उस के लिये लाजिमी हो जाता है कि प्रजा की इच्छा के अनुसार और कम से कम इस मिलावट के पाप को रोके। मैं इसे पाप कहता हूं क्योंकि कोई भी देख सकता है कि दो रुपये सेर की चीज़ चार रुपये सेर में बिकती है इस मिलावट के कारण बिकती है, और सरकार भी इस पाप की भागी होती है। हम आवश्यक समझते हैं कि अब इस विषय में कोई न कोई कदम तत्काल उठाया जाय।

अन्त में मैं आप से यह भी कह देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जब तक कुछ नहीं होगा तब तक यह विषय सदा उठता रहेगा, जनता में इस विषय में सदा आंदोलन होता रहेगा, और यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिये जिन सज्जन ने इस विधेयक को रक्खा है उन का मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री बी० डी० शास्त्री (शाहडोल-सिंद्धि) : मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं। वस्तुतः देखा जाय तो इस किस्म के कई विधेयक संसद् के सामने रक्खे गये और उन पर काफी वाद विवाद हुआ। किन्तु खेद का विषय तो यह है कि आज तक उन का निर्णय नहीं हो सका। जब पिछले समय यह फूड ऐडल्ट्रेशन बिल आया था तो सब से जोरदार शब्दों में यह बात कही गई थी सभी सदस्यों ने कहा था कि सब से

[श्री बी० डी० शास्त्री]

बड़ा अपमिश्रण जो होता है वह अपमिश्रण है शुद्ध घी में वेजिटेबल का । मैं समझता हूं कि और ऐडल्ट्रेशन के साथ साथ इस पर ज्यादा जोर दिया गया कि सब से हानिकारक जो चीज है वह यह है कि अगर लोग शुद्ध घी का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें शुद्ध घी मिलता नहीं है । अभी एक महाशय ने विवाद के सिलसिले में यह बताया कि घी की कमी है और इज्जत का प्रश्न है इसलिये यह आवश्यक है कि इस घी को जारी रक्खा जाय । आज का विवाद इस घी को रोकने का, इस को अस्तित्व में रखने या न रखने का प्रश्न नहीं रखता । आज का विवाद तो इस बात पर जोर देता है कि इस घी में रंग का मिलाना आवश्यक है और यदि इस घी को रंग दिया जाय तो इस में शक नहीं कि जो लोग शुद्ध घी चाहते हैं उन को शुद्ध घी मिल सकेगा । सरकार का भी कुछ बोझ हल्का हो जायेगा कि आज जो अपमिश्रण सारे देश में हो रहे हैं, उन अपमिश्रणों में से जो सब से बड़ा अपमिश्रण है उस से कुछ बचत हो जायेगी और लोगों को शुद्ध घी मिल सकेगा ।

मैं समझता हूं कि हमारा स्वास्थ्य शुद्ध घी पर निर्भर करता है, हम कितना भी प्रयत्न करें, कितने भी देहातों में जा कर घूमें, हम को शुद्ध घी नहीं मिलता क्योंकि देहातों में भी यह मिलावट का रोग फैल गया है और लोग पड़ोस के बाज़ार से वनस्पति को ले जाते हैं और शुद्ध घी में मिला कर गांवों में बेचते हैं, शहरों में बेचते हैं और सारी चीज़ें उसी से बनती हैं । जिन जगहों पर लिखा होता है कि यहां वनस्पति घी का सामान बिकता है, वहां तो वनस्पति है ही, लेकिन जिन जगहों पर लिखा होता है कि यहां शुद्ध घी का सामान मिलता है, मैं दावे के साथ कहूंगा कि वहां पर भी शुद्ध घी का सामान नहीं मिलता । हालांकि कहीं पर उन लोगों ने लिख रक्खा है कि वेजिटेबिल सिद्ध करने वाले को पांच सौ रुपया मिलेगा कहीं लिख देते हैं कि एक हजार मिलेगा । लेकिन पता नहीं कि साबित करने वाले कैसे हैं और सरकार की मशीनरी कैसी है जो साबित नहीं कर सकती कि वह देशी घी का सामान नहीं है । मैं तो इन शब्दों को जोर दे कर कहूंगा कि यह अपमिश्रण सारी दुकानों में होता है । इस का मतलब यह है कि देश के अन्दर शुद्ध वस्तु मिलना एक मुश्किल सी चीज़ हो गई है ।

कुछ लोगों का कहना है कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वनस्पति घी बाजार में बिके । कहा जाता है कि लोग इसे इसलिये ग्रहण करते हैं कि उन के पास अच्छा घी खरीदने को पैसा नहीं है । यह निर्वाचित सदस्यों की संसद् है, और यहां पर जब जब यह प्रश्न आया, जब जब अपमिश्रण का विधेयक आया, तो एक दो को छोड़ कर बाकी सभी सदस्यों ने जोरदार शब्दों में कहा है कि चाहे कुछ भी हो इस घी को कतई बन्द कर दिया जाय । कम से कम इस का अपमिश्रण तो बन्द हो ही जाय । यह बात बहुत सम्भव है कि इस को रंगने के लिये किसी रंग का आविष्कार हो जाय । मैं समझता हूं कि सरकार चाहे और रंग न मिले यह गलत चीज़ है । आज विज्ञान का युग है । आज अणुबम का आविष्कार हो रहा है, दुनिया में रोज नई नई चीज़ें बन रही हैं । तो क्या आजकल घी को रंगने के लिये रंग नहीं बन सकता ? मिठाइयों को रंगा जाता है लेकिन वेजिटेबिल घी के लिये रंग नहीं है । इसके न मिलने का असली कारण यह है कि देश के अधिकारी वर्ग के मस्तिष्क में परिवर्तन नहीं हुआ है । अभी उन की मनोवृत्ति नहीं बदली है । अगर वह चाहने

लगें तो एक घंटे में ऐसा रंग मिल सकता है। इस वक्त भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह का रंग रखे हुए हैं। मैं कहूंगा कि एक भीतरी मशीनरी भी काम कर रही है जोकि रंग बनाने वाले वैज्ञानिकों पर जोर डाल रही है और यही कारण है कि रंग नहीं बन पा रहा है। अगर सरकार इस बात को स्वीकार करे कि घी का रंग बन जाय तो जैसा कि मैं ने पहले कहा कि एक घंटे में रंग बन जायगा, देरी नहीं लगेगी। अगर सरकार चाहे तो निश्चय है कि वह रंग मिल जायगा। मैं आशा करूंगा कि जब सारे लोग चाहते हैं और प्रश्न यह है कि एडल्ट्रेशन न हो और शुद्ध घी मिले तो यह बहुत ज़रूरी है कि सरकार रंग का आविष्कार करे और डालडा घी में रंग का प्रयोग हो।

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : श्री झूलन सिंह के इस प्रस्ताव का, कि वनस्पति निर्माण तथा उस की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय, मैं समर्थन करता हूं।

माननीय मित्र पंडित डी० एन० तिवारी ने कहा था कि किसी वैज्ञानिक तरीक़े से यह सिद्ध कीजिये कि वनस्पति हानिकारक है। मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि सरकारी गवेषणा संस्था, इज्ज़तनगर में इस सम्बन्ध में कुछ प्रयोग किये गये थे और वे इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि जिन चूहों को वनस्पति खिला कर रखा गया था उन की तीसरी पीढ़ी अन्धी हो गई। मेरा विचार है कि यदि यह खाद्य चूहों के लिये हानिकारक है तो मनुष्यों के लिये भी यह उतना ही हानिकारक होगा। उन दिनों बम्बई विधान सभा में वनस्पति निर्माण एवं उस की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये मैं ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था। इस विधेयक पर वहां के स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डा० गिल्डर ने कहा था कि यह तो सच है कि चूहे वास्तव में अंधे हो गये थे किन्तु इस का कारण यह नहीं था कि खाद्य में वनस्पति मिली हुई थी अपितु तथ्य तो यह था कि चावल घटिया किस्म का था। कुछ वैज्ञानिक प्रयोग करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे थे कि कुछ न कुछ रूप में यह वनस्पति हानिकारक है। हो सकता है कि वनस्पति फौरन ही हानि न पहुंचाये किन्तु आगे आने वाले समय में अवश्य ही हानि पहुंचायेगा।

सरकार बहुत परेशान थी अतः खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के तत्वावधान में अन्य प्रयोग प्रयोगशालाओं में, खाने वाले तेल, उद्जनित तेल, तथा घी के तुलनात्मक पोषण तत्वों के बारे में प्रयोग किये गये और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उद्जन अन्य तेलों की अपेक्षा तेल के पोषण तत्वों को नहीं बढ़ाता, और न उद्जन उस पर कोई हानिकारक प्रभाव ही डालता है। उन का कहना है कि वनस्पति अन्य तेलों की अपेक्षा हानिकारक नहीं है। प्रयोग के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि किसी साधारण तेल की अपेक्षा वनस्पति रंचमात्र भी अच्छा नहीं है। साधारणतया वनस्पति तेल मूंगफली के तेल से बनाया जाता है, तिली के तेल अथवा अन्य तेलों की अपेक्षा यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि यह हानिकारक नहीं है, और अन्य तेलों की अपेक्षा बढ़िया भी नहीं है तो फिर इस के बनाने की आज्ञा क्यों कर दी गई है और जनता फिर इसे महंगे दामों पर क्यों खरीदती है। यह सभी ने स्वीकार किया है कि वनस्पति मिलावटी घी है और यह भी जानते हैं कि घी में यह मिलावट बदस्तूर जारी है यहां तक कि सरकार ने स्वयं इसे स्वीकार किया है। ६ नवम्बर, सन् १९५२ को पूछे गये मेरे तारांकित प्रश्न संख्या ७४ का उत्तर देते

[श्री डाभी]

हुए माननीय डा० पी० एस० देशमुख ने कहा था कि यह सत्य है कि देश में वनस्पति को घी में काफ़ी हद तक मिलाया जा रहा है । 'जर्नल आफ़ साइंटिफिक एड इंडस्ट्रियल रिसर्च' के जुलाई १९५० के अंक में प्रकाशित एक लेख में बताया गया था कि मैसूर और बंगलौर में घी के नमूनों का जो विश्लेषण किया गया है उस से यह सिद्ध होता है कि घी के उन नमूनों में केवल ९ प्रतिशत नमूने घी के थे ।

गो सेवा संघ तथा वनस्पति निर्माताओं के संघ की एक बैठक १४ सितम्बर, १९४८ को तत्कालीन खाद्य तथा कृषि मंत्री श्री जयरामदास दौलतराम की अध्यक्षता में हुई थी । उस बैठक की कार्यवाहियों को एक पैम्फलेट के रूप में छापा गया । उस में कहा गया है कि 'खाने वाले तेलों का उद्जन बन्द कर देना चाहिये ।'

सन् १९५१ में भारत सरकार द्वारा एक स्वास्थ्य समाचार–संख्या २३ प्रकाशित किया गया था और उस में बताया गया है कि जब घी में वनस्पति मिलाया जाता है तो साधारण घी में जो पोषक तत्व होते हैं, वे बहुत कुछ अंशों में नष्ट हो जाते हैं । इसलिये अब ये दो बातें सिद्ध हो गई हैं कि, अगर वनस्पति किसी विशेष द्रवणांक का नहीं है तो यह हानिकारक हो सकता है ; और साधारण तेलों की अपेक्षा यह अच्छा नहीं है । सरकारी प्रतिवेदन से पता चला है कि वनस्पति का वार्षिक उत्पादन लगभग २ लाख टन का है ।

एक माननीय सदस्य ने यह आपत्ति की थी कि वनस्पति के लिये हमें अधिक पैसा नहीं देना पड़ता ; बल्कि सस्ता मिलता है इसलिये हम इसे अधिक खरीदते हैं । मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि जब इस वनस्पति को घी में मिला दिया जाता है और इस मिलावटी घी को घी कर के बेचा जाता है तो वनस्पति मिले रहने के कारण असली घी तो कम होता है और वनस्पति ही अधिक होता है और चूंकि दाम असली घी के देने पड़ते हैं इसलिये यह स्पष्ट है कि इस मिलाये गये वनस्पति के लिये हमें अधिक पैसा देना पड़ता है । इसलिये मेरा विचार है कि जब तक यह वनस्पति बिल्कुल बन्द नहीं किया जाता तब तक यह मिलावट कभी भी बन्द नहीं हो सकती ।

मिलावट सारे देश में प्रचलित है यहां तक कि गांव गांव में इस का प्रचार हो गया है । घी अपमिश्रण समिति ने निश्चयात्मक रूप से यह कहा है कि अगर आप उस में कुछ तेल भी मिला दें तो भी मिलावट बन्द नहीं हो सकती और न किसी भी स्थिति में उस का पता ही चल सकता है । इसलिये मिलावट रोकने के लिये तिलों के तेल का मिलाना कोई उपचार नहीं है । इसलिये वह निर्माताओं पर ही छोड़ दिया जाय कि वे इसे शुद्ध करें और इस की सारी अशुद्धताओं को दूर करें ताकि एक ओर तो जनता को इस के लिये अधिक मूल्य भी न देना पड़े और दूसरी ओर यह घी में भी न मिलाया जा सके ।

यह कहा गया है कि चूंकि जनता वनस्पति को तरल रूप में नहीं चाहती इसलिये इसे ठोस रूप में जमाया हुआ बनाया जाय । किन्तु इस से क्या लाभ ? असली घी को भी जब कि वह जाड़ों में जम जाता है गर्म कर के उस का प्रयोग किया जाता है । इसलिये यह सुझाव भी निरर्थक है । यदि सरकार यह समझती है कि हमें इस वनस्पति का निर्माण बन्द नहीं करना चाहिये तो वह शुद्ध घी की व्यवस्था करे और इस में किसी

प्रकार की अशुद्धि न रहे । यदि वह चाहती है कि वनस्पति चालू रहे तो निर्माताओं से कहे कि वे तेल को शुद्ध करें। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि इस वनस्पति तेल में भी मिलावट की जा रही है । किन्तु साधारण जनता इस के बारे में कुछ नहीं जानती ।

सभी लोगों ने, और यहां तक कि सरकार ने भी यह कहा है कि इस में रंग मिला देना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान एक तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जब सन् १९४९ में मैं बम्बई विधान सभा का सदस्य था तो वनस्पति निर्माण के बन्द कराने तथा उस की बिक्री को रोकने के लिये मैं ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था । प्रभारी मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया था कि छः महीने के भीतर वनस्पति में रंग मिला दिया जायगा । किन्तु उन्हीं दिनों केन्द्रीय सरकार के खाद्य मत्री की ओर से बम्बई सरकार को एक पत्र मिला कि इस के बारे में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने रंग मिलाने के बारे में कहा है तथा इस सम्बन्ध में डा० सतीशचन्द्र दास गुप्ता की राय का उल्लेख किया है । उन्होंने एक सुझाव दिया है कि रेड आक्साइड आफ़ आइरन के द्वारा इस को रंग दिया जाय ; इस से वनस्पति का रंग हल्का गुलाबी हो जायगा । यह रंग बहुत अच्छा है किन्तु मालूम नहीं कि इस सुझाव को क्यों नहीं क्रियान्वित किया गया ।

मान लीजिये कि सरकार को कोई उपयक्त रंग नहीं मिलता तो फिर रंग ढूंढने का कार्य सरकार को अपने ऊपर क्यों लेना चाहिये । या तो वनस्पति मिलाने के लिये रंग ढूंढना चाहिये अन्यथा कारखानों में इस का बनाना ही बन्द कर दिया जाय । कारखानों को कोई उचित समय अर्थात छः महीने अथवा १२ महीने का समय दिया जाय । इस बीच में या तो वे रंग ढूंढ लें अन्यथा वनस्पति का निर्माण करना ही बिल्कुल बन्द कर दें । अगर रंग मिल जाता है तो सारा मामला ही समाप्त हो जाता है । मेरा सुझाव यह है कि रंग ढूंढने का दायित्व सरकार को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिये । यह दायित्व तो वनस्पति निर्माताओं पर ही छोड़ देना चाहिये ।

सभापति महोदय : आप कितना समय और लेंगे ?

श्री डाभी : लगभग दस या पन्द्रह मिनट ।

सभापति महोदय : तब फिर आप अपना भाषण आगामी अवसर पर जारी रखें ।

इस के पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—509 LSD—23-4-54—240